द्वितीय माला, खण्ड २१—अंक ३१

२२ सितम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
8-5-97
Fumigated
On 15-11-83
...ment Library

(खण्ड २१ में अंक ३१ से अंक ३५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

212A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २१—अंक ३१ से ३५—२२ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ से १४३१, १४३३, १४३६, १४४० और १४४२ से १४५० ३६७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३७ से १४३९, १४४१, १४५१ से १४६१ और १४६३ से १४७६ . ३६९५–३७०७

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ से २४८४ और २४८६ से २४९९ ३७०७–३०

जानकारी का प्रश्न ३७३१, ३७३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३१

राज्य-सभा से सन्देश ३७३२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३७३२

याचिका समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३७३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में ३७३३

सभापति तालिका . . ३७३३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ३७३४

केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में . . . ३७३४–३८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव ३७३८–९१

दैनिक संक्षेपिका २७९२–९८

अंक ३२—मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ से १४८१, १४८३, १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९६, १४९८, १५०१ और १५०३ . . . ३७९९–३८२४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८४, १४८६, १४८६, १४६७, १४६६, १५००, १५०२, १५०४, से १५१७ और १५१६ से १५२१ . . ३८२४–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०० से २५६६ . . ३८३४–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८७८–७६

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . ३८७६–८१

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . ३८८१–६०

तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण . ३८६०–६१

वर्ष १६५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . . ३८६१–३६२०

कोयले के निर्यात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . ३६२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ३६२६–३२

अंक ३३--बुधवार, २४ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२० से १५२६, १५३१ से १५३४, १५३६, १५३८ और १५४१ से १५४५ . . . ३६३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३०, १५३५, १५३७, १५३६, १५४०, १५४६ से १५५७, १५५७-क, १५५८, १५५६, १५५६-क, १५५६-ख, १५६० से १५८३ और १५८३-क . . ३६५६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ से २७११, २७१३, २७१५ से २७३५, २७३७ से २७४१, २७४१-क और २७४१-ख . . ३६७५–४०३६

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३७–३८

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३८–३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४०३६–४०

सदस्य की गिरफ्तारी . . . ४०४०

याचिका समिति--

कार्यवाही सारांश ४०४१

राज्य-सभा से सन्देश . . ४०४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई . . ४०४१–४३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण	४०४२
सभा का कार्य	४०४२–४३
वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग	४०४३—४५
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	४०४५—७२
खण्ड २, ३, ४ और १ तथा अनुसूची	४०६६—७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४०७०—७२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०७२—७७
स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	४०७७—८१
दैनिक संक्षेपिका	४०८२—९१
अंक ३४—गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १५८७, १५८३, १५८८ से १५९०, १५९२ से १५९६, १५९८ और १६००	४०९३—४११४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६	४११५—१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९३, १५९९, १६०१ से १६०६, १६०६-क, १६०७ से १६१७, १६१७-क, १६१८ से १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६-क, १६३७, १६३७-क और १६३८ से १६४३	४११८—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २७४२ से २७५०, २७५२ से २८५४, २८५६ से २८६९ और २८६९-क	४१३९—९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१९०–९१
सदस्य की गिरफ्तारी	४१९१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	४१९१
प्राक्कलन समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	४१९१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	४१९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी	४१९२
भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	४१९३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धि	४१६४
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४१६४
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	४१६४–६५
सभा का कार्य	४१६५,४२२२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक —	
विचार करने का स्ताव	४१६५–४२२२
खण्ड २ से २५, अनुसूची और खण्ड १	४२१३–२२
पारित करने का प्रस्ताव	४२२२
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४२२२–३१
दैनिक संक्षेपिका	४२३२–४०

अंक ३५—शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४३-क, १६४४ से १६४९, १६५१, १६५२, १६५५, १६५७ से १६६०, १६६४ और १६६५	४२४१–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २०	४२६५–७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६६१ से १६६३, १६६६ से १६९२, १६९२-क, और १६९३ से १६९८	४२७५–९०
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २९९० और २९९२ से ३०२५	४२९०–४३६३
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना	४३६४–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४३६५–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सुरांश	४३६६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६६
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६७

पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी . ४३६७–६८

सदस्यों को सजा . . . . ४३६८—४४०१

विशेषाधिकार समिति—

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन . . ४३६८

प्राक्कलन समिति . . . . . .

सत्ताइसवां तथा अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ४३६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना . ४३६९—७०

२. कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही . ४३७०—७१

अनुपस्थिति की अनुमति . . ४३७१

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर की शुद्धि ४३७१—७२

विशेषाधिकार प्रस्ताव—

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ४३७२—८५

विधेयक—पुरःस्थापित—

१. भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक . ४३८५–८६

२. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक। ४३८६

३. चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक। ४४०४

जानकारी का प्रश्न ४३८६–८७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के रूपभेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४३८७—९०

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में . . ४३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ४३९१

उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिए आयोग के बारे में संकल्प . . . ४३९२—४४०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प . . . ४४०१—०३

अमेरिका को रूई के संभरण के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा ४४०५—०९

दैनिक संक्षेपिका . ४४१०—२१

पांचवें सत्र का कार्यवाही सारांश ४४२२–२४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नार्थ एवेन्यू में अतिरिक्त फ्लैट

†*१४२७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १० दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली की नार्थ एवेन्यू में संसद्-सदस्यों के लिये अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण के लिये अभी स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को वैकल्पिक स्थान देना होगा। अनेक स्थानों का सुझाव दिया गया था किन्तु वह या तो प्रतिरक्षा प्राधिकारियों को अस्वीकार्य थे अथवा नगर नियोजन की दृष्टि से उन्हें उचित नहीं समझा गया। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एक और स्थान का सुझाव दिया है किन्तु वह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि उधर से रेलवे लाइन गुजरेगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक और स्थान का चुनाव किया है और इसे प्रतिरक्षा प्राधिकारियों से अनुमोदित कराने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। यदि अंतिम रूप से इस का अनुमोदन कर दिया गया तो वहां आर्मी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के लिये आवश्यक स्थान का निर्माण की व्यवस्था की जायेगी और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा स्थान खाली कर दिये जाने के पश्चात् संसद्-सदस्यों के लिये अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ किया जायगा।

†**श्री राम कृष्ण :** यदि इस स्थान को स्वीकार न किया गया तो क्या इन फ्लैटों के निर्णाण के लिये कोई और स्थान खोजा जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इन फ्लैटों को इसी स्थान पर बनाना अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि इस से ये फ्लैट अन्य फ्लैटों के साथ ही होंगे। हम आशा है कि शीघ्र ही ट्रांसपोर्ट कम्पनी के लिये कोई दूसरा स्थान मिल जायगा।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या सरकार को विनय नगर में रहने वाले सदस्यों से इस के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** विनय नगर में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** विनय नगर में तो संसद् सदस्यों के लिये कोई भी फ्लैट नहीं है।

†**श्री अंसार हरवानी :** विनय मार्ग पर।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** बहुत से संसद् सदस्य उस ओर रहते हैं और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संसद्-सदस्यों को वैकल्पिक फ्लैटों के रूप में यहां ठहराया गया है क्योंकि नार्थ एवेन्यू में बनाये जाने वाले २४ फ्लेट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार नार्थ एवन्यू के फ्लैटों म बन्दरों की शरारत को रोकने के लिये फ्लैटों में सीखचों वाली खिड़कियां लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस बात की जांच कर लें कि उस स्थान का कब अधिग्रहण किया गया था।

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** इस स्थान पर किस प्रकार के फ्लैट बनाने का विचार है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** उसी प्रकार के फ्लेट जैसे कि उस क्षेत्र में पहले हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

†*१४२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९५८ से ३१ अगस्त १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने भारतीय विस्थापित व्यक्ति भारत आये ;

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्ति भारत से पूर्वी पाकिस्तान गये ;

(ग) क्या पिछले पांच महीनों की तुलना में अब पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का आना बढ़ गया है या कि कम हो गया है ; और

(घ) यदि बढ़ गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) इस अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से २,१७६ व्यक्ति भारत आये।

(ख) उक्त अवधि में ३१३ मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान गये थे। इस संख्या में उन व्यक्तियों की संख्या सम्मिलितनहीं है जो कि आसाम से अगस्त १९५८ में गये हैं ;

(ग) और (घ). अब कमी हो गयी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जो लोग सीमा पार कर भारत में आये हैं क्या उन्होंने ऐसा कानूनी पासपोर्ट की सहायता से किया है अथवा जाली पासपोर्ट के आधार पर किया है और यदि हां तो कितने व्यक्ति गैर-कानूनी पासपोर्ट की सहायता से आये हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** ढाका में उप-उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द होने के पश्चात् लोगों के भारत आगमन में सुविधा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया है ?

†**श्री सादत अली खां :** ढाका में उप-उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** जाली पासपोर्टों की सहायता से पाकिस्तानियों के भारत आने और पुलिस द्वारा इसका पता लगने पर उनके विरुद्ध अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? उन्हें वापस भेज दिया गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था । मैं ने सभा में बता दिया है कि इन मामलों में पुलिस कार्यवाही करती है और फिर यह मामले न्यायालयों के सामने जाते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का बहुमत है ।

†**श्री सादत अली खां :** मैं यह निश्चित रूप में नहीं कह सकता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ढाका स्थित उच्च आयुक्त के कार्यालय में कितने प्रव्रजन आवेदन पत्र निलम्बित हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

ड्यूक आफ एडिनबरा का भारत आगमन

+

†*१४२९. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्यूक आफ एडिनबरा भारत आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब आ रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). ड्यूक आफ एडिनबरा ने विज्ञान की प्रगति सम्बन्धी ब्रिटिश एसोसियेशन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है । वह २१ और २८ जनवरी, १९५९ के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाली वार्षिक मीटिंग में एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे । तत्पश्चात् ड्यूक भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसियेशन के तत्वावधान में भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक महत्व के स्थानों का संक्षिप्त दौरा करेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** अखबारों में एक खबर थी कि बाद में महारानी भी भारत आयेंगी । क्या इस खबर में कोई सत्यता है अथवा हम महारानी को आमंत्रित करने का इरादा रखते हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** मेरे पास जानकारी नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पहले ड्यूक का स्वागत कीजिये ।

†**श्री राम कृष्ण :** वह भारत में कब तक ठहरेंगे ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं ने अभी कहा था कि वह २१ जनवरी से ४ फरवरी तक यहां रुकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** उनका राजकीय सम्मान किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री सादत अली खां :** सम्पूर्ण राजकीय सम्मान किया जायेगा ।

†**श्री दासप्पा :** भारत में ड्यूक का कार्यक्रम निश्चित रूप में कौन तैयार कर रहा है तथा क्या वह भारत के विभिन्न भागों में जायेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय के पास जो भी जानकारी थी उन्होंने दे दी है ।

†**श्री सादत अली खां :** जी हां ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये भारतीय जहाज

+

†*१४३०. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री अब्दुल सलाम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ से १९६२ तक की अवधि में जापान को लौह अयस्क संभरित करने के लिये करारबद्ध अन्तिम शर्तों के अन्तर्गत लोह अयस्क का कुछ भाग जापान ले जाने के लिये भारतीय जहाज़ों के उपयोग के बारे में निश्चित उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या १९५८–५९ की अवधि में जापान को सम्भरित होने वाली सम्पूर्ण मात्रा में से भारतीय जहाज़ों के लिये लौह अयस्क का कुछ कोटा निश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रत्याभूतियां प्राप्त की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय जहाज़ लोह-अयस्क की कितनी मात्रा जापान ले जायेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) : १९५७–६२ की अवधि के लिये जापान को संभरित किया जाने वाला लौह अयस्क एक सामान्य समझौते पर आधारित है । प्रत्येक वर्ष के टन भार का आधार कीमतों, जहाज़ अनुसूची इत्यादि से सम्बन्धित निश्चित करार हैं । अतः भारतीय जहाज़ों के उपयोग के उपबन्ध की वार्ता प्रत्येक वर्ष के संभरण के अनुसार की जाती है ।

(ग) १९५८–५९ में सम्भरित की जाने वाली लौह अयस्क की मात्रा उठाने के लिये भारतीय जहाज़ प्रयुक्त करने की बात सिद्धान्त रूप में जापानी इस्पात मिलों ने स्वीकार कर ली है ।

(घ) निश्चित टन भार निर्धारित नहीं किया गया है । यह भारतीय जहाज़ों की उपलब्धता और खरीदार तथा जहाज़ी हितों द्वारा निर्णीत भाड़े की दरों पर सम्बन्धित है ।

†**श्री पाणिग्रही :** अमरीकी जहाज़ों और भारतीय तथा जापानी जहाज़ों में एक टन लोह अयस्क भेजने के लिये कितना भाड़ा वसूल किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** भाड़े की दर में हर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है । किन्तु अभी मेरे पास दर की जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री पाणिग्रही :** लौह अयस्क के लिये भारत जापान समझौते पर हस्ताक्षर के समय क्या भारतीय जहाज़ी हितों से परामर्श किया गया था और जहाज़ के लिये कितना टन भार उपलब्ध था तथा उन्हें परामर्श दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां । ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के एक प्रतिनिधि समझौता करने वाले दल में सम्मिलित थे और उन्होंने भाड़े की दर की सम्भावनाओं के बारे में खरीदारों से चर्चा की थी ।

†**श्री सूपकार :** अमरीकन जहाज़ों की मार्फत भारत के पूर्वी तट से जापान लौह अयस्क की कितनी मात्रा भेजी जायेगी और क्या इस सम्बन्ध में किसी अमरीकन सार्थ के साथ संविदा किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं । भाड़े के सम्बन्ध में किसी अमरीकी कम्पनी से समझौता नहीं किया गया है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अमरीकी सरकार के साथ किये गये समझौते में एक उपबन्ध है कि इस लौह अयस्क को जापान ले जाने में अमरीकी जहाज़ों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे याद नहीं है क्योंकि यह राज्य व्यापार निगम और जापान के बीच समझौता है । अमरीकी जहाज़ अथवा अमरीका का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही :** १९५५–५६ और १९५६-५७ में कितना लौह-अयस्क जहाज़ों में जापान भेजा गया था और कितनी मात्रा अमरीकी जहाज़ों द्वारा भेजी गई तथा भाड़ा कितना दिया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** मेरा विचार है कि पहले वर्ष १० लाख ३० हज़ार टन का करार था और इसे जुलाई तक बढ़ा दिया गया । मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है किन्तु यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो इसके लिये किसी अमरीकन जहाज़ का उपयोग नहीं किया गया था ।

†**श्री सूपकार :** क्या भारत को विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में अमेरिका से हाल ही में कोई करार किया गया था और क्या विकास-ऋण में यह भी एक शर्त है कि भारतीय लौह अयस्क का भारत से जापान निर्यात करने में अमरीकी जहाज़ प्रयुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** यह प्रश्न जापान के साथ राज्य व्यापार निगम के संविदों से सम्बन्धित है । विजगापत्तनम और उड़ीसा में रेलवे और पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये वार्ता और प्रस्ताव हैं अभी वह वार्ता पूरी नहीं हुई है ।

†**श्री बोस :** क्या यह सच नहीं है कि माल ले जाने के लिये भाड़े की दरें विभिन्न जहाज़ी कम्पनियों के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर आधारित हैं ?

†**श्री कानूनगो :** अनेक कान्फ्रेंस और भाड़े की दरें हैं । जैसा मैं ने पहले कहा है मांग और सम्भरण के अनुसार भाड़े की दरें हर सप्ताह बदलती रहती हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उद्योगों में हड़ताल

†*१४३१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में हड़तालों को रोकने और उत्पादन में कमी बन्द करने के लिये सरकार कुछ रचनात्मक और प्रभावशाली कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ; और

(ग) उक्त योजनाओं से प्रबन्धकर्ताओं और श्रमिकों में किस सीमा तक सौहार्द की सर्जना होगी ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). औद्योगिक सम्बन्धों के विषय पर सरकार, त्रिदलीय भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति और संसद् के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदाता समिति निरन्तर विचार करती रहती है । हाल में किये गये उपाय इस प्रकार हैं : उद्योग में अनुशासन संहिता, वैयक्तिक शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिये प्रक्रिया का उपबन्ध प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग, श्रमिक सम्बन्धी नियमों की रचना और क्रियान्विति के लिये व्यवस्था करना और श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

श्री विभूति मिश्र : यह अनुभव सिद्ध बात है कि सरकार ने जितने रास्ते अख्त्यार किये, उनसे यह इंडस्ट्रियल पीस कायम नहीं हो सकी, मैं यह जानना चाहता हूं कि हड़ताल होने के पहले ही क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता अख्त्यार करना चाहती है जिससे इंडस्ट्रीज़ के उत्पादन कार्य में कोई घाटा न हो ?

श्री आबिद अली : अब यह तो सम्भव नहीं है कि इतने बड़े देश में कहीं भी कोई किसी किस्म की स्ट्राइक और झगड़ा न हों लेकिन कोशिश हो रही है कि कम हों और हों भी तो जल्दी फैसले हो जायें ।

जहां तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है कोशिश हम स्ट्राइक होने के पहले भी काफी कर लेते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि शुगरकेन चूंकि पैरिशेबुल गुड्स है इसलिये चीनी मिलों में क्या सरकार अभी से कोई ऐसी सतर्कता दिखलायेगी ताकि हड़ताल होने के पहले ही उनका मामला तय हो जाये ?

श्री आबिद अली : जी हां, कोशिश तो यही है और जहां तक चीनी मिलों में काम करने वालों का सम्बन्ध है हमने एक वेज बोर्ड भी बना दिया है ।

श्री नाथ पाई : हड़ताल की स्थिति अथवा वास्तविक हड़ताल के समय भेजे जाने वाले पर्यवेक्षक दलों की शक्ति और कार्य क्या है ?

†**श्री आबिद अली:** विवाद को हल करने का प्रयत्न करना ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या अधिकांश हड़तालें इसीलिये होती हैं कि प्रबन्धकर्ता इस आधार पर बातचीत करने से मना कर देते हैं कि श्रमिक संघ मान्यता प्राप्त नहीं हैं और यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति को संविहित रूप देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह अपनी अपनी सम्मति है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह प्रश्न हड़तालें समाप्त करने के बारे में है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** किन्तु इसमें जानकारी प्राप्त करने की बात तो नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मेरा निवेदन यह है कि कुछ हड़तालें इसीलिये होती हैं कि बातचीत नहीं हो सकी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** किन्तु इस विषय पर मतभेद हो सकता है कि हड़ताल का कारण क्या था ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सरकार हाल ही में हुई हड़तालों की उद्योग सम्बन्धी अनुशासन संहिता के उपबन्धों के अधीन जांच करायेगी ? यदि हां, तो वे हड़तालें क्या थीं और जांच का कार्य-क्षेत्र क्या होगा ?

†**श्री आबिद अली :** माननीय सदस्य किस हड़ताल की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री हेम बरूआ :** मैं कलकत्ता ट्रामवे हड़ताल और बम्बई की आम हड़ताल की चर्चा कर रहा हूं ।

†**श्री आबिद अली :** इन दोनों के सम्बन्ध में अध्ययन करने का विचार है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार श्रमिक संघों और विशेष रूप से गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में मान्यता सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** नैनीताल में किये गये निर्णय सम्बन्धित विचारों को संप्रेषित कर दिये गये हैं और हम इस विषय में आगे कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री नारायण कुट्टि मेनन :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री नाथ पाई ।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री ने उत्तर कदाचित प्रश्न को भली भांति न समझ कर दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न रख सकते हैं ।

†**श्री नाथ पाई :** मैंने निर्देश पद के लिये कहा था और उन्होंने उत्तर दिया हड़ताल सुलझाने के बारे में । सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है : यह देखने के लिये कि नैनीताल में रचित आचरण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं ; हड़ताल सुलझाने के लिये नहीं । मैं पर्यवेक्षक दलों की शक्ति और कार्य जानना चाहता हूं ।

†**श्री आबिद अली :** मैं यह जानना चाहता हूं कि किस विशेष हड़ताल की ओर निर्देश किया गया है ।

†**श्री नाथ पाई :** मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय द्वारा रचित पर्यवेक्षक दल की शक्ति और कार्य हड़ताल के स्थानों पर यह देखते समय क्या होगी कि नैनीताल में बनाये गये आचरण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** हड़ताल की सम्भावना होने पर ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हड़ताल की सम्भावना अथवा हड़ताल की स्थिति में क्या प्रत्येक स्थान पर पर्यवेक्षक दल भेजे जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली :** पर्यवेक्षक दल सब हड़तालों की स्थिति में नहीं भेजे जायेंगे । कभी ऐसी गम्भीर हड़ताल हो सकती है कि जब हम पर्यवेक्षक दल को भेज कर श्रमिकों और प्रबन्धकर्ताओं से अनुरोध करें कि यदि सम्भव हो तो वह मामला तय कर लें । इस दल का यही कार्य रहेगा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने बताया था कि विवाद हल करने में स्थायी श्रम समिति भी एक माध्यम है । इस स्थायी श्रम समिति की अगली बैठक कहां और कब होगी तथा क्या अखबार में छपी यह खबर सच है कि यह मद्रास में होंगी ?

†**श्री आबिद अली :** यह बैठक मद्रास में नहीं होगी । हमने अभी तारीख और स्थान तय नहीं किये हैं ।

†**श्री जाधव :** किन किन उद्योगों में १९५७–५८ में उत्पादन की मात्रा कम हुई ?

†**श्री आबिद अली:** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या कुछ नियोजकों ने अनुशासन संहिता का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक हड़ताल करने पर विवश हो गये, और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के मामलों की जांच की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** कुछ मामलों में अनुशासन संहिता का श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों द्वारा पालन न करने के बारे में हमें शिकायतें मिली हैं । जांच की गई है और मालूम हुआ कि दोनों दलों ने संहिता का पालन नहीं किया था––किन्हीं स्थितियों में श्रमिकों और किन्हीं में नियोजकों ने । यह सच है कि नियोजकों ने अधिक बार इनका उल्लंघन किया है ।

श्री रा० क० बर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ और १२ जुलाई सन् १९५७ को स्ट्राइक और लौक-आउट के सम्बन्ध में तीनों पक्षों के बीच में एग्रीमेंट हुआ लेकिन उसके विरुद्ध मजदूरों के काम पर जाने के लिये हिंसा का प्रयोग किया गया और उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है ?

†**श्री आबिद अली :** हिंसा का अगर उपयोग किया गया हो तो यह तो ला एण्ड आर्डर का सवाल है लेकिन बात तो यह सच है कि कभी कभी हिंसा का प्रयोग किया जाता है ।

†**श्री बोस :** क्या सरकार ने गत वर्ष यह निर्धारित किया है कि हड़तालों के लिये नियोजकों और श्रमिकों में से कौन अधिक उत्तरदायी था ?

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय :** यह उन्होंने पहले ही बता दिया है । दूसरा प्रश्न ।

†**श्री विभूति मिश्र :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्षमा कीजिये मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली का भारी सामान बनाने के कारखाने

†*१४३३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का भारी सामान बनाने वाला कारखाना नैनी (इलाहाबाद) में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी रकम खर्च हुई है ; और

(ग) सके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) स्विचगीयर और ट्रांसफार्मर्स आदि बिजली के भारी उपकरण बनाने के लिये नैनी में एक गैर-सरकारी कारखाना स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) सरकार के पास निश्चित जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह कारखाना कौन स्थापित कर रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया इस योजना का प्रारम्भ कर रही है ।

सेठ गोविन्द दास : इस तरह के सामान बनाने की इस इलाहाबाद की फैक्टरी के अतिरिक्त और भी देश में क्या कुछ फैक्टरियां हैं या बनने वाली हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत सी फैक्टरियां हैं । ट्रांसफार्मर्स बनाने की १४ फैक्टरियां और हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने की १५ फैक्टरियां हैं और बाकी और इलेक्ट्रिक सामान बनाने के बहुत से कारखाने हैं । गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारखाना भोपाल में भी बन रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस तरह के सामान का सम्बन्ध है, क्या यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में यह सब सामान हमारे देश में ही बनने लगेगा और बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, और अगर हां, तो कितने समय में यह आशा की जा सकती है ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत कुछ बिजली का सामान इस देश में दूसरी योजना के आखिर तक बनने लगेगा, और अगर आनरेबल मेम्बर जो प्लानिंग कमीशन की तरफ़ से हाउस में मेमोरेंडम रखा गया है उसको देखेंगे तो उनको मालूम हो जायेगा कि कितना टारजेट फिक्स किया गया था और कितना उसको पूरा करने की आशा है ।

†**श्री दासप्पा** : इस जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड में भारतीयों की कितनी पूंजी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड पहले से ही यहां काम कर रही है । इनकी फैक्टरी पश्चिमी बंगाल में पहाड़पुर में है । उसी के कार्य का विस्तार किया जा रहा है । यह कोई नवीन पंजीकृत समवाय नहीं है । मेरा विचार है कि यह ब्रिटिश जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी का ही एक सहायक अंग है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा :** इसमें भारतीयों की कितनी पूंजी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जैसा मैंने कहा था यह ब्रिटेन की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी का ही सहायक अंग है ।

†**श्री दासप्पा :** यदि ऐसा है तो इस कम्पनी में भारतीयों की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह कम्पनी पर्याप्त समय से भारत में विद्यमान है । पश्चिम बंगाल के पहाड़पुर में इसकी फैक्टरी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या पहले से ही विद्यमान इस कम्पनी में भारतीयों के भी शेयर हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी नहीं, मैंने अभी कहा था कि यह ब्रिटिश कम्पनी का सहायक अंग है ।

चाय को सुखाने और रोल करने की मशीनें[1]

†*१४३६. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने लघु उद्योग सेवा संस्था के मार्फत चाय के छोटे उत्पादकों के लिये सुखाने और रोल करने की छोटी मशीनों की आवश्यकता का निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सुखाने और रोल करने के लिये छोटी मशीनों की डिजाइन के परिणाम का क्या स्वरूप है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). चाय बोर्ड की प्रार्थना पर लघु उद्योग सेवा संस्था छोटे छोटे उत्पादकों की आवश्यकता के सर्वेक्षण में संलग्न है । यद्यपि इस सर्वेक्षण के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं सामान्य धारणा के अनुसार यह मालूम हुआ है कि साधारण आमदनी वाले उत्पादक मशीनें लगाने में रुचि नहीं रखते हैं । क्योंकि यह मशीनें छोटी होते हुये भी काफी महंगी हैं और उनकी क्षमता के बाहर हैं आगे और कार्यवाही करने के पहले सर्वेक्षण के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा की जायेगी ।

†**श्री हेम राज :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अधिकांश चाय बागान एक सौ एकड़ से कम के हैं, क्या यह भारत के लिये उपयोगी नहीं होगा कि हम अपने प्रयोग के लिये स्वयं ही इन मशीनों का डिजाइन तैयार करें ताकि हमें इन पर विदेशी मुद्रा नहीं खर्च करनी पड़े और बाहर से भारी मशीनों का आयात कर सकें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह अपनी अपनी राय है या फिर यह एक सुझाव है ?

†**श्री हेम राज :** इन मशीनों का डिजाइन तैयार करने में लघु उद्योग सेवा संस्था को कितना समय लगेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** लघु उद्योग सेवा संस्था स्वयं ही उस मामले की जांच कर रही है । किन्तु अभी तक उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ है । छोटे छोटे उत्पादक स्वयं मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं । जब तक वे सहयोग नहीं करेंगे अधिक उन्नति नहीं हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Drying and Rolling Machines for Tea.

†**श्री रंगा :** क्या इन छोटी मशीनों को खरीद कर छोटे उत्पादकों को किराये से देने के लिये सहकारी समितियों के संगठन के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** बहुत कम उत्पादकों के पास एक और तीन चार अथवा पांच एकड़ के बीच खेत हैं और वहां की स्थिति आधुनिक मशीनों के लिये अधिक उपयुक्त नहीं है। फिर भी इनकी सम्भावनाओं की जांच की जा रही है। यदि वे मिलजुलकर सहकारी समितियां बना लें तो यह सम्भव हो सकता है।

†**श्री हेमराज :** छोटे छोटे उत्पादकों की इच्छायें किस सीमा में और किस रीति से निर्धारित की गई हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** चाय उत्पादकों के विभिन्न एसोसियेशनों की सहायता से चाय बोर्ड इस सम्बन्ध में जांच करता है और लघु उद्योग सेवा संस्था ने भी उन क्षेत्रों में यह मालूम किया है कि यदि इस देश में मशीनें बनाई जायें तो क्या वे इन छोटी छोटी मशीनों का उपयोग करेंगे, किन्तु जैसा मैंने कहा था उनकी प्रतिक्रिया सन्तोषजनक नहीं थी।

लोह तथा इस्पात की मांगें

†*१४४०. **श्री पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में देश के हल्के तथा भारी इंजीनियरिंग सामान बनाने वाले कारखानों में लोहे तथा इस्पात की कुल मांग के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) सरकार उन हल्के लाभकारी इंजीनियरिंग सामान बनाने वाले कारखानों की मांगों को कैसे पूरा करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) जी, हां। अभी तक केवल संघठित क्षेत्र में मांग का अनुमान लगाया गया है।

(ख) सरकार विभिन्न कारखानों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व को ध्यान में रख कर ही लोहा तथा इस्पात एलाट करेगी।

†**श्री पाणिग्रही :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है; और यदि हां, तो कितना अनुमान लगाया है, और क्या सरकार स्वदेशी सामान को बढ़ाने के लिये इस्पात का आयात करना चाहती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हमारा अनुमान यह है कि इस वर्ष में तथा द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में विकास विंग के रजिस्टर में दर्ज उद्योगों के लिये लगभग २३ लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। जब तक हमारे अपने इस्पात कारखाने उत्पादन प्रारम्भ नहीं करते तब तक बाहर से अधिक से अधिक इस्पात आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है हाल ही में रूस से कुछ इस्पात आयात करने का ठेका किया गया है।

†**श्री पाणिग्रही :** इस कुल अनुमानित मांग में से कितना स्वदेशी इस्पात उपलब्ध होगा और कितने इस्पात की कमी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** वर्तमान स्वदेशी उत्पादन इस समय तो १३.५ लाख टन है; परन्तु आशा है कि १९५९ के अन्त तक तथा १९६० के प्रारम्भ तक यह उत्पादन बढ़ जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रश्न यह था कि वास्तविक मांग कितनी है और उसे पूरा करने में कितनी कमी रह जायगी।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैंने वे आंकड़े दे दिये हैं। बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र की कुल मांग २३ लाख टन है, और उपलब्धि कम है। पहले से ही यह नहीं बताया जा सकता कि कुल उपलब्धि कितनी होगी, क्योंकि यह किसी विशेष समय की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति पर निभर करती है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती :** स्वदेशी संभरण की क्या स्थिति है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस्पात की कमी के कारण कितने छोटे कारखानों के बन्द हो जाने का डर है, और उनकी सहायता के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कारखानों को यद्यपि मांग से कम भी कोटा मिले, तो भी उनमें से कोई भी बन्द न होने पावे।

†**श्री हेम बरूआ:** क्या सरकार को ज्ञात है कि बम्बई के राष्ट्रीय निर्माण संघ ने हाल ही में अमरीका के निर्माता संघ से यह प्रार्थना की है कि वह दीर्घकालीन आधार पर २० लाख टन इस्पात उधार के रूप में दें; और यदि हां, तो वह बातचीत इस समय किस अवस्था में है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह प्रश्न तो इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहती हूं। श्री पाणिग्रही द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने यह बताया है कि देश से तो १३ लाख टन इस्पात प्राप्त हो सकेगा और मांग २.२३ लाख टन की। तो फिर कमी किस कारण से है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य भ्रम में हैं। १३ लाख टन का तो वार्षिक उत्पादन है। २३ लाख टन तो सारी योजना अवधि के लिये है।

†**श्री सूपकार :** क्या भिलाई और रूरकेला के कारखाने द्वितीय योजना की अवधि से पहले ही तैयार हो जायेंगे, क्या २३ लाख टन की कुल मांग में से कुछ भाग सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों द्वारा पूरा किया जा सकेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, हां। इसका कुछ भाग पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने बताया है, भारत में इस्पात के उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रश्न इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय से पूछे जायें। वे इसका अधिक ठीक उत्तर दे सकेंगे।

†**श्री दासप्पा :** क्या पुराने आयातकर्ताओं के अतिरिक्त वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के मामले के रूप में लिया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** अधिकांश इस्पात वास्तविक उपभोक्ताओं को ही आवंटित किया जाता है। उद्योग के लिये आवंटन कार्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस मन्त्रालय के विकास विंग को लोहा तथा इस्पात कन्ट्रोलर से बहुत सा कोटा मिलता है और यह कोटा वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही आवंटित किया जाता है।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या माननीय मंत्री द्वारा बतायी गयी २३ लाख टन की मांग केवल इसी वर्ष के लिये है, अथवा योजना की शेष सम्पूर्ण अवधि के लिये ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे इस प्रश्न का पहले उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : २३ लाख टन शेष ३ वर्षों के लिये हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इस बात का भी अनुमान लगाया गया है कि कुटीर उद्योगों के लिये कितने इस्पात की आवश्यकता होगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, नहीं उनके लिये छोट पैमाने के उद्योग विकास आयुक्त को तथा विभिन्न राज्यों को अलग कोटा एलाट किया जाता है। विकास आयुक्त के रजिस्टर में जिन लघु उद्योगों के नाम दर्ज हैं, उन्हें आयुक्त से कोटा मिलता है। वे छोटे यूनिट जिनके नाम रजिस्टर में नहीं हैं, उन्हें अपना कोटा राज्य सरकारों से प्राप्त होता है।

†**श्री विमल घोष** : मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रतीत होता है कि आगामी तीन वर्षों में स्वदेशी स्रोतों से ३९ लाख टन से अधिक इस्पात उपलब्ध हो सकेगा। संभारित क्षेत्र की कुल मांग २३ लाख टन होगी। परन्तु इस्पात की कुल कितनी मांग होगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : चालू वर्ष में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये लगभग ९ लाख टन इस्पात की आवश्यकता है। परन्तु वह विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिया जाता है। रेलवे, प्रतिरक्षा तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों को अलग अलग कोटा मिलता है, और जब भी उनके लिये किन्हीं फैक्टरियों द्वारा कोई काम किया जाता है, वह इस्पात उन फैक्टरियों को बांट दिया जाता है।

†**श्री नाथ पाई** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना और कितनी कीमत का स्ट्रक्चरल स्टील आयात किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

खाल उतारने के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र

†*१४४२. **श्री रा० च० माझी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाल उतारने और उन्हें तैयार करने के लिये लखनऊ तथा दिल्ली में आदर्श प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है। केन्द्र में प्रतिवर्ष ६० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्विति की जा रही एक योजना के अनुसार स्थानीय चमड़ा उतारने वालों को प्रशिक्षण देने के लिये एक सहकारी समिति से प्रबन्ध किया गया है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में

४० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध है। इस योजना के अधीन अभी तक ३८ स्थानीय चमड़ा उतारने वालों को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया है।

दिल्ली में शीघ्र ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। आशा है कि उस में प्रति वर्ष १८० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। दिल्ली में भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तीय सहायता से भी खाल तथा चमड़ा उतारने के लिये एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

†**श्री रा० च० माझी** : इस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और इसमें से केन्द्र द्वारा कितना खर्च वहन किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में एक प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है। दिल्ली में दो योजनायें मंजूर की गयी हैं जिनके लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सहायता दे रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहते हैं कि उन पर लगभग कितना खर्च आयेगा और उनमें से कितना भाग केन्द्र द्वारा और कितना राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

†**श्री सतीश चन्द्र** : केन्द्रीय सरकार तो उस प्रकार की कोई भी सहायता नहीं देती। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ही इसके लिये सहायता देता है।

†**श्री रा० चं० माझी** : अभ्यर्थियों का चुनाव कैसे किया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दो सहकारी संस्थायें, जो कि दिल्ली में ये केन्द्र चला रही हैं, स्वयं ही अभ्यर्थियों को चुनती हैं। जहां तक लखनऊ के केन्द्र का सम्बन्ध है, उसके लिये चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योग निदेशालय करता है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इन केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों के लिये क्या क्या अर्हतायें अनिवार्य हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अर्हतायें आदि तो उन सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो कि उन केन्द्रों को चलाती हैं। उन्होंने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से कुछ वित्तीय सहायता मांगी थी, और वह सहायता दे दी गयी है। दिल्ली की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपयुक्त अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं। हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : देश में और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की कुल कितनी प्रशिक्षण संस्थायें हैं और जो व्यक्ति वहां के प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना व्यापार प्रारम्भ करना चाहें उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विवरण से यह ज्ञात होगा कि इस प्रकार की केवल तीन ही प्रशिक्षण संस्थायें हैं जिन्हें खादी आयोग द्वारा सहायता दी गयी है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कानपुर तो इतना बड़ा केन्द्र है परन्तु उसे क्यों छोड़ दिया गया है और वहां पर इस प्रकार का कोई केन्द्र क्यों नहीं प्रारम्भ किया जाता ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं जानता हूं कि कानपुर चमड़े की वस्तुयें तैयार करने का एक केन्द्र है। परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वह स्थान चमड़ा उतारने का भी केन्द्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इन कार्य के व्यवसायी लोगों को कोई विशेष अधिमान दिया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह तो स्वाभाविक है। प्रशिक्षण के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो कि पहले से ही इस व्यवसाय में लगे हुए हैं।

†**श्री बेंकटा सुब्बैया** : क्या प्रथम अधिमान उन अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनकी सिफारिश कुटीर उद्योग सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दो सहकारी संस्थाओं को खादी आयोग ने सहायता दी है और एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं चलायी जा रही है।

नाहन फाउंडरी (प्राइवेट) लिमिटिड

†*१४४३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहन फाउण्ड्री (प्राइवेट) लिमिटिड की उत्पादन क्षमता का सर्वेक्षण करने तथा उसे आधुनिक रूप देने की सम्भावना की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वे सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) अभी तक किन किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण में ३० सिफारिशों का उल्लेख है। उसमें यह भी बताया गया है कि उन सिफ़ारिशों की कार्यान्वित पर विचार करना निदेशकों के बोर्ड का काम है। निदेशकों के बोर्ड द्वारा किन-किन सिफ़ारिशों पर विचार किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विवरण में सभी सिफ़ारिशों तथा उनके निर्णयों का सार दिया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को बड़ी देर तक निलम्बित रखा गया था; और यदि हां, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उसे निलम्बित नहीं रखा गया था। सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। परन्तु उसके बारे में कार्यवाही तो नाहन फाउण्ड्री का निदेशक बोर्ड ही कर सकता था। सरकार ने उसकी प्रत्येक प्रस्थापना पर अलग अलग विचार करने और वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिये लिखा है।

†**श्री हेडा** : क्या फाउण्ट्री अभी भी घाटे पर चल रही है अथवा उससे लाभ होना आरम्भ हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इससे तो पिछले दो वर्षों से लाभ की प्राप्ति हो रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप इसमें जो ज्यादा रुपया लगाया जायगा, क्या केन्द्रीय सरकार उस पूंजी की व्यवस्था करेगी और वह पूंजी लगाने के बाद उस का उत्पादन कितना बढ़ जायगा ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** यही कम्पनी से कहा गया है कि वह इस बात का हिसाब-किताब लगाये कि उस को कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी और अगर उस को और रुपए की ज़रूरत हो, तो वह सरकार से कहे। जब उस के एस्टीमेट आ जायेंगे, तो उन पर ग़ौर किया जायगा ।

†**श्री दासप्पा :** क्या सरकार ने मद संख्या ३० में की गयी सिफ़ारिश के अनुसार फाउण्ड्री के विस्तार के लिये बोर्ड को कोई अतिरिक्त राशि दी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सरकार ने इन सभी सिफारिशों को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया है, और उनके बारे में निदेशक बोर्ड को लिख दिया गया है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें स्वीकार कर लेने के बाद क्या बोर्ड को कोई राशि दी गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** बोर्ड ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उन्हें कितनी राशि की आवश्यकता है ?

पटसन से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात

+

†*१४४४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ में भारतीय पटसन निर्माता संस्था और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पटसन की वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों में कुछ फर्क है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो).** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : दोनों आंकड़ों में क्या क्या फर्क है ?

†**श्री कानूनगो :** यह तो प्रश्नकर्त्ता को पता होना चाहिये ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्नकर्ता द्वारा कोई फर्क देखा गया होगा तभी तो उन्होंने प्रश्न पूछा है। इसलिये उन्हें पता होना चाहिये कि फर्क कितना है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं तो माननीय मंत्री से प्राधिकृत जानकारी चाहती हूं ।

†**श्री कानूनगो :** भारतीय पटसन निर्माता सन्था के प्रतिवेदन के अनुसार, उत्पादन १०,७६,६०० टन है, जबकि मन्त्रालय के अनुसार यह १०,९६,२४८ टन है । पहली जानकारी के अनुसार निर्यात के आंकड़े ८५९,६०० टन हैं और दूसरी जानकारी के अनुसार वह ८४८,००० टन हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या करघों की अधिकतम सीमा का निर्णय भारतीय पटसन निर्माता सन्था के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, अथवा सरकारी आंकड़ों के आधार पर ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक कुल करघों का सम्बन्ध है निर्णय सरकारी आंकड़ों के आधार पर किया गया है ।

खालों और चमड़े का नीलाम

†*१४४५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खालों और चमड़े को इंग्लैण्ड में नीलाम करने के स्थान पर उनका भारत में नीलाम करने के सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में वाणिज्य संघ, खालों के व्यापारियों और जहाज़ स्वामियों से विचार मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विचार प्राप्त हुए हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रश्न पर १२ तथा १४ अप्रैल, १९५८ को एक बैठक में विचार किया गया था जिस में देश की महत्वपूर्ण चमड़ा सन्थाओं, चमड़ा कमाने वालों और खालों तथा चमड़े के निर्यातकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था ।

(ग) उनका मत यह था कि क्योंकि इस में वित्तीय तथा अन्य समस्यायें निहित हैं, इसलिये हमें सावधानी से आगे कदम रखना चाहिये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या सरकार इस व्यापार को राज्य व्यापार निगम के अधीन लेगी ताकि इसे पूर्णतः खत्म होने से—जिसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं—रोका जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : व्यापार तो जितना हो सकता है, चल रहा है, परन्तु इस उद्योग की कठिनाई यह है कि अच्छी किस्म का कच्चा सामान उपलब्ध नहीं होता ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्योंकि यह व्यापार समाप्त हो रहा है—इसके लक्षण नज़र आ रहे हैं—क्या सरकार इसे राज्य व्यापार निगम के अधीन ले लेगी ताकि इस से लाभ प्राप्त हो सके ?

† **श्री कानूनगो** : इस व्यापार के पूर्णरूपेण समाप्त हो जाने का कोई खतरा नहीं है । यह व्यापार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यथासंभव अच्छी प्रकार से चल रहा है । वर्तमान समय तो विश्व में वस्तुओं के व्यापार के लिये लाभकारी नहीं है, फिर भी खालों और चमड़े का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है ।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : मद्रास में एक नीलाम कक्ष स्थापित करने के सम्बन्ध में की गई प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्री कानूनगो** : संगठित व्यापार संस्थाएं इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि मद्रास में इसके लिये धन उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में निर्णय करने में अभी कितना समय लगेगा ? क्या कच्ची खालों तथा चमड़े के अधिकतम मूल्य निर्धारित किये जायेंगे ताकि इस व्यापार में लाभ प्राप्त किया जा सके ?

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न तो निर्यात के सम्बन्ध में है, इसके मूल्य खरीदने वालों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, बेचने वालों द्वारा नहीं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** मैं कच्ची खालों और चमड़े के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

†**श्री कानूनगो :** भारत में कच्ची खालों और चमड़े की कीमतों पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना नहीं है ।

मद्रास राज्य में हथकरघा सहकारी समितियां

†*१४४६. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की हथकरघा सहकारी संस्थाओं से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें छूट के रूप में दी जाने वाली बहुत सी राशि अभी तक अदा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शीघ्रता से अदायगी के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या हथकरघा सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर उधार सम्बन्धी सुविधायें देने की कोई प्रस्थापना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** कितने समय के अन्दर छूट अदा की जाती है और क्या यह स्टाक के समाप्त हो जाने के बाद अदा की जाती है या कि एक वर्ष बाद ?

†**श्री कानूनगो :** यह तो अलग अलग राज्य पर निर्भर करता है । यह राशि राज्यों को दे दी जाती है और राज्य स्वयं उसे बांटते हैं ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी है कि वस्तुओं के बिक जाने के एक वर्ष बाद भी अभी तक सहकारी समितियों को छूट की राशि नहीं दी गयी है ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैंने बताया है, राज्य सरकारों या सहकारी समितियों से इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं आयी है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को ये हिदायतें भेज दी गयी हैं कि यह राशि शीघ्र ही अदा कर दी जाये ?

†**श्री कानूनगो :** खाते प्राप्त होते ही और राज्यों से उनके सम्बन्ध में मांगें उपलब्ध होते ही, राशि अदा कर दी जायेगी ।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार :** हथकरघा संस्थाओं को छूट सम्बन्धी कितनी राशि देनी रह गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं यही तो बता रहा हूं कि इस समय ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिस के लिये राशि अदा करनी रहती हो ।

†**श्री तंगामणि** : प्रत्येक करघे के लिये कितना ऋण दिया जाता है, क्या २०० रुपयों का ऋण दिया जाता है; और यदि हां, तो क्या यह सभी करघों के लिये उपलब्ध होगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह तो हथकरघा क्षेत्र में किसी अन्य योजना के बारे में जानकारी मांगी जा रही है । प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध तो छूट (रिबेट) से है । इस के बारे में माननीय सदस्य यदि अलग पूर्व सूचना दें तो मैं उत्तर दे सकूंगा ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न के (ग) भाग में मैंने यह पूछा था कि क्या हथकरघा सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर उधार सम्बन्धी सुविधायें दी जायेंगी । मुझे यह ज्ञात हुआ है कि ८० रुपयों से २०० रुपयों तक की राशि दी जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस बारे में सीधा प्रश्न पूछें ।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक एक करघे के लिये कितना ऋण दिया जाता है और क्या वह ऋण २०० रुपयों का है या कि कम है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : परन्तु मेरा मूल प्रश्न ही उधार सुविधाओं के बारे में है ।

†**श्री कानूनगो** : यह बहुत व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि हथकरघा बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि उधार सम्बन्धी सुविधायें प्रत्येक राज्य में अलग अलग होनी चाहियें । क्या यह सच नहीं है कि प्रति करघों के लिये अधिकतम सीमा ३०० रुपये है और कुछ एक राज्यों में अधिकतम सीमा १०० रुपये है ? क्या ये अनुदान स्थानीय सरकारों की सिफारिशों पर निर्भर करते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इस सम्बन्ध में इस समय कोई जानकारी नहीं है । इसलिये, यह प्रश्न राज्य विशेष या परियोजना विशेष से पूछा जाये ।

लोहा तथा इस्पात का सामान तैयार करने के लिये फैक्ट्रियां

†*१४४७. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि नासिक, जलगांव, कोल्हापुर और रत्नगिरि में लोहा तथा इस्पात का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियां स्थापित की जायें;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या बम्बई राज्य में इस प्रकार की कोई फैक्टरी पहले ही चल रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां; बम्बई में १,६८९ इस्पात विधायन कारखाने[1] हैं, जिनमें छोटे उद्योग तथा कुद्रीर उद्योग क्षेत्र के कारखाने भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री जाधव** : ये फैक्ट्रियां बम्बई राज्य के किस किस भाग में हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बड़े यूनिट तो बम्बई नगर के आस पास ही केन्द्रित हैं, परन्तु ये फैक्ट्रियां सारे राज्य में छाई हुई हैं ।

†**श्री जाधव** : क्या इस क्षेत्र के विस्तार न करने का एक कारण यह है कि इसके लिये कच्चा सामान उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य ने बम्बई राज्य में स्थापित की जाने वाली चार फैक्ट्रियों के बारे में पूछा है, और उसका उत्तर नकारात्मक दे दिया गया है । जब गैर-सरकारी पार्टियां उसके लिये प्रार्थना करेंगी, उस समय परिस्थितियों को देखते हुए उन पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री जाधव** : क्या एक गैर सरकारी पार्टी ने नासिक में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है और क्या सरकार ने उस प्रार्थना पर विचार किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि वे इस बारे में निश्चित जानकारी चाहते हैं तो वह एक पृथक् प्रश्न के लिये पूर्व सूचना भेजें ।

आसनसोल की गैसयुक्त खानें

†*१४४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के थाना आसनसोल के निसचिन्ता नामक ग्राम में गैस से युक्त एक कुएं में हाल ही में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ख) क्या उसके आस पास राना और पोरिहाटी में खानें गैस की तहों से युक्त हैं;

(ग) क्या खानों की छतों में दरारें आदि पड़ गई हैं; और

(घ) क्या कुएं में गैस प्रवेश कर गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) जी हां ।

(ख) राना और पोनियाती दोनों की तहें कुयें के ठीक नीचे स्थित हैं । यद्यपि पोनियाती तह गैसयुक्त है किन्तु राना तह जो उसके ऊपर है गैसयुक्त नहीं है ।

(ग) ग्राम और कुयें के नीचे पड़ने वाली तहों के गलियारे की छतों में दरारें पड़ने का पता नहीं चला है ।

(घ) कुयें के नीचे पड़ने वाले ज़मीन के धरातल से नीचे कार्य करने के स्थान से होकर कुयें में गैस प्रवेश करने का पता नहीं चला है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं और क्या कोई जांच की गई है और यदि की गई है तो किसके द्वारा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जांच की गई थी और यह पता लगा था कि यह खनिज दुर्घटना नहीं थी । सामान्य पूर्वोपाय पहले से ही किये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steel Processing Factories.

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या हम यह समझें कि जिन पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई वह स्वाभाविक मृत्यु थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उनकी मृत्यु तो दुर्घटनावश हुई है जिसका कारण कार्बन डाईआक्साइड का असाधारण मात्रा में पाया जाना था और जिसका खान की गैस से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** खानों के बारे में कुछ सुरक्षा सम्बन्धी नियम हैं जिनका खान के मालिकों द्वारा उन तहों में पालन किया जाना आवश्यक है जिनमें गैसें पाई जाती हैं । इस मामले के बारे में संसदीय सचिव का यह कहना है कि उनकी मृत्यु कार्बन डाईआक्साइड के कारण हुई । क्या समिति की उपपत्ति यह है कि वहां वायु नहीं थी ? समिति की अन्य उपपत्तियां क्या थीं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** खान विभाग के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा एक नियमित रूप से जांच की गई थी जिससे यह पता लगा था कि कुछ महीनों से कुआं इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था और कुयें का उन तहों से कोई सम्बन्ध नहीं है जो कुयें के ठीक नीचे स्थित हैं । वहां पर तीन तहें हैं । यद्यपि पोनियाती और पोरिधती गैसयुक्त हैं और वे बहुत नीचे हैं जब कि राना तह गैसयुक्त नहीं है । अतः यह पता लगा था कि कुयें अथवा दुर्घटना का खनिज से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

†**श्री बोस :** क्या गैसयुक्त कोई भी तह कुयें के पास तक जाती है अथवा नहीं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी नहीं ।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या विभाग ने इस बात की जांच की कि गैस में पानी के कारण बुलबुले उठ रहे थे क्योंकि माननीय मंत्री ने बताया था कि तह कुयें के नीचे थी और इस कारण वहां कुछ पानी रिसता रहा हो ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी नहीं, कुयें के नीचे वाली तह गैसयुक्त नहीं है इसके अतिरिक्त उसमें दरारें भी नहीं हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या परिवार वालों को पूरा मुआवजा दिया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सामान्य दुर्घटना थी अतः मुआवजे का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिक्कों की दशमिक तथा बाट व माप की मीट्रिक प्रणाली

†*१४४९. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालेजों में पढ़ाये जाने के लिये गणित की पुस्तकों को सिक्कों की दशमिक तथा बाट व माप की मीट्रिक प्रणाली के आधार पर छपवाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मामले की क्या स्थिति है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री नतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). गणित की वर्तमान पुस्तकों में मीट्रिक प्रणाली पर अध्याय शामिल हैं । हां अब गणित के अध्ययन में इस पर और अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

ज़ोर देने की आवश्यकता है । राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि ज्यों ही उन्हें पुस्तकें दुबारा छपवाने की आवश्यकता होगी वे पुस्तकों का पुनरीक्षण करेंगी । इस बीच अध्यापकों को मीट्रिक प्रणाली पर अधिक ध्यान दिलाने का परामर्श दिया गया है । अध्यापकों के लिये एक निर्देशिका तैयार कर ली गई है जो सार्वजनिक शिक्षा के राज्य निदेशकों द्वारा सभी उच्चतर स्कूलों को भेज दी गई है । प्राइमरी स्कूलों में उपयोग के लिये निर्देशिका का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या भारत सरकार द्वारा इस प्रणाली को लागू करने में शीघ्रता करने के लिये कोई निदेश जारी किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी हां । जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं--सारे उत्तर में वही बात कही गई है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये हम ने एक निर्देशिका छपवाई है जो सारे भारत में वितरित कर दी गई है । इस बात पर सभी राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं कि ज्यों ही पाठ्य-पुस्तकों पर पुनरीक्षण किया जायेगा इस प्रणाली को धीरे-धीरे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा ।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार को विदित है कि सम्बन्धित संस्थाओं में मीट्रिक प्रणाली लागू करने में वित्त भी अन्तर्ग्रस्त होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पाठ्य-पुस्तकों को एकदम तो बदला नहीं जायेगा । जैसा कि मैं बता चुका हूं मीट्रिक प्रणाली पर उनमें धीरे धीरे जोर दिया जायेगा जब-जब उनको दुबारा छपाया जायेगा ।

†**श्री सूपकार** : क्या बाट और पैमाने की मीट्रिक प्रणाली लागू करने से पहले भी विश्व-विद्यालयों और शिक्षा बोर्डों ने छात्रों के मस्तिष्कों में गणित सम्बन्धी अनेक जटिल समस्यायें पैदा कर दी हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अब अगला प्रश्न लेंगे ।

निर्मित पदार्थों का मूल्य

†*१४५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित पदार्थों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कोई प्रभावपूर्ण उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में श्रम व्यापार तथा औद्योगिक संगठनों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से पता लगता है कि सरकार ने कुछ कार्यवाही की है । जो कार्यवाही की गई है उसके परिणामस्वरूप क्या निर्मित पदार्थों के मूल्य निर्देशकों में कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है? यदि हां तो कहां तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पिछले कुछ महीनों में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है, और यह सत्य है कि पिछले चन्द महीनों में मूल्य बढ़ गये हैं। इसका कारण कच्चे माल विशेषकर जैसे इस्पात, तांबा, पीतल आदि की कमी है और जब तक इस कच्चे माल का संभरण पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता तब तक मूल्य पर नियंत्रण रखवाना वास्तव में कठिन होगा। हम कंट्रोल जारी कर सकते हैं किन्तु वह पूर्णरूपेण राशनिंग और कंट्रोल होना चाहिये। जो उद्योग काफी फैले हुये हैं उन पर खाद्यान्नों की भांति कंट्रोल लगा पाना संभव नहीं है। खाद्यान्नों के बारे में माननीय सदस्य को भली भांति विदित है कि ज्योंही यह लागू किया जाता है त्यों ही खाद्यान्नों की कमी और अभाव हो जाता है। ठीक यही दशा इसकी भी हो जायेगी। अतः सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये और जो पदार्थ हम अपने देश में नहीं तैयार कर सकते उसे हमें आयात करना चाहिये।

मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि हमारी आगामी लाइसेंस नीति क्या होगी। हम शीघ्र ही इस बारे में निर्णय करने वाले हैं क्योंकि लाइसेंस का काल १ अक्तूबर से आरम्भ होता है। इस कारण उन कच्चे माल के आयात के लिये जो अत्यन्त आवश्यक हैं, अभी से अधिक राशि नियत कर ली जाये। मैं समझता हूं कि इससे स्थिति सरल हो जायेगी किन्तु इस सम्बन्ध में इस समय मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†**श्री श्रीनारयण दास** : कुछ आवश्यक पदार्थों के वर्तमान मूल्य पिछले वर्ष इसी काल की तुलना में कैसे थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ठीक-ठीक आंकड़े नहीं बता सकता किन्तु एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कारखाने के स्तर पर जहां वस्तुओं का निर्माण होता है, हमने मूल्यों पर नियंत्रण लगाया हुआ है और मैं बताना चाहूंगा कि इसका श्रेय निर्माताओं, मिल अथवा कारखाने मालिकों के मालिकों को प्राप्त है। मेरे पूर्वगामी द्वारा उनसे एक अपील की गई थी और औद्योगिक मंत्रणा परिषद् के संबंध में मैंने भी यही किया था तथा उनका उत्तर काफी सन्तोषजनक रहा है किन्तु उसके थोक अथवा फुटकर विक्रेता के पास पहुंचने पर कभी-कभी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों के साथ ही उत्तर भी संक्षिप्त होने चाहियें। प्रश्न काल में इतने लम्बे-चौड़े उत्तर हमारे लिये असुविधाजनक हो जाते हैं। यदि वे नीति संबंधी अथवा अन्य मामलों से संबंधित हों तो उन्हें यहां नहीं बताया जाना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह बात स्वीकार की कि कुछ कीमतें बढ़ी हैं। क्या इस बात का भी कुछ पता लगाया गया है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वह माल की कमी की वजह से बढ़ रही हैं या होर्डिंग की वजह से भी बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जो आयात के लाइसेंस दिये जाने वाले हैं, उन के बारे में क्या गवर्नमेंट इस बात पर भी विचार कर रही है . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न बड़े नहीं होने चाहियें ; मैंने जब पहले यह कहा था तो मैं ऐसी ही आशा रखता था ?

सेठ गोविन्द दास : मैं दो सवाल पूछ रहा था, इसलिये कुछ लम्बा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो सवाल तो पूछने ही नहीं चाहिये, एक वक्त में एक सवाल पूछा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : दोनों सवाल एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, इस लिये दोनों पूछ रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले एक सवाल पूछिये।

सेठ गोविन्द दास : मैं पहले जो सवाल पूछ रहा था वह यह था कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वह माल की कमी की वजह से बढ़ी हैं या कि हार्डिंग की वजह से ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जाहिर है कि माल की ही कमी है, उस के कारण। मैं जवाब बहुत खफीफ सा दे रहा हूं ?

श्री सिंहासन सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन की अपील के परिणामस्वरूप भावों में कमी हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि जो कमी हुई है उस का क्या अनुपात है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने कीमत में कमी की बात नहीं कही थी। मैं ने यह कहा था कि मैनुफैक्चरर्स जो माल बनाते हैं उन के दाम उन्होंने नहीं बढ़ाये हैं। जो कीमत थी, उतनी ही है।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि आगे के आयात के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि कुछ लाइसेंस दिये जायें, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि ऐसे ही माल के आयात के लिये लाइसेंस दिये जायें, जिन के बिना हमारे यहां काम नहीं चल सकता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, इस का पूरा ख्याल रक्खा जायेगा।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा निर्मित पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण लगाने के लिये शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और क्या उसे ऐसा करने के लिये केन्द्र द्वारा आवश्यक अनुमति दे दी गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे खेद है कि इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रा० क० वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उत्पादन का मूल्य बढ़ता जा रहा है उसका एक कारण यह भी है कि उद्योग के संचालक लोग जो रा मैटीरियल है उसकी वजह से ज्यादा क़ीमत बताते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ठीक सवाल समझा नहीं और अगर जो मैं समझा हूं उसके मुताबिक़ जवाब दूं तो मुझे डर है कि मेरा वह जवाब लम्बा न हो जाये इसलिए बेहतर तो यह होगा कि माननीय सदस्य अपना सवाल फिर से दुहरा दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रयुटाइल (रंजारिज) का औद्योगिक उपयोग

†*१४३२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देशी र्‌युटाइल (रंजारिज) का कोई औद्योगिक उपयोग भी होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में र्‌युटाइल (रंजारिज) के औद्योगिक उपयोग में वद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

देशी र्‌यूटाइल (रंजारिज) का अधिकतर इस्तेमाल आर्क वेल्डिग इलेक्ट्राडस के निर्माण में किया जाता है। इस खनिज का इस्तेमाल मिट्‌टी के बर्तन बनाने के उद्योग में भी अम्ल प्रतिरोधक अपारदर्शकता में सुधार करने में तथा चीनी मिच्‌टी के बर्तनो पर चित्रकारी एनेमिल करने में तथा मिट्‌टी के बर्तनों को चमकीला कर उनमें क्रीम रंग करने के लिये किया जाता है। इसके अलावा र्‌युटाइल का इस्तेमाल बिजली के इंस्युलेटर बनाने तथा कुछ प्रकार के एमरी कागज (रेगमाल) में तथा बाल मिल्स में लाइनर के रूप में किया जाता है।

सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्‌यूट, कलकत्ता, में बोरोन-फ्री ग्राउंड कोट तथा रंग-बिरंगी चित्रकारी करने के लिये शुद्ध टिटेनियम आक्साइड के बदले देशी र्‌युटाइल इस्तेमाल करने की गवेषणा की गई है जिसका परिणाम उत्साहवर्द्धक निकला है। राष्ट्रीय भौतिक—प्रयोगशाला, नई दिल्ली, में जो जांच-पड़ताल की गई है उससे भी यही पता लगता है कि रेडियो तथा इलेक्ट्रानिक सामान के लिये सिरेमिक केपेसिटर्स बनाने में इसको शुद्ध किये बिना इसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है ? प्रयोगशाला ने "सिरेमिक केपेसिटर्स" को पेटेण्ट करा लिया है जिससे भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा वाणिज्यिक आधार पर निकाल कर उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात से आय

†*१४३४. **श्री त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में भारत के लिये निर्यात से कितनी आय निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** कोई भी लक्ष्य न तो निर्धारित किया गया है और न निर्धारित किया जा सकता है। किन्तु सरकारें निर्यातकों को निर्यात में कमी होने से रोकने तथा विश्व के रुख को देखते हुए उसके अनुरुप निर्यात से आय बढ़ाने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत को डालर क्षेत्रों से आय

†*१४३५. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के डालर क्षेत्र के निर्यात को हाल ही में ब्राजील की सरकार द्वारा अतिरिक्त निर्यात से लाभांश की घोषणा की जाने से खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अतिरिक्त लाभांश की घोषणा जून, १९५८ में ही की गई थी। अतः डालर क्षेत्र में भारत के निर्यात व्यापार का क्या प्रभाव पड़ेगा यह अभी नहीं जाना जा सकता ।

त्रिपुरा में पुनर्वास योजनायें

†*१४३७. **श्री दसरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग द्वारा धान कूटने, घानी चलाने और बीड़ी बनाने की जो योजनायें जारी की गई थीं वे सफल नहीं सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा प्रशासन द्वारा की गई जांच-पड़तालों से पता लगता है कि उस पर लगाया गया यह आरोप कि धान, कूटने, धानी और बीड़ी संबंधी योजनाएं सफल नहीं हुईं, गलत है। धान कूटने और धानी की योजनाएं सन्तोषजनक सिद्ध हुई हैं। जहां तक बीड़ी की योजना का संबंध है, कुछ उत्पादन एककों को लाभ हुआ है तो कुछ को हानि भी हुई है। त्रिपुरा प्रशासन इस योजना को कार्यान्वित करने में सुधार करने के लिये कार्य कर रहा है ।

औद्योगिक योजनायें

†१४३८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केवल उन्हीं और औद्योगिक योजनाओं पर स्वीकृति दी है जिनसे विदेशी पूंजी की सहायता से केवल पूंजी गत वस्तुओं का आयात किया जा सकेगा ;

(ख) क्या इससे देश के औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या २०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा उद्योग

†*१४३९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नारियल जटा उद्योग में मशीन से काम लेने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता

†*१४४१. **श्री चाण्डक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है अथवा घटती जा रही है ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में कोई भारतीय फिल्में डालर वाले देशों में वाणिज्यिक दृष्टिकोण से दिखाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) विदेशों में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती हुई जान पड़ती है ?

(ख) और (ग). १९५७ और जनवरी–जून, १९५८ में डालर वाले देशों में क्रमश: १,२५,००० रुपये और २०,००० रुपये के मूल्य की भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है ।

मूंगफली की खली का निर्यात

†*१४५१. { **श्री गोरे** :
श्री जाधव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से १९५५-५६ से लेकर उसके आगे अब तक प्रति वर्ष अलग-अलग कितनी मात्रा में मूंगफली की खली का निर्यात किया गया ; और

(ख) उपर्युक्त काल में निर्यात नीति के बारे में छूट देने के परिणामस्वरूप देश के अन्तर मूल्यों में कितनी वृद्धि हो गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५५ से १९५८ के अन्त तक निर्यात की गई मात्रा निम्न प्रकार थी :—

१९५५ . . .	१०२,०००टन
१९५६	१९,०००टन
१९५७	२६,०००टन
१९५८ (जनवरी–जून) . .	२२,०००टन

(ख) फरवरी, १९५५ में मूल्य १५० रुपये प्रति मन से बढ़कर लगभग ३०० रुपये हो गया है । मूल्य में वृद्धि का कारण तिलहन के मूल्य में सामान्य वृद्धि हो जाना शान पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क का निर्यात

†*१४५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट से लौह अयस्क निर्यात करने के बारे में अन्तिम रूप से क्या प्रबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या राजस्थान से लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने की कोई सम्भावना खोज निकाली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) बम्बई और कन्दला से होकर लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के अलावा पश्चिमी तट के कारवाड़ के छोटे बन्दरगाहों, बेलीकेड़ी, मंगलौर तथा रेडी के पत्तनों को भी लौह अयस्क के निर्यात में इस्तेमाल किया गया है तथा इन पत्तनों पर सड़कों द्वारा अयस्क की यातायात क्षमता भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है।

(ख) और (ग). राजस्थान से लौह अयस्क का और अधिक निर्यात करने की संभावना पर संबंधित मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है।

नारियल जटा उद्योग केन्द्र

†*१४५३. **श्री का० च० जेना** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटीय जिलों में नारियल जटा उद्योग केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न की सरकार ने पूर्ण रूपेण जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये प्रशिक्षण एंव उत्पादन केन्द्रों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के दो केन्द्र एक पुरी जिले के साखीगोपाल में और दूसरा गंज जिले के गोपालपुर में खोलने का प्रस्ताव है। नारियल जटा बोर्ड से परामर्श कर के इस की जांच की जायेगी।

किग्जवे शरणार्थी शिविर

१४५४. †* **श्रीमती सुचेता कृपलानी** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग्जवे शरणार्थी शिविर के निवासियों ने २५ जून, १९५८ को उन के वहां के दौरे पर उन्हें एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उन की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किंग्सवे कालोनी के निवासियों द्वारा उठाई गई बातों के संबंध में स्थिति उन्हें बता ी गई है। तब से ले कर अब तक कुछ और नलों की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ और पाखानों की व्यवस्था कर देने के लिये भी आदेश जारी कर दिये गये हैं। किराये में कमी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

कलकत्ता में आकाशवाणी केन्द्र

†*१४५५. **श्री वै० च० मलिक :**
श्री संगण्णा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, कलकत्ता से उड़िया के कार्यक्रम का प्रसारण (समाचार को सम्मिलित कर) हाल ही में बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :)** (क) जी हां।

(ख) उड़िया के कुछ कार्यक्रम जिन में समाचार समिलित हैं, आकाशवाणी, कलकत्ता से प्रसारित किये जाते थे, क्योंकि १ किलोवाट एम० डब्ल्यू० ट्रांसमीटर जो पहले आकाशवाणी कटक में कार्य कर रहा था, सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य के लिये प्रसारण हेतु पर्याप्त नहीं था। इस ट्रांसमीटर के स्थान पर २० किलोवाट एम० डब्ल्यू० ट्रांसमीटर के लग जाने से जो सारी चीजें प्रसारित कर सकता है, कलकत्ता, उड़िया का कार्यक्रम आनावश्यक समझ कर समाप्त कर दिया गया है।

साइकिल रिक्शे

***१४५६. श्री भक्त दर्शन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हाथ से खींचे जाने वाले तथा साइकिल रिक्शाओं के लाइसेंस देने के बारे में जो आदर्श नियामवली राज्य सरकारों को भेजी थी, उस को प्रत्येक राज्य में कहां तक लागू किया गया है; और

(ख) केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों में उसे पूरी तरह लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) सूचना प्राप्त नहीं क्योंकि इन नियमों को लागू करना राज्य सरकारों के जिम्मे है।

(ख) नियमावली केन्द्रीय क्षेत्रों को भेजी जा चुकी है और वहां इस बारे में जरूरी कार्यवाही की जा रही है।

हल्दी का निर्यात

†***१४५७. श्री राम कृष्ण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हल्दी की जितनी मांग है, उत्पादन उस से बढ़ गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो हमारी आवश्यकता से कितनी अधिक मात्रा होती है; और

(ग) विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक जो हल्दी पैदा होती है उस को निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

१. अन्य देशों से समय-समय पर किये जाने वाले विभिन्न व्यापार करारों की निर्यात तालिका में हल्दी का मिला लेना;

२. राज्य व्यापार निगम पूर्वी यूरोपीय देशों में हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही कर रहा है;

३. वाणिज्यिक सचिव हल्दी के लिये अपने अपने देश में विपणन की सम्भावनाओं की खोज कर रहे हैं;

४. काजू तथा काली मिर्च निर्यात संवर्द्धन परिषद् इस का विदेशी बजारों में निर्यात करने के लिये इस का अध्ययन कर रहे हैं;

५. इस के नये इस्तेमाल का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् इस पर टैक्नीकल गवेषणा कर रही है;

६. इस के निर्यात में वृद्धि के लिये एक रजिस्टर्ड निर्यातक एसोसियेशन बनाया जा रहा है ;

७. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा उचित दर पर इसे भंडारों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

८. बिना किसी प्रबन्ध के हल्दी के निर्यात की अनुमति दी जा रही है ।

केरल राज्य में हथकरघा सहकारी समितियां

†*१४५८ **श्री वारियर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक उस राज्य द्वारा हथकरघा सहकारी समितियों के लिये कार्यवाही पूंजी के रूप में इस्तेमाल की जाने के लिये कुछ राशि दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५७-५८ में ४०,००० पये । १९५८-५९ में कुछ नहीं ।

(ख) कार्यवाहक पूंजी ऋण अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टंगस्टन कारबाइड का निर्माण

†*१४५९. **श्री० पी० रा० रामकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टंगस्टन कारबाइड का उत्पादन करने के लिये विदेशी फर्मों से एक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). टंगस्टन कारबाइड के टिप्स और टूल्स का निर्माण करने के लिये एक कारखाने की स्थापना में सरकार के साथ सहयोग करने के लिये दो विदेशी फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन सीमित मात्रा में ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के कारण इस योजना को आगे बढ़ाना संभव नहीं हुआ है। गैर-सरकारी पक्षों को सरकार को स्वीकार्य योजनायें प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत का वैदेशिक व्यापार

†*१४६०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वैदेशिक व्यापार को चीन से होड़ का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन किन वस्तुओं पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और किन-किन विदेशी बाजारों में; और

(ग) इस के फलस्वरूप हमारे निर्यात व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) कपड़ा, मूंगफली का तेल, इंजीनियरिंग का हल्का सामान और कोयला।

(ग) अभी से ठीक-ठीक अन्दाज करना कठिन है ?

पाकिस्तान में क्षेप्यास्त्र[1] और फौजी अड्डे

†*१४६१. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान में नियंत्रित क्षेप्यास्त्र छोड़ने के केन्द्र के निर्माण की खबर की ओर गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के फौजी हवाई अड्डों के धावन मार्गों का विस्तार किया जा रहा है ताकि लड़ाई के काम आने वाले आधुनिक बम वर्षक विमानों को उतरने में सुविधा हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय की खबरें देखी हैं लेकिन उस के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Missiles.

सीमेंन्ट उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड

†*१४६३. **श्री राम कृष्ण :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वाजपेयी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) बोर्ड का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) मजूरी बोर्ड अप्रैल, १९५८ में नियुक्त किया गया था और उन्होंने मई में प्रश्नावली निकाली थी। अब बोर्ड के पास उत्तर आ रहे हैं।

(ख) अभी यह बताना संभव नहीं है कि बोर्ड का काम कब तक पूरा हो जायेगा।

देहरादून जिले में सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना

†*१४६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जिले (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की नई फैक्टरी की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में ३१ अगस्त, १९५८ तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : स्थानीय चूने के पत्थर की अनुपयुक्तता और परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण लाइसेंसधारी ने योजना को आगे नहीं बढ़ाया और लाइसेंस वापस ले लिया गया है।

रेजर ब्लेड

†*१४६५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५८ में ३० जून, १९५८ तक भारत में कितने रेजर ब्लेडो का निर्माण हुआ;

(ख) क्या विदेशी ब्लेडों के आयात पर प्रतिबन्ध लग जाने से भारती ब्लेडों में कुछ सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और इस के फलस्वरूप दामों में कितनी कमी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

१९५६	२,६५,१७६,६२७
१९५७	३३६,४९२,६५०
१९५८ (मई के अन्त तक)	१२१,५८३,९०७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां। लेकिन यह सुधार शायद केवल आयात पर प्रतिबन्ध लग जाने से ही नहीं हुआ ।

(ग) इन में हुए सुधार के बारे में यह बताना संभव नहीं है किस हद तक सुधार हुआ लेकिन यह निश्चित है कि सुधार हुआ है। बिक्री के मूल्यों में तो कोई विशेष कमी नहीं हुई है लेकिन देशी ब्लेड आयात किये गये ब्लेडों से काफी सस्ते हैं ।

अलोह धातुओं की कीमत

†*१४६६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह-धातुओं के भाव समय-समय पर काफी घटते बढ़ते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) जस्ता, तांबा, पीतल और अलुमीनियम जैसी अलौह धातुओं की कीमत किस आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(घ) क्या इन धातुओं के भावों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

रद्दी चाय[1] का उपयोग

†*१४६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी चाय के उपयोग के संबंध में कुछ योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खादी ग्राम उद्योग भवन

†*१४६८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों के खादी ग्राम उद्योग भवनों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों का नियंत्रण करने के लिये नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह नियम क्या हैं; और

(ग) क्या नये नियमों को क्रियान्वित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tea Waste.

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). खादी बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उन्हीं शर्तों व निबन्धनों पर ले लिया था जिन पर वह १-४-१९५७ से पहले कार्य कर रहे थे। उस तिथि के बाद नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर भी यही शर्तें और निबन्धन लागू कर दिये गये हैं।

पुनरीक्षित नियम बनाने के प्रश्न पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

विश्व युवक सभा[1]

†*१४६९. **श्री पाणिग्रही :**
श्री यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व युवक सभा की भारतीय समिति को कोई वित्तीय सहायता दी थी, जिस ने कि दिल्ली में विश्व युवक सभा का सम्मेलन किया था; और

(ख) क्या विज्ञान भवन में सम्मेलन करने के लिये उन्हें भवन के किराये में भी कुछ रियायत दी गई थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। १५,००० रुपया सरकार ने इस सम्मेलन के लिये दिया था।

(ख) उन से सामान्य किराये का आधा लिया गया था।

वाणिज्यिक विवाचन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन[2]

†*१४७०. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५८ में न्यूयार्क में जो वाणिज्यिक विवाचन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, क्या उस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या सम्मेलन में वाणिज्यिक विवाचन सम्बन्धी कोई अन्तिम अधिनियम अथवा अभिसमय स्वीकृत किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस के मुख्य अंग क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) विदेशी विवाचन पंचाटों की मान्यता तथा प्रवर्तन सम्बन्धी अभिसमय के प्रारूप गैर-सरकारी विधि विवादों के निपटारे में विवाचन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये अन्य सम्भव विधानों पर चर्चा की गई थी।

(ग) जी हां, परन्तु यह सम्बद्ध सरकारों के अनुसमर्थन के अधीन।

(घ) अधिनियम की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]World Assembly of Youth.

[2]United Nations Conference on Commercial Arbitration.

भारतीय कपास का निर्यात

*१४७१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय कपास के निर्यात कोटे के बारे में शीघ्र ही घोषणा करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या यहां उत्पादित कपास की भारतीय आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). कपास के सीज़न में अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् जितनी कपास उपलब्ध होती है उसके अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में निर्यात के लिये निर्धारित कोटे की घोषणायें कर दी जाती हैं। निर्यात की इजाजत भारतीय कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अन्य बातों, अर्थात् फसल और मंडी के हालात देख कर ही दी जाती है। इसलिये इस सम्बन्ध में अभी से कुछ कहना सम्भव नहीं है कि किस प्रकार की कितनी कपास के निर्यात की इजाजत दी जायेगी।

उद्जनन कारखाना[1]

†*१४७२. **श्री तंगामणि :**
श्री वारियर :
श्री वें० पं० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्जनन कारखाने स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल सरकार उद्जनन कारखाने को अभी तक डिब्बे बनाने के लिये टीन का कोटा नहीं दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). केरल राज्य के कालीकट में एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में चल रहा है

(ग) जी हां, क्योंकि कारखाने के पास डिब्बे बनाने का कोई संयंत्र नहीं है।

केरल में साइकलों का निर्माण

†*१४७३. **श्री वारियर :**
श्री वें० पं० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को साइकल निर्माण के लिये कुछ कोटा दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hydrogenation Factory.

(ख) यदि हां, तो इन साइकलों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) २०,००० प्रति वर्ष ।

अलौह धातुओं का आयात

†*१४७४. **श्री वें० पं० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में तांबा, जस्ता, अल्युमिनियम इत्यादि अलौह धातुओं का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) निर्माताओं और व्यापारियों के संघों द्वारा वितरण के लिये कितनी मात्रा दी गई ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भी कोई पग उठाया गया कि निर्माताओं को यह उचित दामों पर प्राप्त हो सके ; और यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३**]

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†*१४७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े सार्थों को मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात का कोटा बांट दिया गया है ;

(ख) जिन नये सार्थों को यह निर्यात कोटा दिया गया है, उन के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या नये और छोटे निर्यातकों का कुछ विशेष ध्यान रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ख). गत वर्ष की बांट के आधार पर छोटे बड़े सार्थों को मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात कोटा आवंटित कर दिया गया है ।

(ग) व (घ). ४२ प्रतिशत वाली और इस से नीचे के मैंगनीज़ अयस्क को निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम की मार्फत बेचने के अवसर नये सार्थों को दिये जाते हैं । राज्य व्यापार निगम अपना कोटा बिना कुछ शुल्क लिये उपलब्ध करता है । छोटे निर्यातकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कुल कोटे के ऊपर १० प्रति शत अतिरिक्त बोनस दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये होस्टल

*१४७६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकार के अविवाहित कर्मचारियों के लिये एक होस्टल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह योजना क्या है ; और

(ग) अब यह किस अवस्था में है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). जी, हां ; यह होस्टल अविवाहितों के लिये होगा । यह प्रस्थापना अभी विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय हो जाने पर स्थान इत्यादि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ब्यौरा तय कर लिया जायेगा ।

बम्बई में अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†२४३७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिये बम्बई सरकार ने कितनी धन राशि की मांग की है ;

(ख) इस के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई ; और

(ग) १९५८-५९ में बम्बई सरकार को दिये जाने वाले अम्बर चर्खों की संख्या क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री (लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बम्बई राज्य की एक संस्था तथा दो संविहित बोर्डों को २५०० अम्बर चर्खे दिये हैं ? इस के अतिरिक्त ३००० चर्खे हैदराबाद खादी समिति, हैदराबाद, को दिये गये हैं जिस का सम्बन्ध पुनर्गठित बम्बई राज्य के मराठवाड़ा जिलों के अम्बर चर्खा कार्यक्रम से है ।

इस के अतिरिक्त, बम्बई राज्य की अन्य संस्थाओं को भी अम्बर चर्खे अभी दिये जाने हैं ।

बम्बई राज्य के काम दिलाऊ दफ्तर

†२४३८. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में बम्बई राज्य में खोले जाने वाले काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या क्या होगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : आठ ।

आंध्र प्रदेश में नारियल जटा उद्योग

†२४३९. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में आंध्र प्रदेश में नारियल जटा उद्योग के विकास हेतु, आंध्र सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) क्या उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने कुछ राशि निर्धारित की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां, चालू वर्ष में कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पांच योजनायें प्रस्तुत की गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आंध्र में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये १९५८-५९ में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १.५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जिन योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, उन पर राज्य सरकार जो खर्च करेगी उस के आधार पर केन्द्रीय सरकार अपनी सहायता के अंश को वित्तीय वर्ष के अन्त तक स्वीकृति प्रदान कर देगी।

आंध्र प्रदेश में खादी सहकारी संस्थायें

†२४४०. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आज कल किन-किन स्थानों पर खादी सहकारी संस्थायें विद्यमान हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से इन समितियों को क्या सहायता दी जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) खादी उद्योग के विकास के लिये सहकारी समितियों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की प्रशिक्षण, बिक्री और प्रविधिक सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने का काम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग करता है। रूई खरीदने तथा खादी बनाने और बेचने के लिये आयोग कर्जे भी देता है। यह (१) खादी विक्रय छूट (रिबेट), (२) सरंजाम विक्रय छूट, (३) वस्त्र स्वावलम्बन अर्थसाहाय्य, (४) अभिकर्ता मानदेय, (५) हाथ की कताई के प्रोत्साहन, (६) प्रदर्शिनियों (७) प्रशिक्षण, (८) बुनकरों के पुनर्वास, (९) बिक्री भंडारों की सहायता, (१०) गवेषणा, (११) कलाओं के पुनरुत्थान, (१२) खादी हुन्डियों तथा (१३) कताई प्रतियोगिताओं के लिये अनुदान और अर्थ साहाय्य भी देना है।

'तेजू' उपनगर में जमीन के कटाव का खतरा

†२४४१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लोहित फ्रंटियर डिवीजन के सदर मुकाम 'तेजू' उपनगर को लोहित नदी के जमीन कटाव के कारण भारी खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो 'तेजू' उपनगर को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। 'तेजू' उपनगर के पास के निचले क्षेत्र में तो भूमि कटाव हो चुका है और इस क्षेत्र की अस्थायी प्रकार की कई इमारतों को नदी से भारी खतरा है।

(ख) नगरी को ऊपर के सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। नदी के कारण खतरे वाले नीचे के क्षेत्र की कई एक अस्थायी इमारतों को तोड़ दिया गया है और उन्हें नये स्थानों पर पुनः बनवाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में हस्त-शिल्प का विकास

†२४४२. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास की कुछ योजनाओं को जारी रखने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से ये योजनायें क्या हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

नागा विद्रोही

†२४४३. **श्री न० म० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोहिमा के पास ट्रकों द्वारा नागा विद्रोही इश्तहार इत्यादि बांट रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

चाय का उत्पादन और खपत

†२४४४. **श्री बि० चं० प्रधान** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय के उत्पादन तथा खपत के संबंध में स्थिति क्या है; और

(ख) भारत में कितने रुपयों की चाय प्रति वर्ष खपत होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जनवरी से जुलाई १९५८ के बीच भारत में २९४० लाख पौंड चाय का उत्पादन हुआ जबकि १९५७ के इसी काल में २७४० लाख पौंड उत्पादन हुआ था। इस काल में ६३० लाख पौंड चाय कलकत्ता और कोचीन के आन्तरिक नीलामों में बेची गयी।

(ख) भारत में चाय की खपत २२०० से १९२० लाख पौंड के बीच है। अनुमानतः यह २१०० लाख पौंड फैलती है। इसकी कीमत का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि विभिन्न प्रकार की चाय देश में विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजीबद्ध समवाय

†२४४५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में पंजाब में पंजीबद्ध होने वाले समवायों की संख्या क्या है;

(ख) समवायवाद उन की प्राधिकृत पूंजी कितनी है; और

(ग) उन समवायों की संख्या तथा नाम क्या है जिन का इसी काल में पंजाब में परिसमापन हो गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६]**

फिल्मों का निर्यात

†२४४६. { **श्री राम कृष्ण :** / **सरदार इकबाल सिंह :** / **श्री बि० चं० प्रधान :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ के बीच जिन फिल्मों का प्रदर्शन के लिये विभिन्न देशों में निर्यात किया गया उन के नाम क्या हैं; उन की कीमत क्या है और इस काल में उस से क्या मुनाफा कमाया गया है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इन फिल्मों का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) निर्यात की गई फिल्मों का नाम और उससे प्राप्त हुए मुनाफे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। १९५७-५८ में कुल १,१३,-६३,००० रुपये की फिल्मों का निर्यात हुआ। १-१-५७ से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जिन देशों में फिल्में निर्यात की गयीं उन के नाम यह हैं :

नेपाल, बर्मा, कम्बोडिया, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, इन्डोनेशिया, चीन, अदन, ईरान, लेबनान, फीजी द्वीप, यूनान रूस, इंगलैंड, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, लंका ।

पंजाब में अम्बर चर्खा योजना

†२४४७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में अम्बर चर्खा योजना चालू करने के लिये कितने अनुदान और कर्जे दिये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** १९५७-५८ में पंजाब को अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिये १७,२२,४३५ पये अनुदान के रूप में और २६,५६,९०० रुपये कर्जे के रूप में दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त १९५६–५७ में जो अतिरिक्त कर्जा २,१६,६०० पये का दिया गया था उसे भी नवकृत कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर

†२४४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ मई से ३१ अगस्त १९५८ तक देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम रजिस्टर कराने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १ मई से ३१ जुलाई १९५८ तक १,४६,८६३ की वृद्धि हुई है । अगस्त १९५८ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए ।

प्रतिकर

†२४४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ अगस्त, १९५८ तक) जिन लोगों को प्रतिकर दिया गया है उनकी संख्या क्या है; और

(ख) अब तक दिये गये पुनर्वास अनुदान की राशि कितनी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) ९०,२१९ (इसमें १४०४९ वे भी दावेदार सम्मिलित हैं जिन्हें हिसाब के विवरण भेज दिये गये हैं और १०९७५ वे भी हैं जिन्हें अन्तरिम प्रतिकर दिया गया था और अब उन्हें अन्तिम किश्त प्राप्त हो गई है ।)

(ख) प्रतिकर में पुनर्वास अनुदान भी सम्मिलित है जिसका कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर और पुनर्वास नियम, १९५६ के नियम ९४ में उल्लेख है । ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल ८७.५४ करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप में दिये गये हैं । नियम ९५, ९६, ९७ और ९७-क के अन्तर्गत आने वाले पुनर्वास अनुदान के रूप में कुछ नहीं दिया गया ।

जापान को गया भारतीय लौह अयस्क प्रतिनिधि मंडल

†२४५०. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में जापान जाने वाले भारतीय लौह-अयस्क प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं जो कि वहां ७५ लाख टन भारतीय लौह अयस्क के संभरण के सम्बन्ध में बातचीत करने गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : श्री बी० के० कोछर और डा० एस० एन० सेन ।

राजस्थान में जागीरों का पुनर्ग्रहण

†२४५१. **श्री वाजपेयी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अधिकारियों ने जिन से कि जागीर समस्या तथा अन्य ऐसे प्रश्नों की जांच करने के लिये कहा गया था जिनका कि सम्बन्ध राजस्थान में जागीरों के पुनर्गहण से है, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्होंने राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वे संशोधन क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं। आशा है कि वे प्रतिवेदन राजस्थान सरकार द्वारा एकत्रित की गयी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अक्तूबर १९५८ तक प्रस्तुत कर देंगे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वाराणसी के पास सोडा एश कारखाने की स्थापना

†२४५२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के पास एक सोड एश कारखाना स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं, कारखाने का निर्माण हो रहा है और आशा है कि १९५९ के अन्त तक उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की भी वित्तीय सहायता नहीं दी गयी।

बम्बई की सूती कपड़ा मिलें

†२४५३. **श्री कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई नगर की कुछ सूती कपड़े की मिलें बन्द कर दी गई हैं अथवा उन का परिसमापन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में बन्द हो वाली इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस के कारण क्या हैं; और

(घ) इस का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). बम्बई नगर में १९५७ के बाद से बन्द होने वाली मिलों के नाम और उन के बन्द होने के कारण तथा इस का रोजगार पर प्रभाव का विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७]**

पंजाब में ऊन की मिलें

†२४५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में ऊन की एक मिल स्थापित की जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थित होगी और वहां लगाये जाने वाले करघों और तकुओं की संख्या क्या है; और

(ग) इस में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या क्या होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जी, हां। पंजाब में दो ऊनी मिलों के स्थापित होने की संभावना है।

(ख) यह अमृतसर और लुधियाना में स्थापित होंगी और इनमें क्रमश: २००० और ८०० तकुये लगाये जायेंगे। इन में मोटा ऊन तैयार किया जायेगा। करघे नहीं लगाये जायेंगे।

(ग) ३५०।

खाद्य लक्ष्य

†२४५५. **श्री संगण्णा :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) "राज्यों की विकास योजनायें— प्रगति का पुनरीक्षण" नाम के प्रतिवेदन के अनुसार जो राज्य खाद्य-उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और पीछे रह गये, उनके काम को तीव्र करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिये अतिरिक्त सहायता दी जा रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†२४५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७, १९५८ में अब तक अल्जीरिया तथा अफ्रीका की अन्य फ्रैंच बस्तियों को निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्मों की संख्या क्या है; और

(ख) इन देशों को फिल्म निर्यात बढ़ाने के लिये कौन से पग उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्मों की संख्या तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु इतना पता है कि १९५७ में ४८६४ फुट भारतीय फिल्मों का निर्यात अफ्रीका की फ्रैंच बस्तियों में हुआ, जिसकी कीमत एक हजार रुपये थी। जनवरी से जून १९५८ तक इन देशों को कोई निर्यात नहीं हुआ।

(ख) निर्यात को प्रोत्साहन देने के सामान्य कदमों के अतिरिक्त, भारतीय फिल्मों के इन देशों को निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय टीक क्रय मिशन

†२४५७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री वारियर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टीक क्रय मिशन बर्मा में उस देश से टीक खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिये गया है;

(ख) यदि हां, तो मिशन के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह मिशन किसी अन्य देश में भी गया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों का नाम क्या है; और

(ङ) अभी तक मिशन को कितनी सफलता मिली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) श्री वी० एन० राजन, आई० सी० एस०;

(२) श्री एच० डी० सिंह, निर्देशक रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड);

(३) श्री एस० एन० घोष, उप सचिव, वित्त मंत्रालय (संभरण शाखा);

(४) श्री बी० एन० स्वरूप, आई० ए० एस०, उप सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय;

(५) श्री वी० सुब्रह्मण्यम, उप निदेशक (सम्भरण)

(ग) हां ।

(घ) थाईलैंड (बंगकोक) ।

(ङ) इस दल की बर्मा राज्य टिम्बर बोर्ड के साथ १५,००० से २०,००० टन तक १९५८-५९ में सम्भरण करने के लिये चर्चायें होती रहीं, ताकि रेलवे बोर्ड की आवश्यकतायें पूरी होती रहें । इस सम्बन्ध में अस्थायी करार हो गया था जिसकी बर्मा सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है । थाईलैंड में इस विचार से गये थे कि जांच करके कुछ अतिरिक्त सम्भरण के साधन खोज निकाले जायें ।

ऐतिहासिक दस्तकारी

†२४५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक दस्तकारी और उस में लगे लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब और किस रूप में किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड कुछ अन्य संस्थाओं की सहायता से देश की कुछ महत्वपूर्ण दस्तकारियों के बारे में सर्वेक्षण करने वाला है । इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगारी

†२४५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की स्थिति का अन्दाज़ लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने १९५५-५६ में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया था ।

(ख) आशा है कि यह सर्वेक्षण प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा ।

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

†२४६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये एकीकृत ऋण सहायता का उपबन्ध करने के लिये कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]**

कच्ची फिल्मों का वितरण

†२४६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि देश में कच्ची फिल्मों की कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ निर्माता, जिन्हें बहुत अधिक कोटा दे दिया गया था, कच्ची फिल्म का अपना कोटा नहीं उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) विदेशी मुद्राओं के संकट के कारण आयात नीति प्रतिबंधात्मक होने के फलस्वरूप कच्ची फिल्मों के संभरण की स्थिति किसी भी अर्थ में अच्छी नहीं है, फिर भी, कमी की कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ जेल में भारतीय

†२४६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली अधिकारियों ने इस बीच अपनी जेलों से कुछ भारतीय राष्ट्रजनों को रिहा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) कितने व्यक्ति अब भी जेल में हैं और उनके नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) दो; उनके नाम हैं :—

(१) श्री गुरुनाथ अस्तोनिकर

(२) श्री गोविन्द केशव पाटनकर ।

(ग) चार; उनके नाम हैं :—

(१) श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे

(२) श्रीमती सुधा जोशी

(३) श्री मधुसूदन गुण्टक

(४) श्री गंगाधर आर० मंजरेकर ।

भेषजीय परियोजनायें

†२४६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में आरम्भ की जाने वाली भेषजीय परियोजनाओं के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

†२४६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में समुचित सुरक्षा उपाय न करने पर १ मार्च से ३१ अगस्त, १९५८ तक की अवधि में कितने खान-मालिकों के खिलाफ़ मुकदमे चलाये गये हैं; और

(ख) ये मुकदमे किस प्रकार के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कोयला खानों में समुचित सुरक्षा उपाय न करने पर १९५८ के आरम्भ से अब तक ३३४ मुकदमे चलाये गये हैं।

(ख) ये मुकदमे खान अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों और नियमों में दिये गये सुरक्षा उपबंधों का पालन न करने के कारण, जैसे पूर्णतः अर्ह प्रबंधक के बिना कोयला खान को चलाने, अथवा अधिनियम की धारा २२ के अधीन खान-निदेशालय के आदेशों का पालन न करने पर, या खान के नक्शे, खान को चलाने, कूपकों[1] के घुमावों, गन्दी हवा निकालने, कर्षण[2], रोकों, गैस निकालने आदि के विषय में विभिन्न विनियमों का उल्लंघन करने पर चलाये गये थे।

अमरीका का मशीनी औजार मंत्रणा-दल

†२४६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच भारत के मशीनी औजार उद्योग की वर्तमान क्षमता और भावी आवश्यकताओं के बारे में अमरीका के मशीनी औजार मंत्रणा-दल का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये अनुक्रमणिका संख्या एल० टी० ९४५/५८]**

(ग) इस प्रतिवेदन की प्रतियां मशीनी औजार बनाने वाले सभी गैर-सरकारी उपक्रमों, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को दे दी गई हैं ताकि ये कारखाने अपने निर्माण-कार्यक्रमों, विस्तार योजनाओं और अन्य स्थानीय बातों का ध्यान रखते हुए इस पर उचित कार्यवाही कर सकें।

यह प्रतिवेदन मशीनी औजार सम्बन्धी विकास परिषद् के सामने भी रखा गगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये एक ढलाई घर की स्थापना करने के विरुद्ध मंत्रणा-दल ने जो विचार प्रगट किये थे उन्हें विकास परिषद् ने स्वीकार नहीं किया है। विकास परिषद ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में एक ढलाई घर की स्थापना करने की सिफारिश की है।

जहां तक मशीनी औजार उद्योग में अमरीकी उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निर्णय उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया गया है जो पहले से ही इस काम में लगे हैं और यदि ये लोग चाहें तो उपयुक्त अमरीकी निर्माताओं के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Shafts.

[2] Haulage.

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई

†२४६६. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब को कितनी राशि दी गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अब तक कितनी राशि ली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में २८ लाख रुपये की राशि (जिसमें राज्य सरकार की उतनी ही राज-सहायता के अंश के ७ लाख रुपये भी शामिल) अलग की गयी है ।

(ख) पंजाब सरकार गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के अधीन अब तक कोई परियोजना नहीं बना पाई है । इसलिये पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार को कुछ भी राशि नहीं दी गई है । चालू वर्ष के बजट में केन्द्र के हिस्से के २.१० लाख रुपयों का उपबंध मौजूद है ।

आयात नीति

†२४६७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य, तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात के नये आवंटन देना बन्द कर दिया है; और

(ख) आयात की इस नयी नीति का आन्तरिक व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा प्रलेखीय चल-चित्रों का निर्माण

†२४६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन गैर-सरकारी अभिकरणों को अब तक प्रलेखीय चल-चित्रों का निर्माण करने का कार्य सौंपा मया है; और

(ख) अब तक उन्होंने कितने प्रलेखीय चल-चित्र बनाये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) अब तक ४६ प्रलेखीय चल-चित्र ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो न्यूज़-रील

†२४६९. **श्री बीरेन राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने एनाउन्सर और रिपोर्टर रेडियो न्यूज़-रील (रेडियो समाचार दर्शन) के प्रसारण-कार्य में लगे हैं;

(ख) इनमें कितने हिन्दी में प्रसारण के लिये हैं और कितने अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिये हैं; और

(ग) उनके वेतन-क्रम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) चार।

(ख) एक एनाउन्सर/प्रोड्यूसर हिन्दी न्यूज-रील यूनिट में काम कर रहा है। इसके अलावा, दो रिपोर्टर रखे गये हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की न्यूज-रील यूनिटों के लिये काम करते हैं। प्रादेशिक भाषाओं के न्यूज-रील कार्यक्रमों के लिये कोई विशेष कर्मचारी नहीं नियुक्त किये गये हैं।

(ग) इस प्रकार प्रसारण करने वालों के लिये कोई वेतन-क्रम नहीं है। इन्हें स्टाफ/कैजुअल आर्टिस्टों के रूप में ठेके पर रखा जाता है और वेतन अपनी अपनी योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर दिया जाता है।

विस्थापित व्यक्तियों को दूसरा ऋण

†२४७०. **श्री दशरथ देब :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के खवाई स्थान में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से, जिन्हें बैल खरीदने के लिये ऋण मंजूर किये गये थे, सहकारी समितियों में, जिन्होंने उस ऋण के वितरण का काम किया था, बैल पीछे २।। मन धान प्रतिवर्ष जमा करने के लिये कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्या केन्द्रीय सरकार के आदेश से किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इन शर्तों और निबन्धनों को ढीला करने वाली है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) पांच साल तक बैल पीछे प्रतिवर्ष में २$^{1}/_{2}$ मन धान जमा करके इस ऋण को चुकाने का समझौता लाभान्वित होने वाला विस्थापित व्यक्तियों और उन सहकारी समितियों के बीच हो गया था जिन्होंने बैल दिये थे।

(ख) केन्द्रीय सरकार की हिदायतों के अनुसार ये बैल सहकारी समितियों द्वारा ही खरीदे और वितरित किये गये थे। लेकिन ऋण की वापसी के बारे में कोई हिदायत नहीं दी गयी थी।

(ग) सहकारी समिति की सलाह से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

नागपुर में औद्योगिक बस्ती

†२४७१. **श्री चांडक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में किसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इसकी स्थापना कब होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नागपुर की प्रस्तावित बस्ती का क्षेत्रफल कितना होगा ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गयी है ;

(घ) यदि नहीं तो जमीन लेने में कितना समय लगेगा ; और

(ङ) वहां किस प्रकार के उद्योग रखे जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां । बम्बई सरकार का इरादा चालू वित्तीय वर्ष नागपुर में एक औद्योगिक बस्ती चलाने का है ।

(ख) २२.९ एकड़ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आशा है कि जमीन लेने का कार्य इस वर्ष के भीतर पूरा हो जायगा ।

(ङ) छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये इच्छुक व्यक्तियों के पास से इंजीनियरिंग और निर्माणात्मक कर्मशालाओं की मांगों के अलावा साइकिलों के पुर्जे और संबंधित वस्तुयें, स्टील का फर्नीचर, बर्नर और लालटेनें, पीतल की चादरें, लकड़ी के पेच, तार की कीलें, कोल्हू और उनके पुर्जे, धातु के खिलौने आदि बनाने के कारखानों की स्थापना के लिये सुविधायें प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

उत्पादकता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति[1]

†२४७२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा नियुक्त की गयी उत्पादकता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों मे उपलब्ध प्राविधिक उत्पादकता कर्मचारियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन इस बीच सरकार को दे दिया गया है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण ऋण

†२४७३. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने विस्थापित व्यक्तियों को अब तक केवल गृह-निर्माण ऋण मिले हैं और कुछ भी व्यापारिक अथवा कृषि सम्बन्धी ऋण नहीं मिले हैं;

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उन्हें अन्य ऋण कब तक मिल जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Productivity Personnel Survey Committee

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसके संग्रह में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि गृह-निर्माण, व्यापारिक तथा कृषि सम्बन्धी ऋण देने की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनायी जाती हैं। भारत सरकार धन की उपलब्धि का ध्यान रखते हुए इनकी जांच कर इन्हें मंजूर करती है।

निर्यात प्रत्यय बीमा[1]

†२४७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेनिस में 'निर्यात प्रत्यय बीमा' का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, नीदरलैण्ड्स, नार्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विटज़रलैण्ड, ब्रिटेन और अमरीका। इजरायल ने पर्यवेक्षण के रुप में भाग लिया।

(ग) इस बैठक में अन्य बातों के अलावा आगोपनीय प्रत्ययों की अवधि से सम्बन्धित मसलों, अन्य अभिगोपन सम्बन्धी समस्याओं, सदस्य राष्ट्रों के वार्षिक प्रतिवेदनों और कुछ देशों और वस्तुओं की विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की गयी। समझौते के अनुसार इस बैठक की कार्यवाही को सदस्य राष्ट्रों के बीच गोपनीय माना जाता है।

भारत और पाकिस्तान में आने वाले

†२४७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक पश्चिमी पाकिस्तान से कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जन भारत आये और उसी अवधि में कितने भारतीय पश्चिमी पाकिस्तान गये थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): १ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि में ४००२१ पाकिस्तानी राष्ट्र-जन पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आये थे और उसी अवधि में ५६९५५ भारतीय राष्ट्र-जन पश्चिमी पाकिस्तान गये थे।

कच्ची फिल्मों का संभरण

†२४७६. { **श्री वारियर** :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्ची फिल्मों के संभरण पर लगे प्रतिबन्ध को ढीला करने के बारे में केरल की संगीत नाटक अकादमी से कोई प्रतिवेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Export Credit Insurance

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंचायती रेडियो

†२४७७. **श्री जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक संघ-राज्य क्षेत्रों के गांवों में कितने कितने पंचायती रेडियो लगाये गये हैं ;

(ख) क्या इस योजना को और भी व्यापक क्षेत्र में बढ़ाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये कोई योजना बनायी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). इस योजना में, बजट के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, १००० या अधिक की आबादी वाले गांवों में पंचायती रेडियो लगाने का लक्ष्य है। ३०–६–१९५८ तक संघ राज्य क्षेत्रों के गांवों में १४८३ पंचायती रेडियो लगाये गये थे। प्रत्येक राज्य-क्षेत्र में लगाये गये पंचायती रेडियो सेटों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

राज्य	विवरण
१. अन्दमान तथा निकोबर द्वीप समूह . .	१९
२. दिल्ली . .	२२६
३. मनीपुर . .	१०७
४. त्रिपुरा . .	६२
५. हिमाचल प्रदेश	१०६६
६. लक्कादीव, मिनकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह	३
जोड़ .	१,४८३

त्रिपुरा में शरणार्थी बस्ती

†२४७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सदर में नरसिंहगढ़ में एक बस्ती का विकास करने की त्रिपुरा प्रशासन के सहायता तथा पुनर्वास विभाग की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों में से कौन से लोगों के इस योजना से लाभान्वित होने की सम्भावना है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) इस योजना के अधीन जमीन लेने के लिये प्रशासन ने कुल कितना मुआवज़ा दिया है या उसे अभी देना है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). जी हां। त्रिपुरा की नरसिंहगढ़ बस्ती योजना में पूर्वी पाकिस्तान के लगभग १३०० विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये एक बस्ती की स्थापना के निमित्त लगभग २१८ एकड़ भूमि को विकसित करने का उपबन्ध है। इस योजना के प्रथम चरण के रूप में २·८२ लाख रुपयों की प्राक्कलित लागत पर ८७ एकड़ का विकास करने की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें सड़कों, नालियों, सड़क की रोशनी, जल-संभरण आदि का उपबन्ध है। २० आदर्श मकानों का निर्माण भी किया जाने वाला है जिनमें से १० बन भी चुके हैं। नगरीय विस्थापित परिवारों, जैसे छोटे व्यापारियों आदि को विकसित जमीन के टुकड़े दिये जायेंगे। उपनगर में उपलब्ध की गयी भूमि के कुछ हिस्से में त्रिपुरा प्रशासन ने एक पालिटेकनिक की स्थापना की है जिसने काम करना आरम्भ भी कर दिया है।

(घ) भूमि अर्जन कलेक्टर के निर्णय के अनुसार ३२,४२१ रुपये ५० नये पैसे मुआवज़े के रूप में दिये गये हैं।

विदेशों में रोक लगी हुई फिल्में

†२४७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में विदेशों में भारत की कितनी और किन किन फिल्मों पर रोक लगायी गयी है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें इन फिल्मों पर रोक लगायी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

†२४८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में पंजाब में गिरफ्तार किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो बिना पासपोर्ट पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा लांघ कर पाकिस्तान में चले गये थे और वहां से फिर भारत आ गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : २२ व्यक्ति।

अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र सम्बन्धी सर्वेक्षण

†२४८१. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का उत्कल विश्वविद्यालय फोर्ड फाउण्डेशन की वित्तीय सहायता से अर्थ-शास्त्र और समाजशास्त्र सम्बन्धी सर्वेक्षण कर रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस स्थिति में है; और

(ग) फोर्ड फाउण्डेशन ने कितनी वित्तीय सहायता दी है?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** :(क) से (ग). हम उत्कल विश्वविद्यालय तथ्यों का पता लगा रहे हैं और उन्हें यथासमय सभा के समक्ष रख देंगे।

अगरताला में मेहतरों के लिये मकान

†२४८२. **श्री दशरथ देब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि।

(क) क्या त्रिपुरा में अगरताला के मेहतरों के लिये मकान बनाने की कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में यह कार्य करने वाली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी हां। अगरताला नगरपालिका के हरिजनों के लिये ६० टेनेमेन्ट्स का निर्माण करने की त्रिपुरा प्रशासन की गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी १·९८ लाख की लागत की दो योजनायें मंजूर की गयी हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सीमा के खंभों की चोरी

†२४८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के नोआखाली जिले के बीच ब्रिटिश काल की सीमा का सीमांकन करने वाले कुछ सीमा के खम्भे चोरी चले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन खम्भों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रगट किया गया है और उनसे कहा गया है कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा हटाये गये खम्भे वापिस करें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही करें।

बिहार में दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र

†२४८४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बिहार में कितने दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मंजूरी दी है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ;

(ख) इन केन्द्रों में से प्रत्येक पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ;

(ग) इन केन्द्रों में प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ; और

(घ) किन विभिन्न दस्तकारियों के प्रशिक्षण के लिये अब तक प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मक्खन निकले दूध के पाउडर का आयात

†२४८६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने मक्खन निकले दूध के कुल कितने पाउडर का आयात किया ;

(ख) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रायें लगीं;

(ग) क्या इसका और भी आयात किया गया है ; और

(घ) राज्यों में किस अभिकरण द्वारा इस दूध का वितरण किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) ११,७८०.५ मीट्रिक टन।

(ख) ८,१७,३१२.६३ रुपये ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकारें सहकारी समितियों, प्रतिष्ठित व्यवसायियों और उचित मूल्य वाली दूकानों के जरिये करती हैं ।

हरी चाय

†२४८७. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ (३१ जुलाई १९५८ तक) में कांगड़ा (पंजाब) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) में कुल कितनी हरी चाय का उत्पादन हुआ;

(ख) इसमें से कितनी हरी चाय बेची जा चुकी है; और

(ग) कितनी बिना बिकी रह गयी है और इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादर शास्त्री)** : (क) १९५७ के लिये उत्पादन के आंकड़े ये हैं :

	पौंड
कांगड़ा . .	२,१४६,०००
मंडी	१५५,०००

जनवरी से जुलाई, १९५८ तक की अवधि में कांगड़ा और मंडी के हरी चाय के उत्पादन के विषय में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५७ और १९५८ की जनवरी से जून तक निर्यात की गयी हरी चाय के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	पौंड
१९५७	१,५१३,०००
	८०९,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनबिका स्टाक जमा हो जाने के कारण हरी चाय की मांग में कमी हो गयी है । इस स्टाक के परिमाण के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर

२४८८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की पंचकुइयां सड़क पर बने हुये चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली व पानी की सुविधायें देने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस देरी का क्या कारण है ;

(ग) अधिक से अधिक कितनी देर तक यह काम पूरा हो जाने की आशा की जाती है ; और

(घ) इस बीच इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). प्रत्येक क्वार्टर में एक एक पानी का नल लगाने के सुझाव पर विचार किया गया था । इस पर लागत अधिक होने के कारण, इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका । अब प्रत्येक दो क्वार्टरों के लिये एक गुसलखाना और एक पाखाना बनाने का विचार है । आवश्यक प्राक्कलन (एस्टिमेट) और नक्शे बनाये जा रहे हैं ।

क्वार्टरों की मौजूदा छतें पुरानी और कमज़ोर हैं । इसलिये बिजली लगाने का काम शुरू नहीं किया गया । इनकी छतें फिर से बनाने के बाद ये क्वार्टर कितने सालों तक काम दे सकेंगे इसकी तकनीकी जांच की जा रही है । अगर इस जांच के बाद यह पता चला कि छतें बदलने के बाद क्वार्टर उचित समय तक काम देंगे तो उनकी छतें बदलने के बाद उनमें बिजली लगाई जायेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रचार

†२४८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की कितनी नाटक-मंडलियों ने १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रचार के नाटक खेले हैं ; और

(ख) इसी अवधि में पंजाब में कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) सात ।

(ख) ९,८३९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में साइकिल के कारखाने

†२४९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब के साइकिल कारखानों के सुधार के लिये इस वर्ष उस राज्य ने सहायता मांगी है और उसे सहायता दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मालेरकोटला के उसके सिलाई की मशीनों और साइकिलों के क्वालिटी चिन्हित करने वाले केन्द्र के लिये १९५७–५८ में पंजाब सरकार को २१,५६४ रुपये का अनुदान दिया गया है । इसके अलावा छोटे पैमाने के कारखानों के सुधार के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में राज्य-सरकार को क्रमश: ४३ लाख रुपये और २४ लाख रुपये के समूह-अनुदान[1] मंजूर किये गये थे । लेकिन इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि राज्य सरकार ने साइकिलों और उनके पुर्ज़ों के निर्माण में लगे कारखानों को इस ऋण में से कुछ राशि दी है या नहीं और यदि दी है तो कितनी राशि दी गयी है ।

चाय का निर्यात

†२४९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होड़ के कारण चाय का निर्यात-बाजार भारत के हाथ से निकलता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से देश चाय के व्यापार में भारत से होड़ कर र हैं ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अलग-अलग वर्षों में हमारे चाय के निर्यात में घटबढ़ होती रही है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्यात-बाज़ार हमारे हाथ से निकला जा रहा है । विभिन्न कारणों से कुछ देशों को हमारा निर्यात इस वर्ष बढ़ा है जबकि कुछ देशों को निर्यात में कमी हो गयी है । कभी कभी किसी देश-विशेष में चाय की कुल मांग में कमी हो जाती है और इसका असर निर्यात करने वाले सभी देशों पर पड़ता है । परम्परागत बाज़ारों में हमारी पुरानी स्थिति न केवल कायम रखी जा रही है, वरन् पूर्वी योरोप और पश्चिमी एशिया में नया निर्यात-बाजार विकसित किया जा रहा है ।

१९५८ की पहली छमाही में १९५७ की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक चाय का निर्यात हुआ है ।

(ख) विश्व के प्रमुख चाय-उत्पादक देश हैं : भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, पूर्वी अफ्रीकी देश, चीन, जापान, फारमोसा, रूस आदि । इनमें से कई देशों में उत्पन्न चाय की विश्व बाज़ारों में आपस में होड़ रहती है ।

हथकरघा सहकारी समितियों के लिये कार्यवाहक पूंजी

†२४९२. { **श्री वारियर** :
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा सहकारी समितियों के लिये अब तक किन-किन राज्य-सरकारों को कार्य-वाहक पूंजी दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Block Grants

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यदि माननीय सदस्य का मतलब उपकर-निधि में से दी गयी कार्यवाहक पूंजी से है तो सभी राज्यों को इस प्रकार की कार्यवाहक पूंजी दी गयी है ।

पत्थर की खानें

२४९३. **श्री लच्छी राम** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में इमारती पत्थर निकालने की खानें किन-किन स्थानों पर और कितनी हैं ;

(ख) इन में खानों को खोद कर साफ करने, पत्थर निकालने और पत्थर की ढुलाई करने आदि में औसतन कितने मज़दूर प्रति दिन काम करते हैं ; और

(ग) इन में कौन-कौन सी ऐसी खानें हैं जिनमें खान अधिनियम के अन्तर्गत मज़दूरों को सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इमारती पत्थर की ऐसी खान को, जिसकी गहराई २० फीट से अधिक न हो, जिसमें किसी भी दिन ५० से ज्यादा व्यक्ति काम न करते हों और जिसमें विस्फोटक का उपयोग न किया जाता हो, खान कानून, १९५२ से (किशोरों, बच्चों और औरतों के रोज़गार से सम्बन्धित क्रमश: ४४, ४५ और ४६ धाराओं को छोड़ कर) छूट दी जाती है। १९५७ के आखीर में खान कानून के अन्तर्गत आने वाली पत्थर की खानों की कुल संख्या लगभग २९६ थी, जिसकी तफ़सील इस प्रकार है :—

बिहार .	१५५
उत्तर प्रदेश .	३८
आंध्र .	३०
मद्रास	२४
बम्बई	२२
दिल्ली	१६
मध्य प्रदेश .	६
पश्चिमी बंगाल	३
मैसूर .	२

(ख) ६,३७० ।

(ग) उपरोक्त सभी २९६ पत्थर खानों में खान कानून के अन्तर्गत मज़दूरों को सुविधायें मिलनी चाहिये ।

फिल्म सामग्री का आयात

†२४९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक कुल कितने मूल्य की फिल्म सामग्री का आयात किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के आयात की तुलना में यह कैसा बैठता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). भारतीय व्यापारिक वर्गीकरण में "फिल्म सामग्री" नाम की कोई मद नहीं है। जनवरी—जून, १९५८ और पिछले वर्ष की इसी अवधि में आयात किये गये सिनेमा उपकरणों, यंत्रों और कच्ची फिल्मों की कीमतों का एक तुलनात्मक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]** जुलाई और अगस्त १९५८ के आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्रम सहकारी समितियां

†२४९५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम सहकारी समितियों की सहायता के लिये १९५७–५८ और १९५८ में अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : केन्द्रीय सरकार ने अब तक पंजाब की श्रम सहकारी समितियों को कुछ भी राशि नहीं दी है।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२४९६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की नियुक्तियों, नौकरी की शर्तों, छुट्टियों और पद-स्थापन आदि के बारे में नियम और विनियम बना लिये हैं ; और

(ख) अब तक कुल कितने अफसर और कर्मचारी स्थायी घोषित किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) अफसर . २४

अन्य कर्मचारी १३

मद्रास में हथकरघे की वस्तुओं का अनबिका स्टाक

†२४९७. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के गैर-सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में हथकरघे की वस्तुओं का इस समय कितना अनबिका स्टाक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मद्रास में सहकारी क्षेत्र में हथकरघे की वस्तुओं का ५९·२२ लाख गज़ का स्टाक अनबिका है जिसकी कीमत ६०·४८ लाख रुपये लगायी गयी है। सहकारी क्षेत्र के बाहर के अनबिके हथकरघे के स्टाक के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में शक्ति-चालित करघे

†२४९८. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास राज्य में कितने शक्ति-चालित करघे हैं ;

(ख) १९५६ के अन्त में कितने शक्ति चालित करघे थे ;

(ग) १९५७ और १९५८ में कितने-कितने शक्ति-चालित करघे किन-किन स्थानों में लगाये गये ; और

(घ) उनमें से कितनों के लिये अलग-अलग व्यक्तियों को अनुमति दी गयी है और कितने सहकारी समितियों को दिये गये हैं ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १,५२६ ।

(ख) १,४५८ ।

(ग)

जिनके लिये	इन वर्षों में अनुमति दी गयी	
	१९५७	१९५८
कुमार पलयम . .	३७	२
सौरीपलयम	६	—
ईरोड	३	४
त्रिचनापल्ली . . .	४	—
कोयम्बटूर	११	—
एलमपल्लै	४	—
सैलम	७	—
चिंगलपट . . .	५	—
जोड़ .	७७	६

(घ) ७८ अलग-अलग व्यक्तियों के लिये और ५ सहकारी समितियों के लिये ।

मूंगफली के बीज और उत्पाद

†२४९९. **श्री सुगन्धि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के बाद से प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य के कितने कितने मूंगफली के बीज और उनके अन्य उत्पादन निर्यात के लिये दिये गये ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक वर्ष के नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में इन वस्तुओं के प्रचालित भाव क्या थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३].**

†मूल अंग्रेजी में

जानकारी का प्रश्न

†*उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

†श्री मी० र० मसानी (रांची पूर्व) : सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैंने आज सुबह इस आशय की सूचना दी है कि.....

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने के बाद मैं आप को अपनी बात कहने का अवसर दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों का संशोधन

†कृषि उपमंत्री (श्री आबिद अली)) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३०२ और दिनांक ५ जुलाई, १९५८ के उसके शुद्धि पत्र संख्या जी० एस० आर० ५६५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० ९३८/५८].

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८०/आर/अमेंडमेंट २६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० ९३९/५८]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षित लेखे सहित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९४०/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** श्रीमान, मुझे राज्य सभा के सचिव से ये संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा २ सितम्बर, १९५८ को पारित समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी १८ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(२) कि लोक सभा द्वारा ३ सितम्बर, १९५८ को पारित मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक १९५८, को राज्य सभा ने अपनी १९ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(३) कि लोक सभा द्वारा ४ सितम्बर, १९५८ को पारित राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी १९ सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशो न के स्वीकार कर लिया है ; और

(४) कि लोक सभा द्वारा १० सितम्बर, १९५८ को पारित भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने अपनी १९ सितम्बर, १९५८ को बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं ८ सितम्बर, १९५८ को सभा में दी गयी सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

१. केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

२. सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ ।

३. सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

जानकारी का प्रश्न—जारी

†**श्री मी० रु० मसानी :** श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के बाद मैं अपना एक प्रश्न उठा सकूंगा । आप की अनुमति से नियम २२२ और २२३ के अन्तर्गत मैं इस सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन का एक मामला उठाना चाहता हूं । केरल के मुख्य मंत्री द्वारा तथा-कथित भेजे गये तार में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस सभा के सदस्यों ने स्पष्टीकरण के बहाने राज्य सरकार के प्रति अपमान वचन कहे हैं (स्लैंडर किया है) है । यह सदस्यों के विरुद्ध कही गयी एक बड़ी गम्भीर बात है । "स्लैंडर" शब्द का अर्थ है "झूठा वक्तव्य, अपमान वचन आदि" ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य धैर्य रखें मुझे उनकी सूचना प्राप्त हो गयी है । मैं देखूंगा कि क्या स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं । यदि मुझे कोई संदेह होगा तो मैं माननीय सदस्य से पूछ लूंगा कि स्थिति क्या है । मैं माननीय सदस्य को कल अवसर दूंगा । आप की दोनों सूचनायें कल के लिये स्थगित की जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

याचिका समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :

> "पूर्वी पाकिस्तान के खुलना––जेस्सोर ज़िले और भारत के २४ परगना ज़िले में इच्छामती नदी के साथ-साथ पुलिस स्टेशन बदुरिया––स्वरूपनगर के बीच की सीमा को अंकित करने वाली रेखा का ठीक-ठीक बताया जाना ।"

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच, भारतीय पुलिस स्टेशन स्वरूपनगर और बुदरिया के बीच जो सीमा है वह पूर्वी पाकिस्तान के खुलना और पश्चिमी बंगाल के चौबीस परगना जिले की सीमा के साथ है । इन पुलिस स्टेशनों के बीच जो सीमा है वह भूमि-सीमा है । जहां तक पुलिस स्टेशन स्वरूपनगर और बदुरिया का प्रश्न है यहां इच्छामती नदी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा नहीं है ।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की हाल की बातचीत में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर चौबीस परगना–जेस्सोर और चौबीस परगना-खुलना जिलों के बीच की सीमा के झगड़ों के बारे में जो समझौता हुआ है उस से कुछ गलतफहमी पैदा हो गई मालूम होती है । यह समझौता पुलिस स्टेशन गाय घाट के पूर्व में बहने वाली इच्छामती नदी के साथ लगी सीमा के कुछ भाग के सम्बन्ध में है । इस क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण पदाधिकारियों के बीच एक विवाद पैदा हो गया था ; यह सारा विवादग्रस्त क्षेत्र लगभग ५५० एकड़ का है । जो समझौता अभी हुआ है, उस के अनुसार उस क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान दोनों के दावों को निबटाने के लिये एक मध्यम मार्ग अपनाया जायेगा जिस के लिये इस नदी को आधार माना जायेगा ।

इस समझौते के सम्बन्ध में गलतफहमी इसलिये पैदा हो गई है कि लोगों का विश्वास है कि चौबीस परगना में जहां तक इच्छामती नदी बहती है वहां तक इस नदी को ही भारत और पाकिस्तान की सीमा माना गया है । पर यह बात गलत है । इस समझौते द्वारा पुलिस स्टेशन स्वरूपनगर और बदुरिया की सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पूर्ण रूप से भारत में ही रहेंगे ।

सभापति तालिका

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९(१) के अधीन मैं ने श्री जयपाल सिंह को सभापति तालिका का एक सदस्य नियुक्त कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १९ सितम्बर, १९५८ में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १९ सितम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केरल के स्थिति संबंधी प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : १२ अगस्त, १९५८ को डा० क० ब० मेनन ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी, थी जिस में कहा गया था कि केरल राज्य में मूल अधिकारों के निरन्तर हनन के कारण गम्भीर स्थिति उपस्थित हो गई है और वह उस पर चर्चा चाहते हैं। सामान्यतया विधि और व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विषय होता है। पर चूंकि मैं ने सोचा कि यह एक असाधारण सा मामला है अतः मैं ने उन से कहा कि केरल में संविधान के विफल हो जाने के बारे में जो आरोप उन्हों ने लगाये हैं, उन्हें वे सिद्ध करें, ताकि मैं यह निश्चय कर सकूं कि इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। उन्हों ने बहुत से काग़ज़, वक्तव्य, दस्तावेज़ और अखबारों की कटिंग आदि मेरे पास भेजे हैं। उस के बाद यह मामला गत शुक्रवार को सभा में उठाया गया। तत्पश्चात् श्री गोपालन तथा साम्यवादी दल के कई सदस्य मुझ से मिले और उन्हों ने कहा कि केरल राज्य को एक अवसर दिये बिना इस सभा में कोई वक्तव्य दिया जाना या चर्चा उठाना ठीक नहीं होगा। आज सुबह गृह-कार्य मंत्री ने भी मुझे केरल सरकार से प्राप्त एक तार दिखाया, जिस में कहा गया है कि श्री मेनन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में केरल सरकार स्वयं अपने वक्तव्य तथा तथ्य उपस्थित करेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ने सोचा कि इस मामले पर कोई भी निश्चय करने से पूर्व केरल सरकार से तथ्य प्राप्त कर लिये जायें।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : साम्यवादी दल के नेता ने स्वयं कहा था कि वह चर्चा का स्वागत करेंगे उस के बाद डा० मेनन ने आप की आज्ञानुसार सारे तथ्य आप के पास भेजे। इन सब बातों पर विचार करने के बाद शुक्रवार को आप ने निर्णय किया कि आप डा० मेनन को एक वक्तव्य देने का अवसर देंगे। मैं ने समाचारपत्रों में पढ़ा है और जैसा श्री मसानी ने भी बताया, केरल राज्य के मुख्य मंत्री ने इस सभा के सदस्यों के प्रति अपमानजनक वक्तव्य दिये हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि केरल राज्य में कुछ घटनायें हुई हैं पर ऐसी घटनायें तो कांग्रेस राज्यों में भी हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। स्थिति यह है कि केरल राज्य को अपने तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं केरल राज्य के मुख्यमंत्री को इस सभा में बुला कर वक्तव्य देने का अवसर नहीं दे सकता। सामान्यतया राज्य सरकार का जब कोई ऐसा मामला आता है' तो गृह-कार्य मंत्री या तत्सम्बन्धी मंत्री द्वारा राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जाती है। इस मामले में भी हम सम्बद्ध राज्य सरकार की राय जानना चाहते हैं। सम्बद्ध पत्र इत्यादि राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं और उन का उत्तर आने के बाद यदि मैं देखूंगा कि आरोपों का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है, या कोई स्पष्ट ऐसा मामला है कि चर्चा उठाई जा सके, तो मैं सभा में चर्चा उठाने की अनुमति दूंगा। इस समय मैं चर्चा उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि शुक्रवार को मैं ने यह कहा था कि मैं डा० मेनन को वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा, मैं समझता हूं कि मैं ने ऐसा नहीं कहा था।

†**आचार्य कृपालानी** : शुक्रवार को आप ने निश्चित रूप से यह कहा था कि आप डा० मेनन को वक्तव्य देने का अवसर देंगे। यदि अपने निश्चय को आप इस प्रकार बदलेंगे तो सब तरफ लोग यही धारणा बना लेंगे कि साम्यवादियों की धमकी के कारण आप ने ऐसा किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये। मैं ने यह नहीं कहा था कि मैं डा० मेनन को वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा। मैं तो डा० मेनन से और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। इसी बीच मेरे पास यह बात पहुंचाई गई थी कि राज्य सरकार की बात सुने बिना सभा में कोई वक्तव्य देने की अनुमति देना बहुत हानिकारक होगा। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने भी मुझे केरल राज्य के मुख्यमंत्री का तार दिखाया। वहां के मुख्य मंत्री ने निवेदन किया है कि उन्हें गृह-कार्य मंत्री द्वारा अपने पक्ष में तथ्य उपस्थित करने का अवसर दिया जाये और उस के पश्चात् में इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करूं।

उस दिन, जब तक यह तार नहीं आया था और जबकि माननीय सदस्य भी मुझ से नहीं मिले थे, मैं ने यही समझा था कि इस मामले में डा० मेनन से कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। पर बाद की घटनाओं के कारण मुझे अपने विचार बदलने पड़े। इस प्रकार निर्णय बदलने में संविधान का उल्लंघन तो कर नहीं रहा हूं।

†**आचार्य कृपालानी** : मेरा निवेदन है कि राजनीति में इतना ही आवश्यक नहीं है कि कोई बात सच हो बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह जनता को सच दिखाई दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में आप और सरकार दोनों ही साम्यवादियों की धमकी से डर गये हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : ऐसा लगता है कि आचार्य कृपालानी ने उस दिन की कार्यवाही को अच्छी प्रकार नहीं पढ़ा है। मैं ने अच्छी तरह पढ़ा है। श्री डांगे ने उस दिन यह कहा था कि हम इस बात पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं कि केन्द्र और राज्य के बीच क्या सम्बन्ध होने चाहियें। इस सम्बन्ध में हम चर्चा करने के लिये आज भी तैयार हैं। यदि आप भारत के हर राज्य की विधि और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। जहां तक मूल अधिकारों का प्रश्न है वहां पर उच्च न्यायालय भी है और यहां उच्चतम न्यायालय भी है। सभा में अनेक प्रकार की बातें भी कहीं गयीं हैं पर मैं उन का उत्तर नहीं देना चाहता। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें दूसरे पक्ष की बातें भी सुन लेनी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है सभा के माननीय नेता और श्री डांगे दोनों सहमत थे कि हम सभा में चर्चा के लिये तैयार हैं पर वे इस बात से सहमत थे कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की चर्चा की जाये । यह एक संवैधानिक और विधि संबंधी मामला है । जब तक कोई स्पष्ट मामला हमारे सामने न हो तब तक इस चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती । सब से पहले हमें यह तय करना है कि इस मामले पर हमारा क्षेत्राधिकार है या नहीं ।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा): मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे केरल से प्राप्त उत्तर दिखायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अवश्य ।

†**श्री अ० क० गोपालन**: उसे सभा-पटल पर भी रखा जाना चाहिये ताकि उसे सभी सदस्य देख सकें ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय के पास भी केरल के सम्बन्ध में कुछ जानकारी होगी । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा जो जानकारी दी गई है वह और गृह-कार्य मंत्रालय की जानकारी, दोनों में कुछ साम्य है या नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मुझे खेद है कि इस मामले में ऐसी उत्तेजनापूर्ण बातें हुईं । मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिस से आचार्य कृपालानी को दुःख हो या अध्यक्ष महोदय द्वारा कही गई किसी बात पर आक्षेप हो । ऐसा करना मेरे लिये उचित भी नहीं है । मैं दोनों का सम्मान करता हूं और दोनों के मार्ग दर्शन में चलना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि वे अपना सहयोग पूर्ण परामर्श से हमें लाभ उठाने दें । श्री गोपालन ने कहा कि विधि और व्यवस्था का हर प्रश्न इस सभा में उठाया जा सकता है पर यह बात सही नहीं है । केन्द्र और राज्यों के विषयों की अलग अलग सूचियां हैं और एक समवर्ती सूची भी है । सामान्यतया राज्य सूची के विषयों में हम हस्तक्षेप नहीं करते । यह बात तो अध्यक्ष महोदय तय करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद २५५ और २५६ के अधीन हम किन बातों में हस्तक्षेप कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है वह उचित ही है और मैं समझता हूं कि सम्बद्ध राज्य सरकार से भी जानकारी मांगी जाये क्योंकि अनेक गम्भीर घटनाओं का मामला है । हमारा दुर्भाग्य है कि इस मामले में राज्य सरकार शायद ऐसा नहीं सोचती कि हम लोग यहां पर उन के मामले में ऐसा न्याय करेंगे जैसाकि हम को करना चाहिये । आचार्य कृपालानी सोचते हैं कि शायद साम्यवादियों के साथ हमारी सांठगांठ है ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं ने ऐसा नहीं कहा । मैं ने तो सिर्फ यही कहा कि राजनीतिमें इतना ही आवश्यक नहीं है कि कोई बात सच हो बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह जनता को सच दिखाई दे ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं उन की बात से सहमत हूं ।

†**आचार्य कृपालानी** : हम जनता को ऐसी धारणा रखने का अवसर दे रहे हैं कि सरकार एक दल की धमकी में आ रही है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि उन का यह विचार था, तो ठीक है । मैं समझता था कि शायद वह समझते हैं, कि सरकार और साम्यवादियों के बीच कोई सांठगांठ है । इस में किसी के साथ कोई पक्षपात करने की कोई बात नहीं है । केरल के मुख्य मंत्री से प्राप्त तार को मैं ने अध्यक्ष महोदय

†मूल अंग्रेजी में

को दिखा दिया है क्योंकि मुख्य मंत्री ने उस में ऐसा लिखा था। मैं ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और अध्यक्ष महोदय ने इस बात में अपना निर्णय दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि केरल सरकार को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सारे पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ताकि सभी माननीय सदस्य यह जान सकें कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। इस के बाद यदि अध्यक्ष महोदय समझते हैं कि वाद-विवाद की अनुमति देने के लिये पर्याप्त कारण हैं तो वाद-विवाद हो। हो सकता है इस के लिये हमें अध्यक्ष महोदय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़े। इस मामले में कुछ समय प्रतीक्षा करना बुरा न होगा।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री की जानकारी और डा० मेनन द्वारा दी गई जानकारी में कितना साम्य है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हमारे पास कुछ जानकारी है। डा० मेनन की सारी जानकारी की छानबीन नहीं की जा सकी है। मैं ने राज्य सरकार से भी कुछ जानकारी इकट्ठी की है पर मैं यह बताने की अवस्था में नहीं हूं कि जिन मामलों के बारे में डा० मेनन द्वारा जानकारी दी गई है उन के बारे में सरकार के पास जानकारी है या नहीं।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या चर्चा से पूर्व सरकार अपनी जानकारी सभा-पटल पर रखेगी।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : नियमों और परिपाटियों के अनुसार जो जानकारी सभा-पटल पर रखी जा सकती है वह रखी जायेगी। और यदि ऐसी कोई जानकारी न होगी तो नहीं रखी जायेगी।

†**पंडित गोविंद मालवीय** : (सुल्तानपुर) : क्या केरल सरकार से हमें एक सप्ताह के अन्दर जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हरेक बात पर अच्छी तरह से विचार करना जरूरी होगा। अतः शायद जानकारी इतनी जल्दी प्राप्त न हो सके।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : (नई दिल्ली) : इस का अर्थ यह है कि इस सत्र में चर्चा नहीं होगी तो यह मामला नवम्बर के लिये टल जायेगा। और बहुत देर के लिये स्थगित हो जायेगा। संविधान द्वारा हमें अधिकार है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें और मैं चाहती हूं कि इस विषय में वाद विवाद हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्या चाहती हैं कि मैं उन की बात से सहमति प्रकट करूं ? माननीय सदस्य मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। मुझे बहुत खेद है कि एक समूह के नेता ने भी आरोप लगाया है कि सरकार धमकी में आ रही है।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं। मैं ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं ने तो यह कहा है कि जनता ऐसी धारणा बना लेगी। मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि मेरी बात को गलत तरीके से कहा जा रहा है। * * * — * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : उस बात का मैं ने जो अर्थ समझा था, वही मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि शुक्रवार को मैं ने जो कुछ* कहा था उस सम्बन्ध में मेरी व्याख्या गलत है। यदि ऐसा हो भी तो माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने सम्बन्ध में ही धारणा बनाने का अधिकार है।

***अध्यक्ष के आदेश से निकाला गया।

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सभा के बाहर इस से यह धारणा पैदा होगी कि अध्यक्ष महोदय धमकी की बातों से डरते हैं। एक बात कह कर फिर उसे बदल देना और यह कहना कि मेरा अर्थ तो कुछ और ही था, ठीक नहीं है। इस समय चर्चा की अनुमति देना ग़लत होगा। हो सकता है कि माननीय सदस्य कहें कि यह मामला काफी पहले सभा में लाया गया था। लेकिन हमें भी तो केरल राज्य सरकार से परामर्श करना है। इस मामले को मुझे काफी महत्व देना है। राज्य सरकार की जानकारी थोड़ी-थोड़ी कर के आ रही है, पहली बात यह हमें ४ सितम्बर को प्राप्त हुई थी। मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता कि इस सत्र में वाद-विवाद हो गया नहीं।

†**पंडित गोविन्द मालवीय :** हम तो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि यदि आप वाद-विवाद की अनुमति देना चाहेंगे तो क्या वाद-विवाद इसी सत्र में होगा ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार से जानकारी आ रही है। मुझे उन को सरकार के पास भेजना पड़ता है और उन पर सरकार की राय लेनी पड़ती है। यह कोई सरल मामला नहीं है। इस काम में अनेक कठिनाईयां आ सकती हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उस की संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा सम्भावनाओं संबंधी ज्ञापन के बारे में प्रस्ताव पर, जो १७ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किया गया था, और १८ सितम्बर, १९५८ को उस के बारे में प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्तावों संख्या १ से १६, १८ और १९ पर चर्चा जारी रखेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी रखें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** (हिसार) : माननीय स्पीकर साहब, १९ तारीख को जब मैं बोल रहा था तो एक आनरेबल मेम्बर साहब जो मेरे से पहले बोले थे उन को जवाब दे रहा था सीलिंग (सीमा) के बारे में। और मैं पंजाब में ३० एकड़ की सीलिंग के बारे में बहस कर रहा था। उस के बारे में मैं चन्द बातें जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं।

हमारे सामने सवाल यह है कि देश के अन्दर खेती की पैदावार बढ़े और काफी पैमाने पर बढ़े। लेकिन अब आप इतनी छोटी सीलिंग लगाने जा रहे हैं कि जिस से मुझे पूरा डर है कि देश के अन्दर खेती की पैदावार के बढ़ने में काफी नुकसान पहुंचेगा।

सब से अव्वल मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में आज एक मजदूर दो रुपये रोजाना पैदा करता है। इस से ज्यादा भी करता है। मगर इतना तो करता ही है। अब आप एक किसान के लिये ३०० रुपये माहवार की सीलिंग रखना चाहते हैं। अगर उस के कुनबे में ५ आदमी भी हों तो हर आदमी की आमदनी ६० रुपये माहवार यानी दो रुपये रोज से ज्यादा नहीं हो सकती। इस का मतलब यह हुआ कि पंजाब में जितने भी लोग गांवों में रहेंगे उन में से किसी की भी आमदनी दो रुपये रोज से ज्यादा नहीं हो सकेगी। मेरी नाकिस राय में इस तरह का सीलिंग पोलीटिकली

---

†मूल अंग्रेजी में

(राजनीतिक दृष्टि से) निहायत अनसउंड (हानिकारक) है, इकनामिकली (आर्थिक दृष्टि से) निहायत आबजेक्शनेबल (आपत्तिजनक) है और सोशली (सामाजिक दृष्टि से) अनर्थिकेबल (असम्भव) है। मेरी अदब से गुजारिश है कि आयन्दा लोग जो गांवों में रहेंगे वे अपने इलेक्शन्स लड़ेंगे या नहीं, वे काउंसिल में और पार्लियामेंट में जायेंगे या नहीं। आप सोचें कि दो रुपये रोज वाला मजदूर यह काम कैसे कर सकेगा। आज मिनिस्टर साहब २ रुपये रोज अपने अर्दली को दे देते हैं, खलासियों को दे देते हैं, कुली भी इस से ज्यादा कमा लेते हैं। अगर गांव में एक कुनबे की आमदनी ३०० रुपये माहवार होगी और अगर उस कुनबे में पांच आदमी भी हुए तो वह आदमी किस तरह से इलेक्शन लड़ सकेगा, कैसे वह अपने बच्चों को ऊंची तालीम दिलवा सकेगा, कैसे पक्के मकान बनवा सकेगा, अगर उस की फैमिली में कोई बीमार हो जाये तो कैसे वह डाक्टर की फीस दे सकेगा, वह कैसे अपनी जिन्दगी गुजारेगा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह सीलिंग निहायत कम है। इस का नतीजा यह होगा कि कोई नौजवान जोकि गांवों में रहता है ऊंची तालीम नहीं हासिल कर सकेगा। उस का इंसेंटिव (प्रेरणा) खत्म हो जायेगा। कोई ज्यादा पैदावार करने के वास्ते आगे नहीं आवेगा। आज इसका असर यह हो रहा है कि पंजाब में हर एक जमीन वाला निहायत दुखी है, निहायत अनसरटेन (अनिश्चित) है और उस की हालत काबिले रहम है।

आपने यहां पर एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा कर विधेयक) पास किया कि ५०,००० से ज्यादा की जायदाद पर ४ पर सेंट टैक्स लगेगा। पर आज पंजाब में यह खयाल है कि अगर किसी का बाप मर जायेगा और अगर उसके पास १०० एकड़ जमीन है और उसके एक ही लड़का है तो उसकी ७० एकड़ जमीन चली जायेगी और उसके पास सिर्फ ३० एकड़ ही जमीन रह जायेगी। यह चीज़ हर किस्म के कानून और कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। कांस्टीट्यूशन में हम ने दफा १९ रखी है। उसके रहते हुए यह नहीं किया जा सकता। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया कि सन् १९५३ के बाद या सन् १९५३ में जो एलियनेशन (अन्य संक्रामण) किये गये हैं वे नाजायज़ हैं। लेकिन पंजाब में यह होगा कि सन् १९५३ के बाद भी अगर कोई एलियनेशन किया गया है लेकिन अगर किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वह उसे नहीं रख सकेगा। यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। यह सबवरसिव आफ ला एंड आर्डर (विधि और व्यवस्था के विरुद्ध) है। इसका नतीजा यह होगा कि गांवों में दो कलासेज़ (वर्ग) हो जायेंगे। हम पहले से ही कास्ट सिस्टम (जात पात) को रो रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट नई कास्ट बना रही है। एक वह कास्ट जिसके पास ३० एकड़ जमीन होगी और एक वह जिसकी आमदनी १०४ रुपया साल होगी और तीसरी कास्ट शहर वालों की होगी। शहर वालों के लिये २५०० की परसनल सीलिंग भी गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं की। हाउस में यह तजवीज़ पेश की गयी थी कि शहर वालों के लिये इंडस्वीजुअल आमदनी की २५०० की सीलिंग कर दी जाये, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे मंजूर नहीं किया लेकिन गांवों में सारे फैमिली के लिये ३०० रुपया सीलिंग रखना चाहती है। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन (विभेद) और कुछ नहीं हो सकता। यह हरगिज मुनासिब नहीं है और मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरह का सीलिंग लगाने से पैदावार और भी कम हो जायेगी।

मैं अब इस किस्से को छोड़ता हूं और जनाब की खिदमत में मुझे जो असली मजमून अर्ज करना है उसकी तरफ आता हूं। हमारे प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने इस तरह से प्लानिंग

†मूल अंग्रेज़ी में

किया है कि न इकानमिक प्लानिंग (आर्थिक योजनाकरण) ही हुआ है और न पोलीटिकल प्लानिंग ही हुआ है। हम यह समझते थे कि हर एक मिनिस्टर अपने अपने मुहकमे का जिम्मेवार है। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने ऐसा प्लानिंग किया है कि हर एक मिनिस्टर अपने अपने मुहकमे का आज मालिक नहीं है। आज बड़ी धूमधाम है और बड़ा चरचा है एग्रीकल्चर की और एनीमल हसबेंडरी की (कृषि और पशु पालन की)। मुझे इस सिलसिले में किदवाई साहब की एक बात याद आ गयी जिसकी तरफ मैं जनाब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह एक परसनल वाकया है जो कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे मिनिस्टर साहिबान किदवाई साहब के नक्शे कदम पर चलें कि जिन्होंने इस बात का रिकार्ड कायम किया कि देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सैटिसफैक्शन (संतोष) फैलाया। एक मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनीमल हसबेंडरी के मुताल्लिक तकरीर करते हुए ऐनीमल हसबेंडरी के उन उसूलों के खिलाफ कुछ कहा जिनको किदवाई साहब सही मानते थे। तो मैं ने किदवाई साहब से कहा कि यह मामला क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह से ऐनीमल हसबेंडरी को रगड़ रहे थे कि जो एगरीकलचर मिनिस्ट्री के मुसलमा उसूलों के खिलाफ़ था। इस पर किदवाई साहब ने फरमाया कि जब तक मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हूं तबतक इस मामले में मेरी पालिसी ही चलेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ऐडवाइस कर सकते हैं लेकिन जब तक मैं ऐग्रीकल्चर का मिनिस्टर हूं पालिसी मेरी ही चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और की पालिसी चले। चुनांचे यह देखने के लिए जो कुछ उन्होंने फरमाया है उस पर वह कहां तक जमते हैं मैं ने हाउस में सवालात किये और मैं बड़े गुरूर के साथ कह सकता हूं कि हाउस में उन्होंने अपनी वही राय जाहिर की जो कि वह ठीक समझे हुए थे। आज मैं देखता हूं कि दूसरे हाउस में श्री अजित प्रसाद जैन साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर तो सुपर (सब से बड़े) मिनिस्टर हैं ऐग्रीकल्चर के। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर कोई पूरे तौर से इस मुहकमे का मिनिस्टर नहीं है तो हम किसको जिम्मेदार करार दे सकते हैं। यह अजीब बात है कि यहां कोई मिनिस्टर नहीं है, यहां कोई सुपर मिनिस्टर है, कोई अन्डर मिनिस्टर है, कोई डिप्टी मिनिस्टर है। ऐसी हालत में हम किसे जिम्मेदार करार दे सकते हैं। जनाब वाला यह एक प्रेक्टिकल चीज है। मुझे अफसोस है कि ऐग्रीकल्चर और ऐनीमल हसबेंडरी के लिये कोई मिनिस्टर अहल नहीं है, न कोई इस में काम करना चाहता है और न कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है और न कान्सटीट्यूशनल जिम्मेदारी ही साथ है। इसी वजह से इस मुहकमे में यह अबतरी फैली हुई है। जनाब वाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि यहां पर फारमर्स फोरम की मीटिंग हुई थी। उस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलानिया उस जलसे में फरमाया था कि मैं ऐग्रीकल्चर से वाकिफ नहीं हूं। पहले भी कई मिनिस्टर साहिबान ने यही फरमाया था कि जो काम वह कर रहे हैं उन मुहकमों को उनको वाकफियत नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहिबान बहुत काबिल हैं। पर ऐनीमल हसबेंडरी के मुहकमे का अगर कोई ऐसा मिनिस्टर हो जाये कि ऐनीमल हसबेंडरी के बारे में वाकफियत नहीं रखता तो वही हालत होगी जिसका कि मैं ज़िक्र करने जा रहा हूं।

आपके सामने इस मजमून पर बोलते हुए जैपाल सिंह साहब ने फरमाया था कि प्लानिंग कमीशन को पोलीटिकल प्लानिंग भी करना होगा और कांस्टीट्यूशन में जो गलतियां हैं उनको भी ठीक करना होगा। मैं भी यह मानता हूं कि हमारे देश का ऐगीकल्चर का मसला उस वक्त तक तै

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं होगा जब तक कि कांस्टीट्यूशन में तबदीली न की जाये । मेरी पहले भी यह राय थी और आज भी यह राय है ।

आप मुलाहिजा फरमावें कि मसूरी की कानफरेंस में ऐग्रीकल्चर के मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुझे ११५ करोड़ रुपया मिल जाये तो मैं १५.५ पैदावार बढ़ा सकता हूं । लेकिन प्लानिंग कमीशन ने इसको मंजूर नहीं किया । आज हम देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर श्री अजित प्रसाद जैन फ़रमाते हैं कि अगर मुझे सौ करोड़ रुपया फरटिलाइजर के लिये मिल जाये तो मैं ३०० करोड़ का ज्यादा गल्ला पैदा कर सकता हूं । म चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब को अपने मुहकमे का पूरा अख्तियार हो और जैसे किदवाई साहब करते थे उसी तरह से काम किया जाये और कोई सुपर मिनिस्टर उसके काम में दखल न दे सके । मैं अर्ज करता हूं कि जो मिनिस्टर अपने को मिनिस्टर नहीं समझता तो उसको चाहिए कि वह इस मुहकमे से इस्तैफा देकर किसी और मुहकमे में चला जाये अगर वह पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता ।

एनिमल हसबेंडरी के मामले में हमारे देश का जो सत्यानाश हुआ, उस की जो खराबी हुई, मैं उसका कुछ जिक्र करना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि आज उस का कोई वाली-वारिस नहीं है । हमारे प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी का ख्याल है कि जापान और चीन में लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं, इस लिए उस की क्या जरूरत है । जब भी गाय का जिक्र आता है, तो वह एक ऐसा **पायंट आफ़ व्यू** (दृष्टिकोण) रखते हैं, जो कि गाय के बारे में **पापुलर (आम) पायंट आफ़ व्यू** से मुख्तलिफ़ है ।

हाउस जरा कलेजा थाम कर बैठे क्योंकि मैं आप के रू-बरू यह अर्ज करने लगा हूं कि पिछले आठ दस बरसों में प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री की कार्यवाहियों का इस देश पर क्या असर हुआ है । इस सिलसिले में मैं जितने भी **फिगर्ज** (आंकड़े) रखने जा रहा हूं, वे सब गवर्नमेंट के **फिगर्ज** हैं—वे मेरे **फिगर्ज** नहीं हैं । इस देश में १९५१ में ५२ करोड़ मन दूध पैदा होता था और आज—१९५६ में—उस दूध की मिकदार ४७ करोड़ मन रह गई है । मैं ने हिसाब लगाया है, लेकिन चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिये मैं सब आंकड़े हाउस के सामने नहीं रख सकता हूं । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर १९५२ के दूध के पब्लिक दिये गये आंकड़ों का मुकाबला १९५६ के आंकड़ों से किया जाय, तो हम पाते हैं कि इस देश में इस अरसे में ५,४१,००,००० मन दूध सालाना कम हो गया है । अगर हम गाय भैंस की यील्ड (पैदावार) को देखें, तो उस में भी हम कमी पाते हैं । जो गाय पहले ४१३ पौंड सालाना दूध देती थी, वह आज ३६१ पौंड दूध देती है और जो भैंस पहले ११०१ पौंड सालाना दूध देती थी, वह आज सिर्फ ९७० पौंड देती है । अगर हम इन दोनों को मिला कर देखें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन पांच बरसों में इस देश में ५,४१,००,००० मन दूध सालाना कम हो गया है । मुझे पता नहीं है कि प्लानिंग कमीशन हम को कहां ले जायेगा और हम को कितने करजे के नीचे दबा देगा, लेकिन इन **फिगर्ज** को मानने पर हैं तकरीबन ८०० करोड़ रुपये का इस देश का नुक्सान हो गया और प्लान का छठा हिस्सा समुन्दर में गर्क हो गया । ५,४१,००,००० मन दूध की कीमत ११० करोड़ रुपया सालाना होती है और इस तरह १९५१ से लेकर आज तक इन आठ सालों में प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट ने अपनी **पालिसी** से ८०० करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया है । क्या यह थोड़ी रकम है ? **फारेन एक्सचेंज** (विदेशी मुद्रा) का

सारा गैप (कमी) इस से कवर (पूरा) हो जाता । बाहर से हम जितना गल्ला मंगाते हैं, उस सब की कीमत से ज्यादा यह रकम है, जिसका कि नुक्सान हो गया है ।

इस के बाद जनाब यह मुलाहिज़ा फ़रमायें कि जो बैलों की जोड़ी पहले चालीस मन का बोझ खींच सकता था, आज वह पच्चीस मन से ज्यादा बोझ नहीं खींच सकता है । इस देश के बैल कमज़ोर हो गये हैं । दूध न मिलने की वजह से इस देश के बच्चे भी कमज़ोर हो गये हैं । औरतों और बूढ़ों को दूध नहीं मिल रहा है । इन सब का नतीजा यह है कि इस देश में फिजिकल डिजेनीरेशन (शरीरिक क्षीणता) हो गया है ।

जहां तक अन-एम्पलायमेंट का ताल्लुक है, अगर गवर्नमेंट उस तरीके से काम करती, एनीमल हजबेन्टरी के मामले की जिस तरीके से काम करने की उस को सलाह दी गई, थी, तो इस देश में एक करोड़ आदमियों को काम मिल जाता और कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होती । इस विषय में जितने भी एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सबकी राय में आप की खिदमत में रखना चाहता हूं । उन की राय के मुताबिक सिर्फ ठीक फीडिंग (खाना देने) से ही एक बुलाक (भैंस) की पावर (शक्ति) साठ परसैंट बढ़ जाती है और एक गाय की दूध देने की पावर पचास परसेंन्ट बढ़ जाती है । गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में क्या किया है, वह मैं आगे चल कर बताऊंगा । इस वक्त मैं कुछ और फ़िगर्ज़ आप की खिदमत में पेश करना चाहता हूं । इस देश में जहां पर २५० बुल्ज़ की ज़रूरत है, वहां सिर्फ़ एक बुल मौजूद है । जहां तक बैलों का ताल्लुक है, इस देश में आज जितने बैल मौजूद हैं, उस से दो करोड़ ज्यादा बैलों की ज़रूरत है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बैलों के बग़ैर खेती मुमकिन है । मै यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि प्लोनिंग कमीशन और गवर्नमेंट ने आज तक एग्रीकल्चर और एनिमल हसबैंड्री के आपस के ताल्लुक को समझने की कोशिश नहीं की है । हम जमीन को भी माता कहते हैं और गाय को भी माता कहते हैं । दोनों एक रूट (जड़) से निकले हैं । उन दोनों के आपस के सम्बन्ध को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उस में कुछ इमेजिनेशन (सूझबूझ) की ज़रूरत है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम एनिमल हसबैंड्री की तरफ़ तवज्जह नहीं देंगे, तो यह नामुमकिन है कि एग्रीकल्चर आगे चले । एग्रीकल्चर कमीशन १९२८ में सारे देश में घूमा और उस ने यह राय कायम की कि एक पैयर आफ़ बुल्लक्स दस एकड़ ज़मीन काश्त कर सकता है । १९५० में मार्केटिंग आफ़ कैटल की रिपोर्ट में बताया गया कि ९.२ एकड़ से ज्यादा एक पेयर आफ़ बुल्लाक्स खेती नहीं कर सकता है । चन्द बरस हुए, गवर्नमेंट ने ह्यु मैन न्यु ट्रीशन विज़ा-वि एनिमल न्युट्रीशन (मनुष्यों का और पशुओं का पोषण) पर ग़ौर करने के लिए साइंटिस्ट्स की एक कमेटी कायम, की, जो कि इस नतीजे पर पहुंची कि आठ एकड़ से ज्यादा ज़मीन को एक पेयर आफ़ बुल्लक्स काश्त नहीं कर सकता है । लेकिन यह फ़िगर भी ग़लत है । मैं एक कनसिस्टेंट हिस्ट्री (लगातार पूरा इतिहास) दे सकता हूं, जिस से यह साबित होता है कि इस देशों में बैलों की ताकत कम से कमतर होती जा रही है और उसका नतीजा यह है कि आज मेरे हिसाब के मुताबिक एक पेयर आफ बुल्लक्स सात एकड़ से ज्यादा ज़मीन को काश्त नहीं कर सकता है । इस देश में पैंतिस करोड़ एकड़ ज़मीन काश्त होती है । आप यह सुन कर हैरान होंगे कि उस में गधों, हार्सिज (घोड़ों) गाय, भैंस और ऊंटों को जोड़ा जाता है

उन से काश्त की जाती है। सब को मिला कर ६६,७६,४६,००० से ज्यादा जानवर नहीं हैं, जिन से कि खेती होती है। पैंतीस करोड़ को चार से तकसीम कीजिए। एक **पेयर आफ़ बुल्लक्स** आठ एकड़ ज़मीन में खेती कर सकता है। इस देश में कम से कम दो करोड़ बैलों की कमी है। इन दो करोड़ बैलों की अदम-मौजूदगी में आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि इस देश में **आप्टिमम कल्टीवेशन** (अधिकतम कृषि) होगी। पंडित नेहरू रोज़ लेक्चर देते हैं और वह दिल से चाहते हैं—उन के दिल में इस बात की आग लगी हुई है—कि इस देश में **प्रोड्यूस** को दुगना तिगुना बढ़ाओ। मैं प्लानिंग कमीशन से यह पूछना चाहता हूं कि इस देश में **प्रोड्यूस** (पैदावार) को बढ़ाना कैसे मुमकिन है जब तक कि हमारे यहां ट्रेक्टर पावर काफी न होगी। अठारह हज़ार ट्रेक्टर सिर्फ़ एक परसेंट ज़मीन को काश्त कर सकते हैं। उस के बाद हमारे पास बैलों के सिवा कुछ नहीं रह जाता है और बैलों की तादाद आप के पास बहुत कम है। आखिर खेती का राज़ क्या है? **इण्टेन्सिव कल्टीवेशन** (गहन खेती) किस चीज़ का नाम है। चीन ने इन पांच बरसों में चालीस फ़ीसदी पैदावार बढ़ाई है। इस की वजह यह है कि वे लोग **इन्टेन्सिव कल्टीवेशन** करते हैं। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के एक एक्सपर्ट, मिस्टर राइट, ने अपनी किताब के पेज ५६ पर कहा है कि **इन्टेन्सिव कल्टीवेशन** और **मिक्सिड फार्मिंग** (मिश्रित खेती) के अलावा कोई तरीका नहीं है, जिस से कि इस देश में पैदावार बढ़ सके। जब **मिक्सिड फार्मिंग** को हम अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहते, तो फिर पैदावार कैसे बढ़ सकती है? जनाब, जो लोग खेती का काम करते हैं, अगर उन से पूछा जाय कि ज्यादा पैदावार का क्या राज़ है, उन का जवाब यही होगा कि पानी, बीज और खाद। जहां तक पानी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन आज तक सरकार ठीक किस्म के बीज मुहैया नहीं कर सकी है। मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं और एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल का भी मेम्बर हूं, लेकिन मैं भी मिनिस्टर्ज को लिखने और हर तरह की कोशिश करने के बावजूद **हाइब्रिड मेज़** (वटसिकर मक्का) का बीज़ हासिल नहीं कर सका हूं इस फसल के लिये इस हालत में बेचारे काश्तकार को बीज कहां से मिल सकता है? जो सीड फ़ार्म की तजवीज़ है, वह सिर्फ़ काग़ज़ों पर ही है। आज कितने ही ऐसे ज़मींदार हैं, जो कि अच्छे बीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन को नहीं मिलते हैं। जहां तक खाद का ताल्लुक है, आपके पास एक फ़ैक्टरी है, जो कि देश की ज़रूरियात के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। और हम उस चीज़ का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, जो कि **नेचर** ने हम को दी है। हमारे देश में आठ सौ मिलियन टन गोबर पैदा होता है, जिस में अगर ज्यादा नहीं, तो सोलह लाख टन नाइट्रोजन पैदा हो सकता है। उस का आप ने क्या इस्तैमाल किया? आप ने उस का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि **इन्टेन्सिव कल्टीवेशन** में ज्यादा पैदावार होने का राज़ इस चीज़ में मुज़मर है कि खेत में बार-बार काश्त की जाये—उस को बार-बार जोता जाय। जितना ज्यादा जोतेंगे, उतनी ज्यादा पैदावार होगी, जिस के मायने ये हैं कि जितने आप के पास बैल होंगे, जितनी बैलों की **फिजिकल पावर** होगी उतनी ही पैदावार बढ़ेगी। आपने इसकी तरफ़ तवज्जह नहीं दी है। यह **क्रिमिनल निगलैक्ट आन योर** (आपकी ओर से अपराधपूर्ण उपेक्षा) पार्ट है। इससे ज्यादा सख्त लफ़्ज इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास नहीं हैं। आपका रवैया इस तरह का रहा है कि देश को आपने बरबाद कर दिया है। यह सब कुछ आपने हमारी आंखों के सामने किया है। सन् १९५३–५४ में जब इस सदन के अन्दर बहस हुई थी तो मैंने एक एमेंडमेंट पेश की थी और वह एमेंडमेंट गवर्नमेंट के वास्ते एक वोट आफ **नो-कान्फिडेंस** (अविश्वास का प्रस्ताव) थी। वह मंजूर हो गई थी। उसमें लिखा था कि **इन दी इंटिरेस्ट**

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आफ रूरल वैलफेयर (ग्राम कल्याण का हित) इस तरफ हमको स्पेशल एटेंशन (विशेष ध्यान) देनी चाहिए। उस स्पेशल एटेंशन का मैं आपको नमूना पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आपने फाइव यीयर प्लान के बारे में जिस रिव्यू को छापा है उसमें आपने क्या लिखा है, उस तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मुझे तो उसको पढ़ने से भी शर्म आती है। यह नामुमकिन है कि यह गवर्नमेंट कभी भी एग्रिकलचरल के मसले को हल कर सके उस वक्त तक जब तक वह एनिमल हसबेंडरी की तरफ, बैलों की तरफ, एग्रिकलचरल स्कीम की तरफ पूरी तवज्जह नहीं देती। ये समस्यायें तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि पूरा दूध नहीं मिलता। लेकिन दूध की बात को मैं छोड़ सकता हूं, ज़मींदार इसकी परवा नहीं करता है कि उसको तथा उसके बच्चों को दूध मिलता है या नहीं, वह अपने बैलों की स्ट्रेंग्थ (शक्ति) की परवा करता है, उसके बैलों की स्ट्रेंग्थ इस देश के अन्दर इस तरह से कम कर दी गई है कि आपको ख्याल तक नहीं है। आप दुनिया के अन्दर जो स्लोगन्स (नारे) लगाये जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन आप किसान के बैलों की कोई परवा नहीं करते हैं। आपने पांच साला प्लान बनाया और बहुत मेहनत के साथ बनाया और इसके बारे में हम शोर भी बहुत सुनते थे। जो आपका पहला प्लान था वह मेनली एग्रिकलचरल प्लान था और आप कहते हैं कि उसके दौरान में आपने २० फीसदी पैदावार बढ़ा दी। दूसरा प्लान आप कहते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियालाजेशन (औद्योगीकरण) पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है, इसमें एग्रिकलचरल की तरफ मैं समझता हूं पूरी तवज्जह नहीं दी गई है।

अब आप रिव्यू आफ दी फाइव यीयर प्लान के सफा १२८ के कुछ पोर्शंस को देखें। जहां पर लिखा है कि पोषण तत्वों को आवश्यकता गांवों के कार्यक्रमों के लिये अत्यावश्यक है, पर इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है। यह आप ने जो लिखा है गलत लिखा है, आप को लिखना चाहिये था कि ग्रेट रिट्रोगेशन हुई है, सख्त डिटेरियोरेशन हुआ (हालत बहुत बिगड़ गई है) है।

आगे चल कर आप ने लिखा है कि बेहतर किस्म के पशुओं और उन के उत्पादों के क्रय-विक्रय के मामले में भी अधिक प्रगति नहीं हुई है।

यह भी आप ने गलत लिखा है। आप ने लिखा है नार हैस मच प्राग्रेस बीन मेड, लेकिन मैं समझता हूं कि नाट ईवन दी फ्रिंज हैज बीन टच्ड (उस की ठीक शुरूआत भी नहीं हुई है) ये दोनों बातें जो आप ने लिखी हैं गलत लिखी हैं। ऐसे हालात में इंटेंसिव कल्टीवेशन कभी मुकिन नहीं हो सकती है। आप को लोगों की राय पर चलना होगा और दूध की रोज अफजूं कमी और बैलों की ताकत की तरफ तवज्जह देनी होगी और उस को अच्छा करना होगा। अगर कोई और देश होता जहां पर कि पांच करोड़ मन दूध सालाना कम होता इस तरह से, तो वहां की गवर्नमेंट का कहीं पता न चलता। कान्फिडेंस और नो-कान्फिडेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सच पूछिये तो इस के बारे में आप ने कुछ किया ही नहीं है। आप फिज़िक आफ द पीपल (जनता का स्वास्थ्य को देखें, आप देखें कि उन के मुंह पर क्या लिखा है, आप ने लोगों की लस्सी कम कर दी, उन के खाने की जो स्टेपल फूड है, उस को आप ने कम कर दिया है। आज ज़मींदार के किसी लड़के या लड़की को दूध पूरा नहीं मिल पाता है और इस का कारण यह है कि आप ने शहरों के अन्दर डेरियां खोलने की स्कीम

पर जोर दिया है ताकि गाय का दूध वहां आ जावे लेकिन दूध की मात्रा कम कर दी है । आप ने वहां सारा रुपया जो जानवरों की बेहतरी पर खर्च होना चाहिये था बरबाद कर दिया है । आप ने ९७ लाख रुपया गो सदनों के लिये रखा था पिछली स्कीम में लेकिन पांच साल में आप केवल तीन लाख रुपया ही खर्च कर सके । आप ने दो करोड़ ९७ लाख रुपया एनिमल हसबैंड्री के लिये रखा था लेकिन सिर्फ २० लाख रुपया ही आप ने खर्च किया है । यह एक फंडामेंटल चीज़ है कि जब तक एनिमल हसबैंड्री देश में इम्प्रूव नहीं होगी तब तक मुम्किन नहीं है कि आप का ऐग्रिकलचर का मसला हल हो सके ।

आपने तीन बड़ेबड़े कारखाने लोहे के बनाये हैं।आप इन कारखानों में ट्रेक्टर बनाने का विचार रखते हैं । इस को अभी कई बरस लगेंगे । इस वक्त आप के पास ट्रैक्टर नहीं हैं । हां जो कारखाने हैं वे आप को मुबारिक । वहां पर ट्रेक्टर बनने लगेंगे तब तो कुछ फायदा होगा लेकिन आज कुछ गरीब लोगों और किसानों को फायदा नहीं हो रहा है । आज तो आप के पास ट्रैक्टर भी नहीं हैं । आप रोज़ बरोज़ नये-नये कानून पास करते जाते हैं । लेकिन आज तक आप ने उन लोगों को, टेनेंट्स को **सिक्योरिटो आफ टेन्योर** (भूधारण की सुरक्षा) नहीं दिया है । आप की जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरे कारनामे हैं उन की तरफ मैं नहीं जाना चाहता । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में आप ने कानून पास किया । इम्पोर्ट्स (आयातों) को ज्यादा कर के हमारे एक कामर्स मिनिस्टर साहब ने हमारी **इकानोमी** (अर्थ-व्यवस्था) को तबाह कर दिया है । लेकिन इन सब चीज़ों को बरदाश्त किया जा सकता है । ये सब स्थायी महत्व की चीज़ हैं ; लेकिन एग्रिकलचर को जो शख्स बरबाद करता है, उस के लिये मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जिन का मैं उस के बारे में इस्तेमाल कर सकूं । परमात्मा ने हम को इतनी बढ़िया ज़मीन दी है, इतने बढ़िया बैल दिये हैं, इतनी बढ़िया गाय दी हैं, लेकिन हम उन सब का ठीक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । गाय के बारे में तो कई बातें हिन्दू शास्त्रों में लिखी हैं । कहा गया है कि बैल के सिर पर दुनिया खड़ी है । ३३ करोड़ देवताओं का गाय के पेट में वास है । ज़मीन के बारे में शस्य श्यामला का हमारे बन्दे मातरम् गीत में प्रयोग किया गया है । ये सब बातें ठीक हों या न हों, मैं इस में नहीं जाना चाहता । लेकिन यह मानी हुई बात है कि एग्रिकलचर पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है । लार्ड लिलिथगो ने भी कहा था कि **कौ एंड आक्सन आर दी बैकबोन आफ एग्रिकलचर** । आप ने इन के साथ क्या सलूक किया है । आप ने स्लूक यह किया कि आप ने सन् १९५६ में ८२ लाख ४६ हजार ९ सौ तीन खालें बाहर भेजीं जबकि उस से दस बरस पहले १९४७-४८ में सिर्फ ५८,१२,६५० खालें भेजी गई थीं । यानी खालों के **एक्सपोर्ट** (निर्यात) में तरक्की है ।

आप हर रोज़ लोगों को बतलाते हैं कि आप के पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट्स के हाथों में आप ने हिन्दुस्तान की जान दे रखी है । मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन के बारे में आप को कुछ बतलाउं । आपकी प्लानिंग कमिशन में ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्ट्स हैं, वे **आउट मोडिड** (पुराने पड़े), हैं वे नहीं जानते हैं कि एग्रिकलचर किस को कहते हैं । आप अगर राइट साहब ने जो लिखा है उस को देखें तो आप की आंखें खुल जायेंगी । इटली, नाइजीरिया, इजिप्ट आस्ट्रेलिया इत्यादि आप जा कर देखें तो आप को मालूम होगा कि उन्हों ने मिक्स्ड फार्मिंग के ज़रियों से हर एक आदमी की आमदनी बढ़ा दी है । उन के केटल निहायत कामयाब साबित हुए हैं, उन का सारा एग्रिकलचर का मसला तय हो गया है । आप ने ऐसा नहीं किया है । हमारे देश में ६ अरब और ३०

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करोड़ रुपये का कऊडंग जाया किया जाता है, उस का ठीक इंतज़ाम नहीं होता है। २ अरब ८० करोड़ रुपये का जो गोमूत्र है, उस का इस्तेमाल आज आप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है जब आप की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि यह काम मुश्किल है। लेकिन इस दिशा में आप कोई कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं। नौ अरब रुपया इस देश का ज़ाया हो रहा है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। इस का कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सही मानों में कुछ करना चाहते हैं तो आप **एनिमल हसबैंड्री** को सब से बड़ा रुतबा दें, इस के लिये **सेपेरेट** (अलग) मिनिस्टर रखें, सेपेरेट पोर्टफोलियो बनायें, प्लानिंग कमिशन में इस को सेपेरेट रिप्रिज़ेंटेशन दें। यह बात जब यहां कही जाती है कि बुरे जानवर अच्छे जानवरों का खाना खा जाते हैं, तो इस को सुन कर मेरा सिर शर्म से झक जाता है। हमारे मंत्री महोदय की तरफ से एक बार इस हाउस में यह **आर्गुमेंट** भी दी गई कि **ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों के इंटेरेस्टों** (हितों) के बीच कनफ्लिक्ट है। हमें तय करना है कि आया लोग खायें या जानवर खायें। अगर जानवर खाते हैं तो लोग भूखे मर सकते हैं। इस को कई बार यहां **रिपीट** (दोहराया) किया गया है। अगर आप ने बैलों की ५० परसेंट स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो पता नहीं आप की कितनी पैदावार बढ़ जाये और वह इतनी बढ़ सकती है जितनी कि आप के स्वप्न में भी नहीं है। वह दुगनी और तिगुनी हो सकती है। आप देखेंगे कि देश के अन्दर सब को आसानी से खाना खाने को मिल जायेगा। लेकिन आज इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। हमारे एग्रिकलचर मिनिस्टर साहब ने व प्लानिंग कमिशन ने उन पर जो आबलीगेशन्स थीं उन को ठीक तरह से नहीं निभाया है, उन पर जो कांस्टीट्यूशनल **आबलीगेशन्स** (दायित्व) थी उन को नहीं समझा है। इस का नतीजा यह हुआ है कि जो कांस्टीट्यूशन है वह सारी की सारी खत्म हो गई है। रोज बरोज़ जो इम्पोर्ट्स को आप बढ़ाते जाते हैं, इस के क्या माने हैं। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं कई बार कह चका हूं कि एक एक मन जो गेहूं इस देश के अन्दर आता है, वह हमारे देशवासियों का **हार्ड ब्लड** (रक्त) दूसरे मुल्कों में ले जाता है। इस को आज कोई महसूस नहीं करता है। हर रोज़ मैं कहीं न कहीं पढ़ता हूं कि इतना गेहूं बाहर से आयगा, दो बरस में और आयेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से आयेगा और क्यों आयगा ? आप क्यों इस को इम्पोर्ट करते हैं ? मैं नहीं समझता हूं कि कैसे आप यह कहते हैं कि यहां पर ज्यादा पैदा नहीं हो सकता ? आप किसी भी गांव में जायें और वहां पर गरीब से गरीब किसान से पूछें और कहें कि वह बतलाये कि उस को किस चीज़ की ज़रूरत है, वह क्या चाहता है। वह आप को बतलायेगा कि जब तक गाय और बैल की तरक्की नहीं होगी तब तक देश की खाद्य समस्या हल नहीं होगी।

आज तक जो होना था वह हो चुका। मैं नहीं कहता कि आप ने नेकनियती से काम नहीं किया। आप ने काफी बोझा हम पर डाल दिया है। आप उस को और न बढ़ायें। आप **फर्स्ट प्रायोरिटी** (प्राथमिकता) एग्रिकलचर को दें और उस में भी एनिमल हसबेंडरी को। एक एक रुपया जो आप एनिमल हसबेंडरी को फीड करने में खर्च करेंगे वह आप को इतना रिच **डिविडेंड** (लाभ) देगा कि कुछ कहना ही नहीं और आपकी जो समस्या है वह हल हो जायेगी। अगर जरूरत हो तो आप कांस्टीट्यूशन को भी तब्दील करें। आज होता है कि कोई चीफ मिनिस्टर यहां आ कर आप की गर्दन

पर हाथ रख कर कहता है कि इतना अनाज वहां भेजने का आप हुक्म दे दें और इतना अनाज बाहर से मंगा लें। आप का फ़र्ज़ है कि आप देखें कि फलां स्टेट ने जो उस के पास ज़मीन है उस का पूरा फायदा उठाया है या नहीं। आप ज़मींदारों को पानी देते हैं लेकिन ज्यों ही आप पानी देते हैं त्यों ही आप बैटरमेंट लैवी के वारेंट भेज देते हैं। इस तरह से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जिन चीज़ों की तरफ मैं ने आप का ध्यान दिलाया है उन की तरफ अगर आप पहले से ध्यान देते तो न दिक्कतों में आप फंसते और न देश को फंसाते। एनिमल हसबेंडरी और एग्रिकलचर इन दोनों को मिला कर मिक्स्ड फार्मिंग के ज़रिये आप मामले को हल कर सकते हैं। मेरे पास सारा मसला मौजूद है लेकिन चूंकि वक्त कम है और स्पीकर साहब का हाथ भी घंटे पर है और मेरी दुखभरी कहानी को सुन कर वह मुझे बोलने से भी रोकना नहीं चाहते, इसलिये वह सब चीज़ें मैं आप के सामने नहीं रखना चाहता। मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो लास (हानि) हो रहे हैं जिन की तरफ मैं ने आप का ध्यान दिलाया है एक तो पांच करोड़ मन का और दूसरे एक अरब रुपया से ज्यादा हर साल का वह कम हो सकता है अगर आप उस की तरफ तवज्जह दें। जब तक आप इस को नहीं रोकेंगे, तब तक यह मामला तय नहीं होगा। मुझे डर तो यह है कि कुछ बरसों के बाद दूध शायद हकीमों के नुस्खे में ही रह जाय और दरअस्ल देश के अन्दर दूध का मिलना बन्द हो जाये।

इसी तरह से बैलों को मैं देखता हूं कि उन की क्या हालत है। मैं प्लैनिंग कमिशन की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप और काम खत्म कीजिये। अपने हाथ को स्टे (रोकिये) कीजिये। सब से पहले आप इस मामले को हाथ में लें। आज हिन्दुस्तान के अन्दर हालत क्या है? जब हम फिगर्स को देखते हैं तो पाते हैं कि जहां सन् १९४७ के पहले दूध का पर कैपिटा कंजेम्प्शन ७ औंस था वहां अब उस का पर कैपिटा कंज़ंप्शन ४.४५ आउंस आ चुका है। आप नहीं जानते हैं कि यहां के बच्चों के लिये दूध कितनी जरूरी चीज़ है। राइट साहब ने सफा ५ पर लिखा है कि तीन महीनों के वास्ते कुछ बच्चों को दूध दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया। उन की छाती वगैरह को सम्भाला गया। लेकिन नतीजा यह निकला कि जिन बच्चों को दूध दिया गया उन की छाती बढ़ी, फैट बढ़ा जबकि जिन को दूध नहीं दिया गया था उन का जिस्म ठीक नहीं हुआ। इसी तरह साउथ इण्डिया में भी तजुर्बा किया गया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस देश में ज्यादा तवज्जुह दूध के प्रोडक्शन की तरफ दी जाय, बैलों की ताकत की तरफ दी जाय। उन की अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हमें इतना अनाज मंगाने की जरूरत नहीं है अगर देश के अन्दर दूध की मात्रा काफी रहती। वह प्रैक्टिकली फूड है। एक सेर दूध की ताकत ९ अंडों में होती है, आधा सेर गोश्त में होती है, एक सेर मछली में होती है यह एक मुसल्लेमा अम्र है। इस पांच करोड़ मन के मानी यह हैं कि आप कम से कम डेढ़ करोड़ लोगों की रोटी कम करते हैं। ६ छटांक रोटी की ताकत एक सेर दूध में होती है। एक तरफ आप चाहते हैं कि यह राट कम हो, अनाज बढ़े और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? आप कंसेन्ट्रेट आफ फाडर इस देश से बाहर भेज देते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास १०० में से सिर्फ ७८ गायों के वास्ते चारा है, कंसेन्ट्रेट है। लेकिन आप ने ११ करोड़ रुपये का चारा, ग्वार,दाना बाहर भेज दिया। ११ करोड़ रु० का दूध आपने बाहर से मंगाया, इस देश के अन्दर। मैं क्या क्या शिकायत करूं? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज इन का एडमिनिस्ट्रेशन आफ एनिमल हस्बैन्ड्री का जो है, वह इतना खराब है, आब्जक्शनेबल है, कि उस के लिये मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं। अगर और कोई मुल्क होता तो शायद वहां के लोग इस गवर्नमेंट की शक्ल तक न देखते, नो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कांफिडेंस का क्या कहना । मैं बहुत दुःख के साथ बोलता हूं, मुझे मिसअन्डरस्टैन्ड न कीजिये । मुझे मिनिस्टर से अदावत नहीं, मैं उन के लिये कोई खराब बात नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं बारह बरसों से चिल्लाता आया हूं कि गवर्नमेंट से, कितने ही बिल पेश किये, कई दूसरी चीजें कीं, लेकिन गवर्नमेंट ने सब की सब को ठुकरा दिया । मैं फ्रस्ट्रेट हो कर कहता हूं कि गवर्नमेंट ने इन दस बरसों में हमारा नुक्सान जितना किया, उतना फायदा नहीं किया । मैं चाहता हूं कि आज कम से कम गवर्नमेंट सबक़ ले और ऐनिमल हस्बैंड्री और मिक्स्ड फार्मिंग के उन तरीकों को अपनाये जो खुद उस के अपने एक्स्पर्ट्स कहते हैं । मगर वह तवज्जह नहीं देती ।

मुझे आप माफ करेंगे, मैं ने आप का ज्यादा वक्त लिया । लेकिन मैं अर्ज करता हूं जितना मुझ को इस पर बोलना था उसके लिये अगर एक घंटे की जगह पर एक मिनट भी लेता, तो भी मुझ को कुछ और वक्त चाहिये था । इसलिये आप ने मुझे जो वक्त दिया उस के लिये आप का बहुत किसी मश्कूर हूं ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज): मैं तो समझता हूं सरकार के सभी विभागों में से यदि किसी ने भी कुछ उपयोगी कार्य किया है, तो वह योजना आयोग ही है । इसलिये उसे जारी रखना चाहिये ।

यह योजना सभा के अनुमोदन से ही तैयार की गई थी । मुझे खेद तो सिर्फ इस बात का है कि सरकार योजना की सभी बातों पर दृढ़ नहीं रही है । सारी कठिनाइयां इसलिये पैदा हो रही हैं कि हम ने बार-बार योजना का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन किया है । वैसे पूरी योजना के लिये हम प्रकार धन जुटा ही लेते ।

मुझे ताज्जुब तो इस बात पर है कि अन्य देशों के मुकाबले में हमारा उत्पादन इतना कम क्यों है । प्रधान मंत्री का कहना है कि हम अपने देश की तुलना अमरीका और सोवियत संघ से तो नहीं, पर हां चीन से अवश्य कर सकते हैं । चीन ने हमारे बाद ही अपने यहां योजना बनाना शुरू किया था । उस समय चीन कुल ५ लाख टन इस्पात का उत्पादन करता था, जबकि हमारे यहां का 'टाटा आइरन एण्ड स्टील वर्क्स' ९ लाख टन इस्पात तैयार करता था । चीन ने १९५२ में १३ लाख टन और पिछले साल ५३ लाख टन तक इस्पात का उत्पादन बढ़ा लिया था, और इस साल उस का लक्ष्य १ करोड़ ७ लाख टन इस्पात का है । और हम इस साल २० लाख टन इस्पात से अधिक का उत्पादन नहीं कर पायेंगे । इस से भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने हमारे विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त पर चल कर ही इतनी उन्नति की है । चीन ने अपने हर गांव में इस्पात तैयार करने की वायु भट्टियां लगाई हैं । उस ने इस बीच में २,४०,००० नयी वायु-भट्टियां लगाई हैं और अभी तक हमारे इस्पात कारखाने ही नहीं बन पाये हैं, वे १९६२ से अपना काम शुरू करेंगे । यह एक बड़ी विचित्र सी बात है ।

इन सब सफलताओं को मात्र प्रचार नहीं कहा जा सकता । वह सिर्फ अपने-आप को धोखा देना होगा । हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिये कि उन्हों ने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की और उस के लिये निधि कैसे जुटाई ।

---

† मूल अंग्रेजी म

इसी तरह, चीन ने १९५२ से १९५८ तक कोयले के उत्पादन को भी ६ करोड़ ३५ लाख २८ हजार टन से २१ करोड़ टन तक पहुंचा दिया है। उन का विद्युत का उत्पादन भी १९५२ में ७ अरब २६ करोड़ किलोवाट से बढ़ कर इस वर्ष २७ अरब ५० करोड़ किलोवाट हो गया है। इसी प्रकार, उन का सीमेन्ट का उत्पादन भी १९५२ में २८,६०,००० टन से बढ़ कर इस वर्ष १,००,००,००० टन हो गया है।

यह कोई साधारण सी सफलता नहीं है। योजना आयोग को इस के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिये। मेरी समझ में तो चीन की कृषि ने ही उसे अपनी योजनाओं के लिये अपेक्षित संसाधन प्रदान किये हैं। चीन का कृषि उत्पादन भी इस बीच में चार गुना हो गया है। एक ही वर्ष में उन्होंने ४० प्रतिशत वृद्धि कर दिखाई है। दूसरी ओर हम हैं कि हम ने अपने देश में सिंचाई की जो क्षमता पैदा की है, उस का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हमारे खेत सिर्फ खेती पर निर्भर करते हैं, जबकि सोवियत संघ और चीन का अनुभव यह है कि खेती अपने आप में आत्म निर्भर नहीं होती; वे उस के साथ ही डेरी, पशुपालन और मुर्गी-पालन इत्यादि भी करते हैं, जिस से उन्हें होने वाली आय फार्म की कुल आय की ५०–६० प्रतिशत होती है। हम खेती के इन सहायक उद्योगों की ओर ध्यान ही नहीं देते।

अपने देश में सिंचाई की वर्तमान क्षमता का भी पूरा उपयोग न हो पाने का कारण यह है कि सरकार ने उस की दर ३० रुपये प्रति एकड़ रखी है, जो किसानों की पहुंच से बाहर है। उन नयी बड़ी-बड़ी नहरों का पानी बेकार जाता है।

एक और चीज़ यह है कि हमारे देश में खेतों में बनने वाली खादों का केवल २० प्रतिशत ही उपयोग में लिया जाता है।

इसलिये हमें अपनी कृषि को और अच्छे ढंग से संगठित करना चाहिये, क्योंकि वही हमारी योजना की मुख्य आधार-शिला है।

मैं भूमि सुधारों के प्रश्न पर पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत नहीं हूं। हमारे कृषकों में ३० प्रतिशत खेतिहर मज़दूर हैं। और जब तक हम कृषकों को भूमि का स्वामी नहीं बनाते, तब तक उस में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्साह पैदा नहीं होगा। चीन में यही किया गया है। इसलिये हमें खेतिहर मज़दूरों में भूमि का बंटवारा कर के, उस के बाद ही सहकारी फार्म संगठित करने चाहियें।

हमें इस योजना में सारा जोर कृषि पर ही देना चाहिये। हमें प्रतिवर्ष लगभग १० करोड़ टन कृषि-उत्पादन करना ही चाहिये। फिर हमें दूसरे देशों से खाद्यों और कपास का आयात नहीं करना पड़ेगा।

इसलिये, मेरा संशोधन मुख्यतः कृषि को ले कर ही है।

प्रतिरक्षा के लिये भी हमें दूसरे देशों से केवल आधुनिकतम शस्त्रास्त्र ही मांगने चाहियें। अन्य शस्त्रास्त्रों का उत्पादन हमारे अपने देश में ही होना चाहिये।

[श्री शि० ला० सक्सेना]

हमें सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा भी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिये । १९६० तक १४ साल के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा आरम्भ हो जानी चाहिये । उस के अभाव में, देश की प्रतिभा का बड़ा अपव्यय हो रहा है । शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यह भी आवश्यक है कि भारी उद्योगों पर जोर देने के साथ ही, हम अपने देश से भ्रष्टाचार का नाम-निशान मिटा दें ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं योजना आयोग और योजना मंत्री के विरुद्ध प्रयुक्त होने वाले कटु शब्दों के भण्डार में अधिक वृद्धि नहीं करना चाहता । फिर भी, योजना की सम्भावनाओं के बारे में अब बड़ी अनिश्चितता है ।

मैं तो सरकार पर अपना वचन भंग करने का, और हमारा विश्वास भंग का दोष लगाता हूं । इसलिये कि सरकार ने मूल योजना में अतिरिक्त करारोपण से ४५० करोड़ रुपये उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा था । जनता ने बढ़े हुए कर भी इस योजना के लिये खुशी से अदा किये और सरकार को ५०० करोड़ रुपये और अधिक दिये । इस पर भी अब सरकार कहती है कि वह योजना के लक्ष्य पूरे नहीं कर सकेगी । ८० लाख नई नौकरियों की जगह सिर्फ ६५ लाख ही जुटा सकेगी, कोयले का उत्पादन भी निर्धारित लक्ष्य से ४० लाख टन कम ही रह जायेगा । विश्वास भंग करना और किसे कहा जाता है ?

लेकिन मैं इस पर योजना आयोग को हटा देने का सुझाव नहीं दूंगा । यह सही है कि योजनीकरण करना हमारे लिये एक नई-नई चीज़ है, लेकिन मेरी शिकायत तो यह है कि सरकार न तो अपने और न दूसरों के ही अनुभव से कुछ सीखना चाहती है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य यह बताया गया था कि वह द्वितीय योजना के लिये ज़मीन तैयार करेगी । मैं पूछता हूं कि उसे इस में कहां तक सफलता मिली है ?

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना के उद्देश्य इस प्रकार बताये थे—कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि, घरेलू बचत में लगातार वृद्धि, विदेशी मुद्रा की कमी दूर करने के लिये विदेशी सहायता, मूल्य स्तर में स्थायित्व और पांचवां यह कि आस्तियों और संसाधनों का कार्यक्षम उपयोग । विदेशों की सहायता के अलावा, अभी तक कोई भी अन्य उद्देश्य पूरा नहीं किया गया है । सरकार को इस के कारणों की जांच करनी चाहिये ।

मैं तो समझता हूं कि इस अव्यवस्था का मूल कारण है घाटे की अर्थव्यवस्था का अविवेकपूर्ण उपयोग । प्रथम योजना में कृषि पर ही पूरा जोर दिया गया था । द्वितीय योजना में उस के लिये ११.८ प्रतिशत व्यय ही रखा गया है । लेकिन इस पर भी भूमि की उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है । आंकड़ों के अनुसार उत्पादन तो २५ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन साथ ही हमारा खाद्यान्नों का आयात भी बढ़ गया है । इतना ही नहीं, खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ने के कारण, हमारे देश में मूल्य-स्तर भी ऊंचा चढ़ गया है । सरकार ने इस का कोई भी उत्तर नहीं दिया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के आखिरी दो वर्षों में हम ने बड़े अनाप-शनाप ढंग से घाटे की अर्थ-व्यवस्था की थी । इतना ही नहीं, इन दो वर्षों में योजित व्यय का ५० प्रतिशत भी खर्च कर दिया गया था । इसी से यह सारी पेचीदगियां उठ खड़ी हुई हैं । लेकिन सरकार ने अपनी इस गलती से कुछ भी नहीं सीखा है । वह उसी को बार-बार दोहरा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार द्वितीय योजना के आखिरी दो वर्षों के लिये भी सरकार ने कुल योजना-व्यय का ४८ प्रतिशत ही छोड़ा है । इस की कमी पूरी करने के लिये और अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस से खाद्यान्नों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी ।

इस ढंग से तो योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में यदि हम जनता से अतिरिक्त कर न देने के लिये कहें, तो कोई अपराध नहीं होगा । एक दिन सरकार को इस का भी सामना करना ही पड़ेगा । सरकार ने करारोपण तो दूना कर दिया है, लेकिन योजना के लक्ष्यों को घटा दिया है ।

सरकार ने दूसरी ग़लती यह की है कि योजना के क्षेत्र से बाहर के, विकास के अतिरिक्त अन्य मदों पर काफ़ी खर्च बढ़ा दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा व्यय कितना हुआ है और उस के लिये कौन जिम्मेदार है । यह तो योजना को कार्यान्वित करने का कोई ढंग न हुआ । सरकार संसद् की ओर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं देती ।

मेरी अपनी गणना के अनुसार तो द्वितीय योजना के काल में विकास की और विकास के अतिरिक्त अन्य मदों पर कुल खर्च २२४ करोड़ रुपये तक हो जायेगा । योजना आयोग पहले से इस का अनुमान क्यों नहीं लगा सका ? योजना आयोग यथार्थ की दुनिया से दूर, अपनी कल्पना में ही रमता रहता है ।

योजना आयोग में बहुत से विशेषज्ञ हैं और वे अंधाधुन्ध प्राक्कलनों की झड़ी सी लगाते रहते हैं । नतीजा यह होता है कि पहले तो कोई भी निश्चित प्राक्कलन नहीं रहता और बाद में करदाताओं को उस का मूल्य चुकाना पड़ता है ।

अभी तीन महीने पहले ही योजना के अत्यावश्यक भाग की लागत ४,५०० करोड़ रुपये बताई गई थी, और अब फिर उसे १५० करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है । और हमें अभी कुल ४,२६० करोड़ रुपये के साधन ही उपलब्ध हैं । इस पर सरकार योजना में कटौती करने की बातें करने लगती है । अभी सरकार योजना के अत्यावश्यक भाग को कार्यान्वित करने का वचन दे रही है, लेकिन योजना की समाप्ति पर वह कह देगी कि संसाधनों की कमी के कारण वह योजना के अत्यावश्यक भाग को छू भी नहीं सकी ।

इस की जिम्मेदारी योजना आयोग और सरकार दोनों पर है । इसीलिये अब जनता अधीर हो उठी है । मैं तो यह समझता हूं कि योजना के सम्बन्ध में यह पस्त हिम्मती पैदा होने का मुख्य कारण यही है कि योजना की कार्यान्विति का सारा काम राज्य सरकारों के मंत्रियों को सौंप दिया गया है, जिन्हें जनता के कल्याण की रंचमात्र भी परवाह नहीं है । वे राजनीतिक दलबन्दी के दलदल में फंसे रहते हैं । वे जिला मैजिस्ट्रेटों और पुलिस पर योजना की कार्यान्वित का काम छोड़ देते हैं ।

इसलिये, मेरा एक ठोस सुझाव यह है कि माननीय मंत्री को सभी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये । संसद् सदस्यों में कुछ व्यवहारिक बुद्धि है, जो प्रशासन और योजना आयोग के पास नहीं है । आज जो संकट है वह वास्तव में योजना की कार्यान्विति को ले कर ही है । हमें उसी की ओर ध्यान देना चाहिये, तभी योजना को सफल बनाया जा सकता है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना त्रुटियों तथा कठिनाइयों के होते हुए भी आगे बढ़ रही है और इस म कोई सन्देह नहीं कि इस

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

आयोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर हमारा देश काफ़ी चीज़ों में आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी हो जायेगा ।

कुछ कठिनाइयां जनता के सामने हैं और वे रहेंगी । योजना आयोग को चाहिये कि वह इस विज्ञान भरी योजना को चतुराई से सोचे ।

इस समय जो सब से बड़ी कठिनाई हमारे देश के सामने है वह विदेशी मुद्रा की कमी की है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अभी भी हमारे देश में अरबों का धन पड़ा हुआ है और वह धन सोने चांदी के रूप में है जो सिर्फ देखने के काम आता है । अगर उसको योजना के काम में लाया जाय तो यह हमारी आर्थिक समस्या के हल होने में बहुत मददगार सिद्ध होगा और अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत सी आसानियां हो जायेंगी । मेरे विचार में कोई भी इस देश का रहने वाला यह पसन्द नहीं करेगा कि अरबों रुपये की सम्पत्ति देश में हो और हम दूसरे देशों के धन पर निर्भर रहें और सहायता के लिए उनकी ओर ताकते रहें ।

इस दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में हमारे उद्योग धंधों को बहुत प्रोत्साहन मिला है । अभी मुझे जुलाई मास में संसदीय स्टडी ग्रुप के साथ पूर्वी क्षेत्र में जाने का मौक़ा मिला था । मैं ने भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला और डी० वी० सी० आदि सब जगहों में पबलिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में चलने वाली इंडस्ट्रीज़ देखीं । मैंने पबलिक सैक्टर और निजी सैक्टर में कोयले की खानों में काम होते देखा और वहां बड़े बड़े काम चलते देख कर मन में बड़ी खुशी हुई । यह देख कर कि देश निर्माण के काम में किस उत्साह और लगन के साथ हजारों श्रमिक लोग काम कर रहे हैं, दिल में बहुत खुशी हुई और मन उत्साह से भर गया । वहां के कर्मचारियों ने जब वे हमें सब काम जो वे कर रहे थे दिखाये तो उनके दिल उत्साह और खुशी से भरे हुए थे और उनको इस बात का अहसास था कि वे देश के नवनिर्माण के काम में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं । वे खुशी खुशी हमको बताते थे कि देखिये जब यह चीज़ पूरी हो जायगी तो हमारा उत्पादन बढ़ जायेगा और आज जो हमें काफ़ी विदेशी मुद्रा इस पर खर्च करनी पड़ रही है वह बच जायेगी और आज जितनी हमें विदेशी मुद्रा मंगानी पड़ रही है उसमें कमी हो जायेगी । वहां बड़ी बड़ी योजनाओं पर कार्य होते देखकर दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई । कोयले की खानों के हमने निजी सैक्टर के भी काम को होते देखे । उन लोगों की कुछ कठिनाइयां थीं । सम्बन्धित मंत्रालय को चाहिये कि उनकी कठिनाइयों पर ध्यान दें ताकि वे लोग अधिक उत्पादन कर सकें और देश की ज़रूरत को पूरा कर सकें ।

इस योजना में ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला है । खादी को ही लीजिये । मिलों से कहीं अधिक श्रमिक खादी में काम कर रहे हैं ।

इसी तरह उद्योगों में लाखों आदमी लगे हुए हैं और जिनको कि उनसे रोज़ी मिलती है । इतना सब कुछ होते हुए आज जनता में एक निराशा की भावना क्यों पाई जाती है । मेरी समझ में उस निराशा का कारण खाद्य के सम्बन्ध में हमारा आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी न होना है और खाद्य के सम्बन्ध में अभी हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के सामने है वह खाद्य समस्या का है । गल्ले के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर न हों और विदेशों से हमें गल्ला मंगाना पड़े, यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय

है। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक मदद और सुविधा प्रदान की जाय। हर एक गांव में ३, ३ और ४, ४ कुएं होने चाहियें। यह अक्सर देखा गया है कि चूंकि किसानों को समय पर साधन उपलब्ध नहीं होते इसलिए उनके खेत बेकार पड़े रह जाते हैं और उनमें पैदावार नहीं हो सकती। जैसे उनको समय पर आवश्यक सुविधायें जैसे बैल, बीज और खाद आदि नहीं मिल पाती है और जिनके कि अभाव में कृषि उत्पादन को बड़ी क्षति पहुंचतो है और हमारी पैदावार बढ़ नहीं सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार उधर ध्यान दे और किसानों को वे समस्त आवश्यक सुविधायें, बैल, बीज, खाद और पानी आदि प्रदान करे।

आज जो सब से बड़ी समस्या हमारे सामने हल करने की है वह भूमि सुधार करने की है। भूमि सुधार करने से भी बहुत कुछ उस दिशा में काम हो सकता है। उसके लिए सरकार सहकारी समितियों की स्थापना करे। इस के अलावा किसानों के दिलों में विश्वास की भावना फैलाना बड़ी ज़रूरी है। मेरे विचार में अगर सरकार उनके दिल में यह बात बिठा दे कि अगर इस वर्ष आपकी पैदावार कम होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे और इस तरह मैं समझती हूं कि किसानों के दिलों में एक भरोसा हो जायगा और वह पूर्ण उत्साह के साथ आधुनिक तरीके से कृषि उत्पादन के कार्य में जुट जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने बाल कल्याण की तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया है और आज भी हज़ारों बच्चे जो कि यतीम होते हैं या दुखों और मुसीबतों के शिकार होकर घर से निकल जाते हैं और बाजारों और गलियों में घूमते फिरते हैं। भला ऐसे बच्चों से हम क्या आशा कर सकते हैं कि वे भविष्य में चल कर इस देश के योग्य और उच्च नागरिक बनेंगे और देशहित का काम करेंगे ? इसलिए यह ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों की देखरेख करने के लिए कुछ सेंटर्स खोले जायें जहां कि उनकी देखरेख की जाय और उनकी भलाई के वास्ते मुनासिब इंतज़ाम किया जाय ताकि भविष्य में वे इस देश के योग्य नागरिक सिद्ध हो सकें और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

अब मैं कुछ थोड़ा सा जम्मू और काश्मीर राज्य के मुताल्लिक़ यहां बताना चाहती हूं कि इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में वहां पर कितनी प्रगति हुई है। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे राज्य में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और वहां पर एक व्यक्ति एम० ए० तक की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ सकता है और इस तरह की वहां पर व्यवस्था होने से जनता में पढ़ाई के लिए बहुत उत्साह और दिलचस्पी बढ़ी है और लोग अधिकाधिक संख्या में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, और गांव गांव से स्कूलों की स्थापना की मांगें आ रही हैं जिनको कि राज्य सरकार अच्छी तरह पूरा कर रही है। लगभग २ करोड़ ३५ लाख रुपये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू काश्मीर राज्य में शिक्षा के लिये ख़र्च हो रहे हैं।

राज्य में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की ओर यथेष्ट ध्यान दिया गया है और सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। सिल्क, शिल्पकला और पैपरमैशी आदि इंडस्ट्रीज़ को बड़ा प्रोत्साहन मिला है जिससे कि आज वहां के श्रमिक दुगनी मज़दूरी ले रहे हैं। उद्योग धंधों का विकास करने के लिये तीन इस्टेट्स बनाई गई हैं, श्रीनगर, अनन्तनाग और जम्मू। जम्मू और काश्मीर राज्य बहुत पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाक़ा है जैसे लद्दाख में लेह से १०३ मील पूर्व में

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

एक पाक कांक झील है और जिसमें कि नमक विद्यमान है और वह वहां से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहां से जो नमक उनके लिये वहां पर भेजा जाता है तो वह उन लोगों को उस स्थान पर बहुत महंगा पड़ता है और मैं आपको क्या बताऊं कि उनको कितना महंगा नमक खरीद कर खाना पड़ता है। इसलिए अगर उस झील से नमक निकालने का इंतज़ाम हो जाय तो उन लोगों का बहुत कुछ भला हो सकता है और उनको बहुत सस्ता नमक मिल सकता है। राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकार के यह बात विचाराधीन है। आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में जल्दी की जाय और उचित व्यवस्था कर दी जाय।

जहां तक पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी उस समय लगभग ३६ लाख मन अनाज की कमी जम्मू काश्मीर राज्य में थी। उसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया गया लेकिन पिछले साल बाढ़ ने बहुत कुछ नुक़सान पहुंचाया। इस वर्ष बाढ़ को रोकने का काम ७० प्रतिशत पूरा हो गया है और उस पर लगभग ६० लाख रुपया व्यय हुआ है। किसानों में ८६ हज़ार मन खाद बांटी गई है और ७० हज़ार मन अच्छे बीज बांटे गये हैं। सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं द्वारा ७००० एकड़ भूमि को सिंचाई करने का प्रबन्ध किया है। बड़ी सिंचाई योजना में ऊधमपुर की नहर को चालू किया है। रावी की नहर का प्रश्न विचाराधीन है। उसको भी जल्दी पूरा करना चाहिए क्योंकि वह सब रेतीला इलाक़ा है और जब तक वहां नहर के द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था न होगी, उस इलाक़े में खुशहाली नहीं हो सकती।

अब मैं थोड़ा सा किश्तवाड़ नहर के मुताल्लिक़ कहना चाहती हूं। वह एक पिछड़ा हुआ इलाक़ा है और बहुत दूरी पर स्थित है और जहां की कृषि की पैदावार वर्षा पर ही निर्भर करती है। वहां पर किश्तवाड़ नहर से काम चल रहा था लेकिन इस वर्ष वह बंद हो गई क्योंकि उस नहर को विशेषज्ञों ने देखा नहीं था और इसलिए राज्य सरकार ने यही मुनासिब समझा कि उसको बंद कर दे। वहां के लोगों को कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला परन्तु दो, तीन साल से काश्मीर सरकार ने उनको काफ़ी मात्रा में खुराक भेजी है जिससे कि उनकी गुज़र बसर हो जाती है लेकिन मैं कहती हूं कि जब तक वहां पर नहर नहीं होगी और सिंचाई की योजना चालू नहीं होगी तब तक वे लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे और इस तरह आप कब तक उनको बाहर से अनाज पहुंचाते रहेंगे। उनके पास जनशक्ति है, उनके पास काफ़ी ज़मीन है लेकिन उनके पास वे आवश्यक साधन नहीं हैं जिससे कि वे अपनी खेतीबाड़ी करके पैदावार कर सकें। वह मेरा निर्वाचनक्षेत्र का कुछ हिस्सा भी है और मैं वहां की रहने वाली हूं लेकिन मैं नहीं कह सकती कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकूंगी। जब वह लोग यहां आते हैं तो उनसे उनके घर वालों का हाल पूछने के पहले जो हम पहली बात पूछते हैं वह यह होती है कि फस्ल का क्या हाल है। तो मैं इस तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां पर विशेषज्ञों को भेजा जाये और इस नहर को दिखवाया जाये कि वहां पर पानी क्यों नहीं आता। मैं यह नहीं कहती कि पैसा बेकार बरबाद किया जाये। अगर विशेषज्ञों की यह राय हो कि वहां पर पानी नहीं आ सकता तो दूसरी छोटी नहरों का इन्तिजाम किया जाये जिनके जरिये से वहां पानी आये और उन लोगों को भरपेट खाने का इन्तिजाम हो सके।

इसके अलावा काश्मीर सरकार ने यात्रियों के लिए बहुत से काम किये हैं। जगह जगह डाक-बंगले बनवाये हैं और हटस बनाये हैं ताकि यात्रियों को पूरे तौर पर सुविधा मिल सके।

वहां पर वन विभाग, इर्रीगेशन विभाग और दूसरे विभागों ने भी काफ़ी तरक्की की है और हमारी स्टेट काफी आगे बढ़ रही है । फस्ल के मामले में भी, अगर कोई भगवान का प्रकोप न हुआ, तो हम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि इस वर्ष फस्ल अच्छी होने वाली है ।

बस मुझे इतना ही कहना था ।

†डा० मेलकोट (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार की विभिन्न सरकारों द्वारा योजनायें बनाने का काम एक अरसे से चल रहा है । यदि हम देखें कि उन योजनाओं को वहां की सरकारों ने किस प्रकार क्रियान्वित किया तो पता लगेगा कि ज्यूं ज्यूं भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने आती गईं उनके अनुसार वे उनमें परिवर्तन करती गईं । इसलिए अपनी कठिनाइयों को देखते हुए यदि हमें अपनी योजना में कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है तो उससे कोई विशेष बात नहीं है । समस्त संसार में वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । यद्यपि अन्य सरकारों ने अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है लेकिन उनकी वार्षिक योजनायें लोगों के कल्याण के लिये ही हैं और सारे देश उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। मूल्यों की वृद्धि का भारत पर भी असर पड़ रहा है और इसीलिये यह संकट जो दिखाई दे रहा है, केवल भारत का नहीं है अपितु समस्त विश्व का है ।

मुझे श्री मुकर्जी के इस कथन से बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोकतंत्रीय देशों का सहयोग लेकर उनके दास बनते जा रहे हैं । उन्हें पता होना चाहिये कि रूस ने भी जब दो तीन योजनाओं के पश्चात् यह अनुभव किया कि वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने आर्थिक कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया और नई आर्थिक योजना के अन्तर्गत लोकतंत्रीय देशों से सहायता ली थी ।

यदि कोई संकट है तो हमें उसके कारण जानने चाहिए । प्रथम योजना में हमें २,१५० करोड़ रुपये व्यय करने थे । इस धनराशि में २०० करोड़ रुपये और मिला दिये गये थे जिससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके । परन्तु इन २,३५० करोड़ रुपयों में से केवल २००० करोड़ रुपये व्यय किये गये । द्वितीय योजना में ४,८०० करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे । अब पता लगता है कि कुल ४,६५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे यानी १५० करोड़ रुपये का अन्तर रहेगा । इसलिये यदि हम ४,६५० करोड़ रुपये खर्च करें तो भी खर्च के दृष्टिकोण से हम लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लेंगे । परन्तु हमें इस पर विचार करना चाहिए और समस्या है भी यह कि इतना धन व्यय करने के पश्चात् क्या हमारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं । द्वितीय योजना के पहले वर्ष में राज्यों का पुनर्गठन किया गया जिसके कारण जितना व्यय होना चाहिये था उतना धन व्यय नहीं किया गया । यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो उसी प्रकार धन व्यय करना चाहिए था जिस प्रकार प्रथम योजना के प्रारम्भिक वर्षों में किया था । लेकिन प्रथम योजना काल में भी अन्तिम दो वर्षों में कुल योजना के लिए आवंटित धन का आधा हम ने व्यय किया था । हमें अपना खर्च सुव्यवस्थित आधार पर करना चाहिए ताकि कार्य की प्रगति एक सी होती रहे ।

हमारे देश में अप्रैल से मार्च के अन्त तक का आय-व्ययक बनाया जाता है । अप्रैल में पिछले वर्ष का काम किये जाने के कारण वर्ष के लिए आवंटित व्यय आरम्भ नहीं किया जाता है और मई जून में जब धनराशि का व्यय आरम्भ किया जाता है उस समय वर्षा होने लगती है और वर्षा के

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

कारण नवम्बर तक धन व्यय नहीं किया जाता है । नवम्बर से मार्च तक की अवधि में ही आय-व्ययक की समस्त धनराशि व्यय करने की कोशिश की जाती है । और सभी यह कोशिश करते हैं कि स्वीकृत राशि खत्म कर दी जाय । इसीलिए उचित प्रकार से धन का व्यय नहीं हो पाता है । मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि मंत्रालयों को उत्पादक तरीकों से व्यय करके खर्च में कमी करनी चाहिए ताकि हमें विदेशों के आगे हाथ न पसारने पड़ें ।

हमारे देश में कितने ही बांध बनाये गये हैं जिनके कारण सिंचाई की क्षमता बढ़ गई है परन्तु इसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है । क्यों ? इसलिये कि इनका लाभ उठाने के लिए उचित योजनायें नहीं बनाई गई हैं; हम यह नहीं समझते हैं कि सारा भारत हमारा है तथा देश के निवासी हमारे भाई हैं । अभी यह भावना नहीं आ पाई है । इसी कारण देश का पूरा विकास नहीं हो पाया है । जब तक हम देश के किसी भाग के हितों को भुला कर, समस्त देश के हितों पर ध्यान नहीं देंगे यह समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है ।

बांधों पर धनराशि व्यय करने की चर्चा करते समय, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां ५$\frac{1}{2}$ लाख गांव हैं और ५ लाख तालाब हैं । परन्तु किसी गांव में तीन तीन तालाब तथा किसी में एक भी न होने के कारण इनकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है । हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए । मैं समझता हूं कि यदि हम अच्छा बीज दें, उर्वरक दें तथा पानी की सुविधायें दें तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । इसलिये हमें इन तालाबों की मरम्मत कराके सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए । सभी इंजीनियरों में से कुछ इंजीनियरों को क्रमशः इन तालाबों की मरम्मत आदि के लिए भेजना चाहिए । योजना आयोग को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए ।

रोज़गार का प्रश्न भी एक बहुत जटिल प्रश्न है । गांवों में जब हम लोग जाते हैं तो हम से पूछा जाता है कि हम स्वतंत्र हो गये, हमारे यहां योजनायें बनाई गईं, धन व्यय किया जा रहा है, परन्तु फिर भी अंग्रेज़ों के शासन काल में जो कुछ हमें मिला करता था वह तक हमें नहीं मिल रहा है । हर वस्तु के मूल्य बढ़ गये हैं । हम नहीं जानते कि यह धन किस के लिए व्यय किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यदि छोटी सिंचाई योजनायें लागू कर दी जायें तो लोगों को पर्याप्त रोज़गार मिल सकता है और खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है ।

हमने यह अनुमान लगाया था कि द्वितीय योजना में ९६ लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया जायेगा परन्तु आज जो आंकड़े हमारे पास हैं उन से पता लगता है कि यह संख्या ६५ लाख हो गई है । यह याद रखने की बात है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रगति कर ली है । सरकारी क्षेत्र को भी अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए । जब हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिलने में कमी नहीं होनी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे ।

जहां तक धन उपलब्ध करने का सम्बन्ध है, मैं योजना आयोग तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने धन इकट्ठा करने में बड़ा सुन्दर काम किया है, उनको आन्तरिक तथा बाह्य दोनों साधनों से पर्याप्त धन मिल गया है । परन्तु यदि फिर भी हमारी लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि वह मुद्रास्फीति के कारण ही होगा । सम्पूर्ण स्थिति को देख कर मेरा विचार है

कि हम द्वितीय योजना के ६६ प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर सकेंगे । किन्तु जो आंकड़े हमें दिये गये हैं उनसे तो लगता है कि वे ८५ से ९० प्रतिशत तक लक्ष्य पूरे कर लेंगे । यह कैसे होगा, इसे मैं नहीं जानता ।

विदेशी विनिमय पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है । उदाहरणतः औषधियों को लीजिये । ऐसी औषधियों का आयात किया जाता है जिनकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है । औषधि खरीदते समय हमें भारतीय चिकित्सा संस्था का परामर्श लेना चाहिये तथा अनावश्यक औषधियों का आयात नहीं होने देना चाहिये जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सके । लाइसेंस देने में भी चोरबाजारी होती है और विदेशी मुद्रा की बरबादी होती है ।

मैसूर में हमने सात करोड़ रुपये की शरवती विद्युत योजना बनाई है । इसकी बिजली उद्योगों में ही काम नहीं आयेगी बल्कि एक बांध बना कर नीचाई वाली भूमि में सिंचाई भी की जायेगी । मेरा सुझाव है कि यदि हम सस्ती बिजली दें तो ऊपरी भाग की ज़मीनों में भी सिंचाई हो सकती है । बिजली के ज़रिये पानी को ऊपर उठा कर नदी के किनारे के क्षेत्रों में सिंचाई का काम सफलता-पूर्वक किया जा सकता है । इस प्रकार अनाज के उत्पादन में बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है । हमें किसानों पर अधिक ध्यान देना चाहिये, उनको उत्साहित करना चाहिये ताकि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े । मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग इन मामलों पर पूरी तरह विचार करेगा ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, योजना के सम्बन्ध में काफी सुझाव यहां रखे गये हैं । मैं इस योजना के सम्बन्ध इतना ही समझ सका हूं कि यह जो योजना बनाई गई है इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जो आपत्ति है, उसका एक ही कारण है ।

हमारे यहां स्पष्ट रूप से ऋषियों ने कहा है :—

अमन्त्रा मक्षरन्नास्ति
नान्नोषधि वनस्पतिः ।
अयोग्यो पुरुषोनास्ति,
योजकस्तत्र दुर्लभः ।

ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो । ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो । और कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता है, उसके लिये संयोगक संसार में दुर्लभ होता है । यही देश था, यही आदमी थे । एक गांधी ने इस देश के लोगों को संगठित करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाया और अब क्या हो गया है कि योजकस्तत्र दुर्लभः । मैं समझता हूं कि इस योजना को बनाने के लिये जिस प्रकार का संयोजक चाहिये था वैसा संयोजक नहीं मिला है । केवल जोश में आकर होश को छोड़ कर यह सदोष योजना हमारे सामने रख दी गई है और इस सदोष योजना से यह समझना कि कोई देश का कल्याण होगा, मैं नहीं मानता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे देश में सब से बड़ी खराबी का जो कारण हो रहा है वह यह है कि यद्यपि हम स्वतंत्र हो गये हैं, फिर भी हमारे देश में दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों की नीति काम कर रही है, अमरीकन राजनीति और रशियन राजनीति । ये दोनों राजनीतियां हमारे देश में खेल रही हैं । एक तरफ अमरीकन हमको कर्ज़ा दे दे कर दाब रहे हैं और दूसरी तरफ रशियंश, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक्सप्लायटेशन करके देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं । हम दोनों

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

तरफ से ही विनाश की ओर जा रहे हैं। हम अमरीका से कर्ज़ा क्यों ले रहे हैं ? इसका कारण यह है कि हमारी सरकार चाहती है कि लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो और इस हेतु वह कहती है कि और पैसा लाओ और दौड़ती है इस पैसे को लेने तब इधर साम्यवादी दल कहता है कि कम से कम काम, ज्यादा से ज्यादा दाम और वक्त बेवक्त मालिक को बदनाम। यह स्थिति देश में पैदा हो रही है। कहीं पर भी मैं यह नहीं देखता कि मजदूरों को अच्छा काम करने के लिये कहा जाता हो। हम देख रहे हैं कि वह तो कभी नेता नहीं बनता है जो १०-१० घंटे काम करता है बल्कि वह ही नेता बनता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लायट करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग करने के लिये मजदूरों को उकसाता है, खुद लड़ता है, दूसरों को लड़ाता है, वही नेता हो रहा है। आज हो क्या रहा है ? आज हो यह रहा है कि काम कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है और लोग विलासी होते चले जा रहे हैं। स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने की जो आवाज बुलन्द की गई है उस के कारण घोर भोगवृत्ति जागृत हो रही है और इसमें कम्पीटीशन चल रहा है। व्यक्ति समष्टि की चिन्ता से मुक्त हो कर परमेष्ठी को भी हड़प कर और यष्टि हाथ में ले कर देश का प्रताड़न करने को खड़ा हुआ है। आज मनुष्य भूल गया है कि देश की क्या अवस्था है। योजना का प्रचार किया जाता है और कहा जाता है कि अत्यन्त शीघ्र बड़े बड़े बांध बनेंगे, गंगा यमुना, नर्बदा, कावे ी, इत्यादि पर बांध बनेंगे और फिर उन बांधों से क्या होगा पानी बहेगा और उसके बाद दूध बहेगा और देश गुलज़ार हो जायेगा। मुझे पता नहीं मंत्री महोदय चाहे अपने नाम के कारण गुलज़ार हो गये हों लेकिन देश तो गुलज़ार नहीं हुआ है, वह ज़ार ज़ार रो रहा है। देश की अवस्था अत्यन्त भयावह है और वह अमरीकन और रशियन राजनीति में पिस रहा है। इसके कारण सरकार अपने आप को बचाने के लिये प्रयत्नशील है। सरकार यह भी चाहती है कि युद्ध टल जाये। हमारी सरकार के सिर पर यह न आवे और हम धीरे धीरे पनप जायें और दुनिया में खड़े हो जायें।

सरकार की नीति इस देश को मिटाने की है, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति मान नहीं सकता है। शासन की कोई इस देश के साथ शत्रुता है, यह भी कोई नहीं कह सकता है। किन्तु शासन को जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिये वह दृष्टिकोण शासन के पास नहीं है। शासन नक्काल बन गया है। शासन के लोग विदेशों में जाकर दूसरे देशवासियों की योजनाओं को देख कर आते हैं और फिर अपने घर में उन्हीं को बनाना चाहते हैं। यह तो वही हिसाब है जैसे कोई गरीब किसी पूंजीपति के यहां सोफासेट पर जा कर बैठा तो घर आ कर उसने अपनी दरी को भी जला कर सोफासेट लेने की सोची। अब सोफासेट वह कहां से ले सकता है। तेते पांव पसारिये जेती लाम्बी सौर। हमें अपनी अवस्था को देख कर व्यवस्था बनानी चाहिये। लेकिन हम अपनी अवस्था को न देख कर दूसरे देशों में जो व्यवस्था है उसको देखना चाहते हैं और उसी तरह की व्यवस्था यहां भी करना चाहते हैं।

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निशेवते।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवम् नष्ट मेवहि ॥

जो पास में है उसकी रक्षा हम नहीं करते हैं और जो नहीं है उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। जो नहीं है वह तो नहीं में ही चला जाता है और जो है वह नष्ट हो जाता है और ऐसी अवस्था में हम इस समय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे प्रथम योजना कमिशन और योजना मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह ईमानदारी से यह समझते हैं कि इस कार्य को चलाने के लिये जो योग्यता और क्षमता चाहिये वह उनमें नहीं है तो देश का सब से बड़ा कल्याण वह यह करेंगे कि यहां घोषणा कर दें कि मैंने काफी प्रयत्न कर लिया परन्तु मैं असफल और अयोग्य सिद्ध हुआ, इसलिये मैं इस काम से मुक्त होता हूं तथा देश और शासन कोई दूसरा योग्य आदमी ढंढ ले। आज केवल अधिकारों की लड़ाई लड़ना और .....

एक माननीय सदस्य : राजा साहब इस काम के लिये हैं।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : आप राजा साहब का नाम ले कर उनके गाम्भीर्य को नष्ट कर रहे हैं। उपहास की जगह उपहास होना चाहिये। देश तो मर रहा है भूखों और आप विनोद कर रहे हैं। सांस्कृतिक संगठनों का नाम ले कर विदेशों में पैसा फूंका जा रहा है। डांसिंग मंडलियां वहां भेजी जा रही हैं। कोई भी अच्छी छोकरी देखी कि झट से उसके लिये पासपोर्ट बना दिया और उसको बाहर भेज दिया, ऐसे कार्य तो आज हो रहे हैं। ये बातें नहीं होनी चाहियें। आज देश में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खाना न मिलने के कारण विषपान कर रहे हैं और हम मस्त हो कर आनन्द लूट रहे हैं, ऐसा विनोद नहीं होना चाहिये।

आज घर में आग लगा कर फाग खेलते हैं मतवाले
और कौन कर सकता है दुनिया में ऐसे करतब काले ?

जब रोम जल रहा था तो नीरो बीन बजा रहा था, यही हाल हमारे देश में हो रहा है। दुनिया के दूसरे देश तो तरक्की कर रहे हैं और हम नीचे की ओर जा रहे हैं। वे ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। वे ऊंचे उठ रहे हैं, हम पतन की ओर चले जा रहे हैं। इन चीजों को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिये। भारतीय लोक-सभा में इन सब प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। देश की चिन्ता हमारे मन में होनी चाहिये। जो आज यहां होता है वह यह है कि हर एक सदस्य एक भाषण दे देता है और फिर सुबह उठ कर अखबारों में देखता है कि उसका नाम उसमें आया है या नहीं, बस हो गया उसके लिये देश का कल्याण। शासन की ओर से कभी-कभी प्वाइंट्स नोट कर लिये जाते हैं और जवाब दे कर काम खत्म समझा जाता है। इससे जो चीज होती है वह जहां की तहां रहती है और कोई प्रगति नहीं हो पाती है। इससे काम चलने वाला नहीं है। हमको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से देश का कल्याण हो सकता है। आज चारों तरफ रोटी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। जो हिन्दुस्तान सारी दुनिया का कल्याण करने का दावा करता है वह आज रोटी के लिये रो रहा है। बेकारी के कारण आवाज बुलन्द कर रहा है। "मांग रहा है हिन्दुस्तान रोटी कपड़ा और मकान।" यह उसी तरह से है जैसे कंगीले चीखते पुकारते हैं और आवाज़ लगाते हैं इन चीज़ों की। हमारा नारा होना चाहिये "सब को देगा हिन्दुस्तान, रोटी कपड़ा और मकान।" लेकिन आज कोई भी दूरदर्शिता से काम नहीं लेता है। जिधर देखो आन्दोलन चल रहे हैं। लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। अन्न नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं सत्याग्रह करो और सत्याग्रह करके शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करो लेकिन उसी के साथ साथ बाहर आकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर सचमुच प्रबन्ध भी करो। दोनों काम एक साथ होने चाहियें। जब इस तरह से होगा तब तो काम बनेगा अन्यथा नहीं। लेकिन आज हो यह रहा है कि इधर तो शासन की टांग खींची

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

जा रही है और उधर शासन डंडा मार कर उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से कैसे देश का भला हो सकता है। वह तो देश की दुर्दशा का ही कारण बन सकती है।

सब से पहली बात आप जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की करते हैं। इसके बजाय सरल और सादा बनाने की भी योजना होनी चाहिये और योजना में इस योजना की सफलता कैसे हो इसकी भी योजना होनी चाहिये। योजना बना ली और सफल कैसे होगी इसका पता ही नहीं होता है। कह दिया जाता है कि पैसे की कमी है और फिर इस कमी को पूरा करने के लिये अमरीका की तरफ भागा जाता है और वहां से जब पैसा मिल जाता है तो फिर उसको ही गाली देना आरम्भ कर दिया जाता है। इससे कुछ नहीं बनेगा। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने के लिये दूसरा तरीका शासन के पास क्या है? वह है टैक्स लगाने का, कर लगाने का। लेकिन देश पहले टैक्सों के भार से ही नहीं निपट पाया कि दूसरी योजना कर लगाने की तैयार हो गई। कितने कर लगाओगे? कर लगाने के सम्बन्ध में हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट घोषणा की है :—

"याहि दाग्धी मुपास्तेच सनित्यम् विन्दते पयः

एवम् राष्ट्रमुपायेन भुंजाना लभते फलम्।"

गाय को खिलाओ और दूध लो। लेकिन हमारी नीति ऐसी है कि अगर यह सम्भव हो कि स्तन काटने से दूध की धारा बह पड़े, तो गाय का स्तन ही काट दो। गाय का स्तन नहीं रहेगा तो दूध कहां से आयेगा? अगर देश में पैसा ही नहीं रहेगा तो कितने ही कर लगायें, कर ले नहीं सकेंगे। घर बरबाद हो जायेगा। आप मर कर ही रहेंगे आप भी बच नहीं सकेंगे। शासन जब अधिक अप्रिय हो जायेगा तो टिक नहीं सकेगा। शासन भी समाप्त हो, जनता भी समाप्त हो, देश भी समाप्त हो तो ऐसी नीति को कैसे समर्थन मिल सकता है? रिपोर्ट आती है हमारे पास प्लैनिंग कमिशन की। अरे, पहले देखिये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसके बाद दो रिपोर्ट और तब मांगों हम से सपोर्ट। लेकिन यह पहले से ही सपार्ट मांगने लगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई ठिकाना नहीं। कितना मुद्रास्फति का संकट देश में फैला हुआ है? दबादब बाहर से कर्जा, कर्जा, कर्जा। हम कहते हैं कि क्या हो रहा है तो कहते हैं कि कोई नहीं हर्जा। कैसे हर्ज नहीं। जब हम कर के भार से दब जायेंगे, ऋण चढ़ जायेगा, बेटे बेटी, नाती और पोते भी उसे दे नहीं पायेंगे तो देश कैसे गुलजार होगा? देश क्या सम्पन्न होगा, चाहे जितनी भी योजनायें आप ले आयें? कभी आज तक कोई योजना पूरी हो भी सकी है? प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, उस से हमें कितना लाभ हुआ, बतलाइये। हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, वह पूरी नहीं हो पाई। दूसरी योजना बन कर तैयार है, पर उसमें भी कुछ संदिग्ध अवस्था है, शायद पूरी हो जाय, कहा जाता है कि हो सकता है कि न भी हो। कोई ठिकाना है, पैसा मांगकर ला रहे हैं लगाने को, ऐसी योजना बनाने से क्या लाभ है कि जो पूरी न हो। कर्जा भी मांगना पड़े, हम पर भार भी लद जाये और लाभ भी न हो। बांध जो बनता है टूट जाता है या ऐसा बनता है कि पानी तो भर जाता है लेकिन नहरें पानी निकाल नही सकतीं। इसके लिये कोई योजना नहीं है। कोई स्थान देख लेते हैं, उस पर पैसा लगाना आरम्भ कर देते हैं। बाद में कहते हैं कि इंजीनियर नहीं आये थे, जगह ठीक नहीं, इसलिये इसको दूसरी जगह पर करेंगे।

अभी ९८ करोड़ रुपया राजस्थान में कोटा के अन्दर १०० एकड़ के जमीन ऊपर लगा दिया। ९८ करोड़। एक एक एकड़ के ऊपर एक एक करोड़ रुपया? माले मुफ्त दिले बेरहम। जैसे किसी लावारिश का माल है, इस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। देश के पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। योजना को अगर सफल करना है तो ईमानदारी से, सिंसिअरली आगे आना चाहिये। मैं कोई शत्रुतावश नहीं कह रहा हूं। मंत्रियों को अपने जीवन से, अपनी आकृति से, यह प्रभाव डालना चाहिये कि एक एक पैसा जो शासन का है उसका दुरुपयोग होना हराम है। वह नष्ट नहीं हो सकेगा। जब इस भावना का निर्माण होगा तब कार्य होगा। हम देखते हैं कि ऊपर से गड़बड़ चली आती है और नीचे तक चली जाती है। पता नहीं यह योजना भ्रष्टाचार की योजना या देश को ऊपर उठाने की योजना है। इसका कारण यह है कि योजना में धर्म का कोई स्थान नहीं। योजना है, केवल योजना। योजना को चलायेगा कौन? अधार्मिक। अधार्मिकों की योजनायें कभी दुनिया में सफल हुई हैं? कभी सफल नहीं हो सकतीं। आप किसी धर्म के अनुसार करें, हम नहीं कहते कि आप एक ही धर्म को लीजिये, लेकिन कोई आधार तो हो। दुनिया के डर के मारे केवल हिन्दुस्तान ही है जो धर्म का नाम नहीं लेता। सब लेंगे लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिये कि हम सेकुलर हैं। किस चीज से सेकुलर हैं? धर्म से। और सब बातें हमारे साथ लगी हुई हैं।

"आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्यमेतत पशभिर्नराणाम्
धर्मोहितेषामधिको विशेषा धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।"

धर्म से हीन पशु हो गये, पाशविक वृत्ति जाग्रत हो गई। भोगपरायण हम हो गये। दूसरे का माल ठगना और मौज करना।

"दुनिया ठगना मक्कर से, रोटी खाना शक्कर से"

यह जब शासन की नीति बन जाये तो कोई योजना सफल नहीं हो सकती। योजना के लिये शासन को मालाकार की वृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी।

"मालाकारस्य वृत्तैव स्वप्रजा रक्षणेन च"

प्रजा की रक्षा मालाकार की तरह करें। जैसे उद्यान में, बागीचे में जो आवश्यक पुष्प होते हैं उनका माली चयन कर लेता है, शेष को पानी देता है। लेकिन यहां पर ऐसे माली हैं जो पेड़ को ही उखाड़ देते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बगीचा कहां रहेगा। इस तरह से करों का भार लादना, बाहर से कर्जा लेना, यहां पर समाज की रुचि का पता न लगाना, योजनाकारों का बैठ कर अपने खाने की योजना बनना, यह सब ऐसे काम हैं जिन से योजना कभी भी सफल नहीं होगी। केवल आंकड़े देने से काम नहीं चलता। मुझे तो ऐसा भी ध्वनित होता है कि जो आंकड़े यहां उठा कर दे दिये जाते हैं उन के ऊपर भी कोई एक आध योजना बना ली जाय तो उसमें भी बहुत गड़बड़ी निकल आयेगी। इसलिये मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सब से प्रथम जो योजना आपने बनाई है, उस योजना का विस्तार मैं नहीं चाहता। उतना ही इस योजना में काम लीजिये जितना आप ले सकते हैं। बाहर के कर्जे पर आप बिल्कुल निर्भर मत कीजिये। आप देश से मांगिये, देश देगा। मैंने एक बार निवेदन किया था कि जो बड़े पड़े लोग यहां बैठे हुये हैं, जिनके पास अरबों और खरबों रुपया है, उनसे मांगो, न कि अमरीका से मांगो। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद के निजाम के पास जाओं, वह राष्ट्रीय आदमी है, नेशनल आदमी है, वह पैसा नहीं देगा तो क्या जो कम्यूनल आदमी है वह देगा? उससे पैसा लो, उस से उधार लो। उसको

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

पटायेगा देश। और न भी पटा सका तो कोई डर तो नहीं रहेगा। हमारा पैसा लगा हुआ है, जब आयेगा तब दे देंगे। लेकिन अमरीका से लेना और उसके भार से दबना, यह देश के लिये बहुत बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता की चीज़ नहीं होगी।

साथ ही साथ हमने कृषि के उत्पादन के बारे में जो योजनायें बनाई हैं, वे भ्रमात्मक हैं। देश के उद्धार के लिये ट्रैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा। "कब मरेगी सासू, कब आयेंगे आंसू।" कब फैक्ट्रियां बनेंगी, कब ट्रैक्टर बनेंगे और खेतों में जायेंगे, कब नाज पैदा होगा? लोग आज भूखों मर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जो आपका गोधन है उसकी रक्षा कीजिये। गाय की रक्षा पहले कीजिये। लेकिन यहां तो बैल बेचारे चुनाव का खेत जोत कर सीधे कसाईखाने में चले जाते हैं। जरा इन बैलों से बड़े बड़े काम लो। यह खेत के योग्य हैं, चुनाव के नहीं। उन से उल्टा काम लेना लोग प्रारम्भ कर देते हैं। आप उनसे कब तक यह काम लेते रहेंगे? आज एलेक्शन का काम खत्म हुआ और बैल सीधे स्लाटर हाउस में। देश में बैल नहीं, और नारा लगाते हैं "ज्यादा अनाज पैदा करो।" जैसे हमें अक्ल नहीं, हम चाहते हैं कि नाज कम पैदा हो, किसान चाहता है कि भले ही उसके पास दस या बीस एकड़ जमीन है, लेकिन घर में नाज न पैदा हो। वह क्या यही चाहता है? वह आज पैदा कैसे करे? अगर खेत है तो बैल नहीं, अगर बैल है तो खाद नहीं, अगर खाद है तो बीज नहीं, और अगर बीज भी है तो थानेदार साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, और चोर उचक्के जो पैदा हो गये हैं, वह डटे हुये हैं, और अगर कहीं इनसे अवकाश मिला तो नेता जी डटे हुये हैं। यह जो स्थिति है उसके कारण आज किसान पनप नहीं पाता है। मैं निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में डाकू पैदा हो गये। तो रात में तो लूटते हैं डाकू और दिन में आकर लूटते हैं पुलिस और नेता जी।

श्री म० प्र० मित्र (बेगूसराय) : पुरोहित जी।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : चूंकि पहले धार्मिक क्षेत्र में पुरोहित जी लूटते थे इसलिये धर्म खतरे में था लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में खद्दरधारी लूटते हैं, इसलिये देश का नाश हो रहा है। मैं कहता हूं कि जन स्वरूप बन कर उस की रक्षा कीजिये। पुलिस और डाकू जबर्दस्ती आकर जनता को लूटते हैं। डाकू छाती पर खड़े हो कर कहते हैं कि रुपया दो, और उनको देना पड़ता है। बाद में पुलिस आ कर कहती है: क्यों दिया? क्या लोग अपनी जान न बचायें? पिस्तौल ले कर बैठे हैं, लड़का उठा लिया, पैसा ले गये, फिर पुलिस कहती है कि क्यों दिया। अजी साहब, हम करें क्या? पुलिस कहती है कि अब लाओ १०० हमें भी दो। उस को भी दो और इस को भी दो। चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। कोई सुनता ही नहीं। सारी योजनायें कागजों में हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपको व्यावहारिक जगत में उतर कर आना पड़ेगा, सबसे पहले गारेन्टी देनी पड़ेगी कि शासन द्वारा देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह कहेंगे कि सुरक्षा को कम कर दो, यह आवाज लगायेंगे कि इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, वह खत्म कर दो, तो यह योजना काम किसके आयेगी? कल अगर शत्रु हमला कर दे, तो जो हिन्दुस्तान की सेना है, मेरा विश्वास है कि एक दिन में धो दी जायेगी। वह दुश्मन को भगा सके यह दम उसमें नहीं है। उसको और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। विज्ञान के इस युग में अगर हम अपनी सेना को ताकतवर रखेंगे तभी हम शत्रू का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम पाकिस्तान जैसे

शत्रु को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। इसलिये सेना को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और जितनी भी वार इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इससे बेकारी भी दूर होगी। जो भी यहां के लोग हैं उनके लिये सैनिक शिक्षा आरम्भ की जाय। जो बेकार फिरते हैं वे लोग अगर सैनिक शिक्षा लेंगे तो उनकी समझ में आयेगा, देश का वायुमंडल बनेगा। देश की रक्षा का प्रश्न पहले है। उसके बाद ही देश का जो गठकटापन है वह बन्द हो सकेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। वार इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय, खास तौर से बार्डर्स पर जहां से कि शत्रु की फौजें कभी भी उतर सकती हैं। जब वह आते हैं मारते हैं और मार कर चले जाते हैं। उसके बाद समझौते करते हैं और कुछ न कुछ छीन कर ले जाते हैं, कुछ दे कर नहीं जाते। इसलिये इसको भी हमें ठीक से समझने और हल करने की आवश्यकता है।

बस मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : कतिपय माननीय सदस्य तो योजना की आलोचना ही नहीं करते बल्कि यहां तक भी कहते हैं कि योजना आयोग ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये किन्तु क्या इस सभा ने योजना को स्वीकार नहीं किया है ? तो योजना आयोग का क्या दोष है ? मेरा आशय यह है कि यदि आलोचना ही की जानी चाहिये तो सरकार की होनी चाहिये। यदि खाद्य मंत्रालय गलत नीति अपनाये तो भला आयोग की जिम्मेदारी कैसे है। संसद् भी वैसे तो यह नहीं कह सकती कि हमारा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। यहां पर इस पर पूर्णतया चर्चा हुई है।

मैं तो योजना आयोग का केवल इतना ही दोष निकालूंगा कि उन्होंने अधिक यथार्थ दृष्टिकोण से विचार नहीं किया। वास्तव में योजना आयोग के सदस्यों को सभा की कार्यवाही सुननी चाहिये ताकि वे भी जानें कि सभा के विचार क्या हैं। इस बात से भी क्या लाभ है कि केवल एक उपमंत्री यहां बैठ कर सदस्यों की बातें सुने। योजना तो केबिनेट का विषय है अतः सरकार के लिये आवश्यक है कि वह सदस्यों की बातों पर ध्यान दे। कम से कम खाद्य तथा वाणिज्य मंत्री को तो अवश्य ही यहां उपस्थित रहना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं कहूंगा कि हम सब योजना की सफल क्रियान्विति के इच्छुक हैं। हमारे देश में जनता पर भारी कर लगे हैं और इस योजना को ही सफल बनाने के लिये अन्य देशों ने भी हमारी सहायता की है।

श्री मुकर्जी की यह बात समझ में नहीं आती कि वे अमेरिकन सहायता की आलोचना क्यों करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं विदेशी सहायता का पक्षपाती हूं किन्तु इस तथ्य से कौन इन्कार कर सकता है कि उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। अमेरिका की सराहना किये बिना तो मैं नहीं रह सकता क्योंकि हमारी वैदेशिक नीति उनके लिये कष्टकारी है।

हम सहायता के कारण अपनी नीति थोड़े ही बदलते हैं। हाल ही में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है।

वास्तव में हमें ऐसी प्रशासनिक गलतियां नहीं करनी चाहियें जिन के कारण फिर हमें दुखित होना पड़े। और विदेशों से भीख मांगनी पड़े। मैं समझता हूं कि अब सरकार इस चेतावनी को पूर्णतया स्वीकार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

सरकार ने योजना के मूल्यांकन के सम्बन्ध में हमें दो पत्र दिये हैं हम उनके लिये सरकार के अत्यन्त आभारी हैं। किन्तु दोनों ही पत्रों से रोग का कारण ज्ञात नहीं होता। रोग का निदान हुये बिना उसका उपचार नहीं किया जा सकता।

पहली बात तो यह है कि जनता में उत्साह नहीं है। सभी सदस्यों ने यह कहा है कि हम जनता में योजना के प्रति उत्साह पैदा नहीं कर सके। इसका वास्तविक कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि लोगों को सरकार के व्यय में श्रद्धा नहीं है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं कि जो कुछ व्यय हो रहा है वह हमारी भलाई के लिये है या नहीं।

यही कारण है कि अब लोग सरकार की सहायता नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने अपनी इच्छा से अपने वेतन कटवाने आरम्भ किये थे वे भी अब यह अनुभव करने लगे हैं कि यह ठीक नहीं है। भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी भी सरकार को एक धेला नहीं देते। इसका एक ही कारण है कि उन्हें योजना में भरोसा नहीं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे लोग ही ठीक प्रकार के नहीं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार को लोगों में भरोसा पैदा करना चाहिये। मैं आपके समक्ष सैकड़ों उदाहरण दे कर यह सिद्ध कर सकता हूं कि सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में आज सत्ता है वे और अधिक धन इकट्ठा करने की चिन्ता में लगे हुये हैं। यह भी बहुत ही बुरी बात है।

इसके पश्चात् मेरा विनम्र सुझाव यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन किया जाये। उसमें विरोधी दल के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। इसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी हों जो मंत्री न हों ताकि व्यापक दृष्टिकोण से सभी राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया जा सके। यदि प्रधान मंत्री स्वतः राज्यों का सहयोग तथा जनता की सहकारिता प्राप्त करने का प्रयास करें तो निश्चय ही अच्छे परिणाम निकलेंगे।

जहां तक नये करों का सम्बन्ध है मैं तो उनका पूरा विरोध करता हूं क्योंकि लोगों को तो भरोसा ही नहीं है। लोग यही समझते हैं कि हमारा धन व्यर्थ जा रहा है।

योजना किसी भी कारण से असफल नहीं रही केवल प्रशासनिक कारणों से ही यह असफल रही है। यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर दें तो बस हमारी समस्त कठिनाइयां दूर हो जायें। वास्तव में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में महान सुधारों की आवश्यकता है।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं और वास्तव में यह चर्चा अत्यावश्यक है क्योंकि सरकार तो इसी के द्वारा देश में राम राज्य लाना चाहती है।

इसी कारण अब फिर सरकार नवीन करों के प्रस्ताव लिये तैयार खड़ी है। वास्तव में यह सरकार ही करारोपण के लिये रह गई है। अब जहां तक योजना का प्रश्न है यह जनता के लिये कौन कौन सी आशायें दिलाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इतने वर्षों से हम करोड़ों रुपये व्यय करते आ रहे हैं किन्तु परिणाम क्या निकला ? दिन प्रति दिन बेकारी ही बढ़ती गई है। अनाज की हमारे यहां कमी है। प्रत्येक दिवस नई समस्याओं को हमारे सम्मुख खड़ा कर देता है। इन परिस्थितियों में सरकार के लिये यह ठीक ही है कि वह देखे कि वास्तविक रोग की जड़ कहां है। सरकार तो सारा दोष परिस्थितियों पर ही लाद देती है और यह नहीं कहती कि उसने भी कोई गलती की है या नहीं।

श्रीमान् मैं तो यही समझता हूं कि हमारे प्रशासन की अदक्षता, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण हमारी असफलता हुई है। सरकार यद्यपि प्रत्येक कार्य सद्भावना से करती है तदपि इसे किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिये।

मुझे इस अवस्था को देखकर एक कहानी याद आ जाती है। एक बार शिवाजी किसी किसान के घर में महमान रहे। किसान की पत्नी को पता न था कि यह शिवाजी हैं। उस ने उन्हें चावल और दूध दिया। शिवाजी ने चावलों पर दूध डाला और दूध बाहर गिरने लगा तो किसान की पत्नी ने कहा "नवयुवक तुम शिवाजी की भांति क्या कर रहे हो। दूध के लिये चावलों के बीच स्थान बनाओ और फिर खाओ यह तो तुम शिवाजी की भांति ही कर रहे हो कि एक किला यहां जीता एक वहां।

इस बात ने शिवाजी की आंखें खोल दीं उसने फिर भविष्य में वह गलती न की जो पहले कभी की थी। हमारी सरकार का भी यही मामला है ।

भ्रष्टाचार की तो हमारे देश में कोई सीमा ही नहीं रही है। मैं अपने बेलगाम जिले में ही इंजिनियरों के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। सरकार को कड़ी कार्यवाही करके यह भ्रष्टाचार तो रोकना ही चाहिये। भ्रष्ट लोग देश के सब से बड़े शत्रु हैं। उन्हें तो गोली मार दी जानी चाहिये।

सर्वोदय केन्द्रों का भी यही हाल है । एक केन्द्र में तो मुझे मुर्गियां और शराब तक मौजूद होने का पता लगा।

हमारे प्रधान मंत्री भी टीपू सुल्तान की भान्ति हैं वह भी यही कहते हैं कि जो कुछ होता है होने दो हम पूरा करेंगे।

देश में अनेक अच्छे अच्छे मस्तिष्क वाले लोग हैं उनका लाभ उठाया जा सकता है । सरकार को भी चाहिये कि देश हित के लिये सब लोगों से लाभ प्राप्त करे।

दूसरे जो कुछ उत्पादन हमारे देश में होता है वह तो सारा हमारी जनसंख्या की वृद्धि से ही बराबर हो जाता है । हमें जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का भी यत्न करना चाहिये। जो भूमि भी हमारे पास है हमें उस सब का पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। बहुत सी भूमि तो बेकार पड़ी है उस में हम सब खेती कर सकते हैं।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** (नवद्वीप) : श्रीमान् इस योजना के लिये निर्धारित राशि में से एक बड़ा भाग तो चार इस्पात कारखानों में ही लग जाना है । फिर रेलवे तथा अन्य प्रकार के यातायात को भी हम ने ध्यान से देखना है उनका भी विस्तार होना है । हमारे पास संसाधन पहले

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

से ही विद्यमान न थे। उस समय विदेशी सहायता लेना भी आसान न था। ब्याज की दरें ज्यादा थीं। यद्यपि ये सारी कठिनाइयां हमारे सामने थी तदपि मैं यह कहूंगी कि योजना की सराहना भी विदेशों में हुई है। अमेरिका के बहुत से सीनेटरों ने हमारी योजना को सराहा है।

किन्तु श्रीमान् मुझे एक बात से अत्यन्त दुःख है कि पुनर्मूल्यांकन के समय राज्यों को १४० करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिये कहा गया है। इसका सब से निकम्मा पहलू यह है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कमी की गयी है। इसी प्रकार के व्यय से तो हम लोगों को तनिक प्रोत्साहित कर सकते हैं।

हमें बच्चों के कल्याण पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। इस कार्य के लिये हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों के बच्चों का बड़ा भारी प्रश्न है। उनकी हालत सुधारने के लिये भी हमें पूरे प्रयास करने चाहियें। जो सुविधायें हम उन्हें देना चाहते हैं उन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये।

इसी प्रकार गन्दी बस्तियों की सफाई का मामला भी अत्यावश्यक है। इसे भी प्राथमिकता मिलनी चाहिये। सरकार ने कहा है कि उन्होंने गन्दी बस्तियों के आयोग का प्रतिवेदन मुख्यतया स्वीकार कर लिया है यदि यह बात है तो फिर इस समाज कल्याण कार्य की क्रियान्विति में विलम्ब नहीं होना चाहिये। यदि हम जनता को उचित सुविधायें प्रदान नहीं करेंगे हम कदापि भी उनमें प्रोत्साहन की भावना पैदा नही कर सकते।

इसी प्रकार खाद्य समस्या के सम्बन्ध में हमें ध्यान से कार्यवाही करनी है। अब हमारे देश में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि खाद्य का परिरक्षण हो और जो कुछ हमारे पास है हम उसे बचाते रह।

हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि हम किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधायें दें। यदि आप किसानों को मुफ्त पानी देने लगेंगे तो वह इसके आदी हो जायेंगे और समय आने पर आप उन पर थोड़ा सा शुल्क भी लगा सकते हैं।

इसी प्रकार मैं आशा करती हूं कि सरकार विस्थापितों के लिये बनाई गई दण्डकारण्य योजना में भी किसी प्रकार की कमी नहीं करेगी। अब वास्तव में बंगाल में अधिक लोगों के लिये स्थान है भी नहीं।

अन्त में मैं यही कहूंगी कि हमें अपनी आय बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके लिये हमें निर्यात बढ़ानी चाहिये और आयात कम करनी चाहिये। चाय बोर्ड को भी चाहिये कि वह ईरान तथा ईराक जैसे देशों में भी चाय का बाजार बनाने का यत्न करें। चाय बोर्ड को अपना धन उपयुक्त रीति से व्यय करना चाहिये।

पर्यटन की वृद्धि के लिये भी सरकार को अधिक उचित कार्यवाही करनी चाहिये। पर्यटकों से भी सम पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय कर सकते हैं। हमें इससे २० करोड़ की आय तो हुई भी है। श्री पाटिल ने आशा प्रकट की थी कि भविष्य में और भी अधिक विदेशी मद्रा अर्जित की

जा सकेगी। पर्यटकों के लिये हमें शराब पर इतनी पाबन्दी नहीं रखनी चाहिये क्योंकि उनको तो आदत होती है।

मैं अन्त में पुनः यह प्रार्थना करती हूं कि हमारे देश की सरकार जहां कोयले और लोहे का इतना ध्यान रख रही है वहां वह जनकल्याण का भी ध्यान रखेगी।

श्री म० प्र० मिश्र : हमारे गांव में एक कहावत प्रसिद्ध है : "पंचों का फैसला तो सिर पर है लेकिन मेरा खूंटा यहीं गड़ेगा।" मैं समझता हूं कि यह जो हमारा योजना आयोग है उसका भी रवैय्या कुछ वैसा ही है।

आप जानते हैं कि यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी और इस पार्लियामेंट के सामने आई और देश के सामने आई तो उसके खिलाफ़ एक बात बड़े ज़ोर से कही गई और उसके खिलाफ़ पार्लियामेंट में भी कहा गया कि इस योजना में संतुलन नहीं है और यह योजना एक तरफ़ा है। इसमें एक बड़ी भूल यह है कि उसने एक तरफ़ उद्योगों पर तो बहुत अधिक रुपया खर्च करने का फ़ैसला किया है लेकिन दूसरी तरफ़ खेती पर ध्यान कम दिया है। इसके विपरीत पहली जो योजना थी वह सही योजना थी क्योंकि उसमें खती के ऊपर पूरा ध्यान रक्खा गया था और वह सफल हुई। मैं समझता हूं कि आज तीन वर्ष के बाद जो देश में संकट घिरा हुआ है देश परेशानी में जा फंसा है और यह योजना भी परेशानी में जा फंसी है उसका एक ही कारण है कि इस योजना में संतुलन नहीं था और सरकार ने भी इस बात को क़बूल किया और हमारे प्रधान मंत्री महोदय जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने सदन में कहा और मैं समझता हूं कि ऐसा शायद उन्होंने खेद के साथ ही कहा होगा कि दो वर्ष पहले तक मैं यह नहीं समझता था कि इस देश में खेती की इतनी बड़ी जगह है और उसकी इतनी अहमियत है। यह बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री को यह बात इतनी देर से मालूम हुई। उसके बाद योजना आयोग ने भी यह क़बूल किया है कि आज देश में जो इतना संकट है वह इसलिये है कि खेती पर ध्यान नहीं दिया गया और कृषि की पैदावार नहीं बढ़ी। इसलिये उन लोगों ने और सरकार ने इस बात को क़बूल किया कि इस योजना की और इस देश के आर्थिक विकास की आधारशिला और फांउंडेशन अगर कोई हो सकती है तो वह कृषि ही हो सकती है। अब यह सब कुछ सुन लेने के बाद कह लेने के बाद और मान लेने के बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही कि "वैताल फिर पेड़ पर जा लटका"। कृषि पर जिस पर कि ५६८ करोड़ रुपये खर्च होने थे उसमें कमी करके और उसको काट करके ५१० करोड़ कर दिया गया। इतना ही नहीं खेती से जो लगी हुई चीज़ सिंचाई है उसके रुपये में भी कटौती की गई और कमी की गई। सरकार बड़े-बड़े उद्योगों में जो बहुत अधिक रुपया खर्च करने जा रही है उसके लिये मेरा यह कहना है कि मैं उद्योगों का कोई विरोधी हूं ऐसी बात नहीं है लेकिन यह भी एक वहम है जो कि हमारे बीच में से जाना चाहिये कि उद्योगों से पिछड़े देशों का तुरन्त कल्याण होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि आज जो हिन्दुस्तान की स्थिति है वह कुछ दूसरी है और मैं तो कहूंगा कि पिछड़े देशों की स्थिति दूसरी है। आप इस देश में नये-नये उद्योग बनाते जाइये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप के पास उनको बेचने के लिये मार्केट कौन सा है? जापान, जर्मनी और अमरीका इन के अलावा आपके पास बाज़ार कहां है? आपको तो यहां बनने वाली चीजों के लिये यहीं देश में बाज़ार ढूंढना होगा। और जहां तक हिन्दुस्तान में उनके लिये बाज़ार का सवाल है तो क्या लोगों पर इतने टैक्स लगा कर इतना नक़ली रुपया छाप कर, जिस हिन्दुस्तान को आपने इतना ग़रीब बना दिया है वह क्या आप जो चीज़ें पैदा करेंगे वह उनको ख़रीद सकने में समर्थ होगा?

[श्री म० प्र० मिश्र]

मेरे एक मित्र श्री माथुर ने कहा कि इस हालत के लिये योजना आयोग पर दोष नहीं डालना चाहिये वरन् इसका सारा दोष इस सरकार पर है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें योजना आयोग का बहुत बड़ा दोष है क्योंकि उसने मानने के बाद फिर वही ग़लती की और जो छोटे छोटे असंतुलन इस योजना में थे वे आज २५ प्रतिशत बढ़ गये हैं। इस नई एप्रेज़ल में जो कि हमारे और आपके सामने है और जिस पर कि हम और आप बहस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे दृष्टि में रख कर योजना अगर फ़ेल कर रही है और फ़ेल करेगी तो इसका एक बड़ा कारण यह होगा जिसका कि मैंने ज़िक्र किया।

आज दो वर्ष के बाद फिर जो खाद्य संकट हमारे देश के सामने पैदा हो गया है और जिसके कि कारण उत्तर प्रदेश में कोई २ या ३ हजार लोग जेलों में बंद हैं.....

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : जनाब, ५००० से ऊपर लोग जेलों में हैं। समाचार पत्र पढ़िये तो आपको मालूम हो जायेगा ।

श्री म० प्र० मिश्र : ठीक है, मैं आपकी ही बात माने लेता हूं। हां तो मैं कह रहा था कि अगर यह खाद्य संकट बना रहा और हमने यह समस्या हल नहीं की और यह गड़बड़ियां चलती रहीं और अगर मौजूदा रवैय्या क़ायम रहा तो मैं समझता हूं कि आज सन् १९५८ में जो हालत है वह सन् १९६० में जा कर और बदतर हो जायेगी। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सरकार और प्लानिंग कमिशन देश की कृषि समस्या की ओर ध्यान दे और वे तमाम आवश्यक क़दम उठाये जिनसे कि इस देश में कृषि की पैदावार बढ़ सके। योजना आयोग यह तो कहता है कि इस देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिये लेकिन जब उसके लिये रुपया लगाने की बात आती है तो बजाये बढ़ाने के उसमें और कट कर लिया जाता है। उनकी ओर से जनसहयोग का नारा तो लगाया जाता है लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता कि इस देश के किसान के पास सबसे अधिक किस चीज़ की कमी है। देश का किसान कोई ऐसी बात नहीं है कि वह अपनी खेती की पैदावार को नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि उसके तमाम परिवार की बाल बच्चों की रोटी उसी पर निर्भर करती है। वह अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहता है और मैं समझता हूं कि योजना आयोग को पैदावार बढ़ाने की जितनी चिन्ता होगी उससे ज्यादा उस किसान को है जो कि गांव में हाथ में कुदाल लिये धूप और वर्षा में हल के पीछे खड़ा रहता है। लेकिन वह बेचारा करे तो क्या करे। आज उसके पास अच्छे बीज नहीं हैं, उसके पास रुपया नहीं है और जिसके कि कारण वह बैल नहीं खरीद सकता है और उसके पास सिंचाई की माकूल व्यवस्था नहीं है। यह चीज़ें केवल जन सहयोग का नारा लगाने से ही मुहैय्या नहीं हो सकती है। सरकार को इसके लिये एक आयोजित ढंग से उस पर रुपया खर्च करना होगा लेकिन योजना आयोग को एक वहम हो गया है। अभी मेरी एक बहिन ने कहा कि यह ठीक वैसे ही हो गया कि योजना आयोग को इस्पात चाहिये और उसको गेहूं से कोई सरोकार नहीं है। आज देश में अनाज की बहुत कमी हो रही है और मैं तो दो महीने पहले बहुत घबरा गया था जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे और यह मालूम पड़ता था कि अब विश्व युद्ध होने को है तो मैं उस समय सोचने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या हाल होगा। लड़ाई के छिड़ने पर योजना ठप्प पड़ जानी थी और हो सकता है कि इस्पात के कारखाने

उतने तेजी से नहीं चलते। यह तो देश के लिये बुरी बात होती लेकिन उतनी बुरी बात नहीं होती जितनी यह बात होती कि इस देश में लोग भूखों मरते, भुखमरी आती क्योंकि आज इस देश के ३६ करोड़ लोगों का पेट भरने के लिये मुल्क में अनाज पैदा नहीं होता है और अमरीका लड़ाई छिड़ने पर अनाज नहीं भेज सकेगा, और लड़ाई किसी भी समय छिड़ सकती है, अब वह आदमी पागल ही होगा जो कि यह ऐलान करे कि लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई छेड़ना कोई नहीं चाहता और हम भी यह चाहते हैं कि लड़ाई न हो लेकिन अभाग्यवश अगर लड़ाई छिड़ ही जाती है तो मुझे आशंका है कि इस देश में लाखों आदमी वैसे ही भूखे मरने लगेंगे जैसे कि सन् १९४३ में बंगाल और बिहार में मरे थे। यह खेद का विषय है कि योजना आयोग को अब भी चेत नहीं आया है और उसे इसी बात का ध्यान लगा हुआ है कि हमारे देश को इस्पात चाहिये। हमारे देश को इस्पात चाहिये मैं भी इसको स्वीकार करता हूं लेकिन उसके साथ ही साथ यह बहुत ज़रूरी है कि देश को खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाया जाय। आज हमारे देश को गेहूं चाहिये, चावल चाहिये और दूसरे-दूसरे अनाज चाहियें हमारे किसानों को अच्छे जानवर चाहियें, अच्छे बीज, खाद और पानी चाहिये लेकिन योजना आयोग ने इसके सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था और सक्रिय क़दम नहीं उठाया है। इसलिये मेरा खयाल है कि जब देश में इतनी गड़बड़ी है और इतनी आवाजें उठ रही हैं और प्रधान मंत्री महोदय खुद उसकी गम्भीरता को मानते हैं इसके बाद भी हम देखते हैं कि योजना आयोग द्वारा कृषि के लिये रक्खे गये धन में कट किया गया है और सिंचाई के लिये रक्खी गई रक़म में भी वह कहता है कि काट लो और इस्पात के लिये और रुपया बढ़ा दो, मैं समझता हूं कि योजना आयोग का यह केवल वहम ही नहीं बल्कि पागलपन कहा जा सकता है। इसका एक सबूत इस बात से भी मिलता है कि योजना आयोग में जहां कोर आफ़ दी प्लान में सारी चीज़ें हैं वहां यह फ़र्टिलाइज़र्स कोर आफ़ दी प्लान में नहीं है, फ़र्टिलाइज़र्स कोर आफ़ दी प्लान में नहीं जाती। कृषी मंत्री महोदय ने राज्य सभा में रो कर कहा कि उन्हें इस देश में फ़र्टिलाइज़र्स मंगाने के लिये रुपया नहीं मिलता है। योजना आयोग उन्हें फ़र्टिलाइज़र्स नहीं मंगाने देगा और फ़र्टिलाइज़र्स के कारखाने जो कि निजी पूंजी वाले इस देश में चलाना भी चाहते हैं उनको वह नहीं चलाने देगा और इस के बाद यह कहना कि हम खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये सब कुछ कर रहे हैं, देश के साथ एक गम्भीर मज़ाक करना है। मैं इस सम्बन्ध में अपने उन दोस्तों के साथ सहमत हूं जो यह कहते हैं कि यह सरकार शहरी है। यह सरकार शहरपरस्त है और यह योजना आयोग भी शहरपरस्त है।

एक माननीय सदस्य : अमीरपरस्त है।

श्री म० प्र० मिश्र : शहर अमीर ही होते हैं।

हिन्दुस्तान के ८० फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और यह २० फीसदी लोग जो कि हिन्दुस्तान के शहरों में रहते हैं वे उन्हीं के बलबूते पर पलते हैं क्योंकि अगर वे पैदा न करें तो यह खायें क्या। लेकिन उनको यह सरकार खुशहाल नहीं बनाना चाहती और उनको तमाम आवश्यक सुविधायें प्रदान कर अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहती।

एक बात और मैं इस संबंध में बड़े जोर से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि सारा हाउस और यह पार्लियामेंट सरकार और योजना आयोग से कहे कि अभी भी समय है और वह इस चीज़ को बदल दे। चाहे कहीं से भी रुपया निकाले लेकिन उसको देश में खेती बाड़ी पर अधिक खर्च करना चाहिये। और इसके साथ-साथ एक आवाज है भूमि सुधार की। खेती के मंत्री ने राज्य सभा

[श्री म० प्र० मिश्र]

में जो यह कहा, कि या तो भूमि सुधार एक साल में कर दो या इस विचार को हाल स्थगित कर दो, उससे मैं सहमत हूं। आज देश में यह स्थिति हो गयी है कि लोग देश में भूमि सुधार का नारा लगाते हैं और भूमि सुधार के मानी समझे जाते हैं सीलिंग (अधिकतम सीमा)। मैं सीलिंग के विरोध में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन पर सीलिंग लगे क्योंकि अभी इस देश में हजारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों बीघे जमीन है जिसका वह ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। वे उसको दूसरों को उठा देते हैं। यह चीज़ बन्द होनी चाहिये। लेकिन सीलिंग लगाने के मानी यह भी नहीं होने चाहियें कि सिर्फ ५ बीघे पर सीलिंग लगा दी जाये जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। इस बारे में मेरा अपना यह खयाल है कि मध्य वित्त के जो किसान हैं उनको बचाकर सीलिंग लगानी चाहिये। अगर उनकी कमर तोड़ दी गयी तो इस देश की भी कमर टूट जायेगी इस बात को मैं बखूबी समझता हूं। और भूमि सुधार का मतलब केवल यही नहीं है कि सीलिंग लगा दी जाये। उसके अन्तर्गत कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स (चक बन्दी) भी आता है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। और यह जो सीलिंग लगाने वाली बात है इसके बारे में मैंने अपने कुछ मित्रों से पूछा तो मालूम हुआ कि राज्यों में पहले से ही काश्तकारी कानून है कि कोई भी जमींदार उस जमीन को नहीं रख सकता जिसका कि वह इस्तेमाल न करता हो। तो अगर सरकार चाहे तो उस कानून के अधीन ऐसे जमींदारों से उनकी जमीन छीन सकती है। इस प्रकार बिना शोरगुल के भूमि सुधार हो जायेगा। लेकिन हमारी सरकार यह नहीं करना चाहती। सरकार भी नारेबाजी में विश्वास करती है। पर इससे देश का नुकसान होता है।

एक तरफ हमारे बिनोवा जी का आंदोलन है जो कि यह कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की। मैं उस आन्दोलन का समर्थक हूं। मैं भी चाहता हूं कि लोगों के हृदय परिवर्तन द्वारा व्यवस्था बदली जा सके और सब लोग जमीन की मिल्कियत छोड़कर साथ मिल कर काम करें। आजकल जो सरकार की नीति है उससे तो देश में असन्तोष फैल रहा है। आजकल वातावरण ऐसा है कि गांव में जिस किसान के पास दस बीघा भी जमीन है वह इस घबराहट में है कि मेरी जमीन रहेगी या नहीं। और जब वह घबराहट में है तो वह उस जमीन पर मेहनत कैसे करेगा। उस जमीन का विकास कैसे करेगा और इस हालत नें खेती की उपज नहीं बढ़ सकती। इसलिये मैं कृषि मंत्री के इस सुझाव का बड़ा समर्थक हूं कि जो भी भूमि सुधार करना हो एक साल के अन्दर कर डालिये और जनता से कह दीजिये कि हम ऐसा करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हर तरह की आवाजें उठती रहती हैं। कोई कहता है कि हम कोआपरेटिव सहकारी खेती करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कोआपरेटिव खेती होने की नहीं। न कहीं शुरू हुई है और जहां शुरू हुई है वहां अच्छा नतीजा नहीं आया है। किसानों को दिन रात यह डर सता रहा है कि उनकी जमीन रहेगी या नहीं। कोई लोग कहते हैं कि कलेक्टिव खेती होनी चाहिये। लेकिन सरकार की यह राय नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार कोआपरेटिव खेती भी नहीं करेगी। और जहां तक कलेक्टिव खेती का सवाल है उसके लिये तो अगर आना होगा तो दूसरे ही लोग आवेंगे। लेकिन इन आवाजों से देश का वातावरण बिगड़ता जाता है और किसान घबराहट में है कि जमीन किसकी है और इस घबराहट की वजह से वह जमीन पर मेहनत नहीं करता और इसी कारण देश में खेती की पैदावार नहीं बढ़ रही है।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुये एक प्रश्न की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह देश के विकास से बड़ा संबंध रखता है। मेरे खयाल से सरकार और योजना आयोग इस ओर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह प्रश्न आबादी का है। जिस रफ्तार से देश की

आबादी बढ़ रही है अगर उसी गति से बढ़ती रही तो चाहे सरकार कुछ भी प्रयत्न करे यह देश सुखी नहीं हो सकता। अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो तीस चालीस साल में इस देश में अकाल और महामारी पैदा हो जायेगी। और देश उजड़ जायेगा और बरबाद हो जायेगा। लेकिन सरकार में और योजना आयोग में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इसको नहीं मानते गो कि सरकार ने इस बारे में फैसला कर लिया है। योजना आयोग इस पर कुछ रुपये खर्च कर देता है लेकिन इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर श्री कृष्णमेनन साहब इस चीज़ का मजाक करते हैं। वह कहते हैं कि यह आबादी को रोकने का प्रयत्न ऐसा है जैसे कि थर्ड क्लास के मुसाफिरों का दूसरे मुसाफिरों को अपने डब्बे में न आने देने का प्रयत्न। तो वह इस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर होकर इस चीज का मजाक करते हैं। एक हमारे मुरारजी भाई हैं। वे रोज नैतिकता के नाम पर इसके खिलाफ बोलते हैं। उनको इस चीज़ से उज्र है कि कृत्रिम परिवार नियोजन नहीं होना चाहिये। लेकिन यह गलत चीज है। योजना आयोग ने कृत्रिम परिवार नियोजन की पद्धति को स्वीकार किया है और सरकार भी उसको चलाती है। तो फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिये यह कहना ठीक नहीं कि यह पद्धति नहीं अपनानी चाहिये। इससे बुद्धि भेद पैदा होता है। आज इस देश के अन्दर इस चीज का बड़ा महत्व है कि परिवार नियोजन किया जाये। लेकिन मैं समझता हूं कि न इस तरफ सरकार ज्यादा चेष्टा करती है और न योजना आयोग इस पर उचित ध्यान देता है। मैं चाहता हूं कि सरकार, योजना आयोग और सारे देश का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। इस देश में इस चीज के खिलाफ कोई रुकावट नहीं है। यहां पर कोई कैथोलिक चर्च नहीं है जो कि इसका विरोध कर रहा हो। लोग इसको चलाना चाहते हैं लेकिन सरकार उपयुक्त कदम नहीं उठाती।

आखिर में मैं एक बात अपने इलाके के बारे में भी कहना चाहता हूं। योजना आयोग का यह सिद्धांत है कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाये ताकि ऐसा न हो कि जो इलाके पहले से उन्नत हैं वे ही और उन्नत हो जायें और जो पिछड़े इलाके हैं वे पिछड़े ही रह जायें। हमारे यहां उत्तर बिहार में दो करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं लेकिन वहां पर कोई उद्योग नहीं है। बिहार सरकार वहां पर ५ करोड़ रुपया लगाकर एक बिजली का कारखाना खोलना चाहती है। भारत सरकार को इसमें एक रुपया भी नहीं देना है। केवल इस कारखाने के लिये दो करोड़ का फारिन एक्सचेंज चाहिये। लेकिन भारत सरकार इसको देने में आनाकानी कर रही है। उत्तर बिहार का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर दो करोड़ से ज्यादा आबादी है, कोई उद्योग यहां नहीं है। एक मील जमीन पर कहीं कहीं १२०० आदमी बसते हैं। और सारे उत्तर बिहार में ८००० किलोवाट की बिजली है और वह भी ऐसी बिजली है जो कि ६ वर्ष में खत्म हो जायेगी। यहां पर दिल्ली में अशोक होटल है। मुझे मालूम हुआ है कि उसकी बिजली खर्च करने की कैपेसिटी (क्षमता) ४००० किलोवाट है। उसके मुकाबले में उत्तर बिहार में जहां दो करोड़ से ज्यादा आबादी है केवल ८००० किलोवाट बिजली है जो कि ६ वर्ष में खत्म हो जायेगी। लेकिन वहां के लिये सरकार रुपया नहीं देगी। पर साथ ही यह कहा जाता है कि हम पिछड़े इलाकों का विकास चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर बिहार को थरमल पावर के कारखाने के लिये न्याय के नाम पर, इन्साफ के नाम पर और वहां के दो करोड़ लोगों के नाम पर फारिन एक्सचेंज की सुविधा मिलनी चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : योजना आयोग के ज्ञापन में वर्तमान योजना के मूल्यांकन और भविष्य के संबंध में सुन्दर विवरण दिया हुआ है। श्री नन्दा ने अपने प्रारम्भिक भाषण

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

में योजना के महत्वपूर्ण अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। सामान्य प्रथा से अनुसार कई सदस्यों ने भाषण दिये और बहुत से संशोधन भी रखे हैं।

मुझे यह जान कर हर्ष हुआ है कि कम से कम एक बुनियादी बात पर सभी सहमत हैं। वे सब आयोजित अर्थ व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उन्होंने उस प्रणाली की प्रशंसा भी की है। कुछ ही वर्ष पहिले तक न केवल बहुत से लोग, अपितु कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी योजना बनाने के सिद्धांत को नापसन्द करते थे। तथापि अब वे भी योजना के प्रशंसकों में बदल गये हैं।

योजना के विरोधियों में यह परिवर्तन, योजना आयोग की सफलता से हुआ है या असफलता से मेरे विचार से योजना आयोग द्वारा प्राप्त सफलता के कारण से ही आज आयोजन, राष्ट्रीय विचार धारा का एक अंग बन गया है। वस्तुतः न केवल योजना संबधी दृष्टिकोण में ही परिवर्तन हुआ है अपितु प्रथम पंचवर्षीय योजना भी, जो कांग्रेसी सरकार द्वारा योजना आयोग के सहयोग से क्रियान्वित की गई, आशातीत रूप से सफल रही है। केवल ठोस कार्यों के संबंध में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय लाभांश, आय इत्यादि में भी हम अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में, मैं यह बात नहीं समझ सका कि आयोग के ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है। अभी योजना ने आधा मार्ग भी तय नहीं किया है लेकिन ठोस परिणाम नजर आ रहे हैं। इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने हमें बताया है कि रूरकेला योजना से उत्पादन होना लगभग प्रारम्भ हो चुका है। अन्य दो संयंत्र भी इस वर्ष के अन्त या अगले वर्ष तक लोहे का उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे।

अतः योजना आयोग पर असफलता का आरोप लगाना अनुचित है। हमारी योजना भी लचीली थी। वस्तुतः कोई भी ऐसी योजना लचीली होनी ही चाहिये। ऐसी योजना जो लाखों व्यक्तियों के जीवन से संबंध रखती है तब तक अन्तिम रूप नहीं ले सकती जब तक कि वह अत्याधिक सावधानी से न बनाई जाय। निसन्देह सरकार तथा योजना आयोग की गलती हो सकती है। तथापि इसका दायित्व सभा के सदस्यों पर भी है। क्योंकि किसी विषय पर सभा में इतने स्पष्ट रूप से और इतनी अधिक बार चर्चा नहीं हुई जितनी कि योजना पर। यह हमारी राष्ट्रीय योजना है जिसे सभा के सभी दलों ने स्वीकार किया है। हमने जो कुछ भी किया है वह सब बहुत सतर्कता और सभा के सहयोग व सहायता से किया है। उस पर भी हम सभी सुझावों को स्वीकार करने को तैयार रहे हैं। इसलिये यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो हम सबको एक होकर उन्हें दूर करना चाहिये, न कि योजना आयोग पर इसका दोषारोपण करना चाहिये। हमें योजना के परीक्षण, अध्ययन, स्वीकृति और अस्वीकृति का पूरा-पूरा अधिकार रहा है। ऐसी स्थिति में इस योजना का दायित्व हम सभी पर है। मैं अनुभव करता हूं कि हमें इस योजना में विश्व के किसी भी राष्ट्र से जिसकी स्थिति हमारी तरह हो, अधिक सफलता प्राप्त हुई है। मुझे इस उपक्रम में साझीदार होने पर गर्व है।

यद्यपि सारे वर्ग, योजना के संबंध में सिद्धांततः एकमत ज्ञात होते थे तथापि श्री ही० ना० मुकर्जी का भाषण एक प्रकार की अहमन्यता से भरा हुआ था। उनके कथन का तात्पर्य यह था कि केवल सर्वाधिकारवादी प्रणाली ही सफल हो सकती है। आपकी पद्धति दोषपूर्ण है। वस्तुतः हमारी योजना की विशेषता ही यह है कि वह जनता की स्वेच्छा सहयोग पर आधारित है। उसका उद्देश्य पशु को चारा डालना नहीं, अपितु मानव का विकास करना है; जिससे वह सच्चे अर्थों में मनुष्य

बन सके। हमारी योजना की विशेषता यह है कि न किसी पर जबरदस्ती की जायेगी न किसी पर रोक लगाई जायेगी। हम जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर परियोजनाओं की पूर्व-वर्तिताओं पर विचार करेंगे और संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करेंगे।

योजना का प्रमुख उद्देश्य सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाना है। यह कार्य कितना कठिन है यह इसी से ज्ञात हो जायेगा कि इस पर कितनी अधिक संख्या में संशोधन आये हैं। किसी सदस्य ने समाज सेवाओं पर अधिक ध्यान देने को कहा है तो किसी ने कृषि, विद्युत, औद्योगीकरण इत्यादि पर जोर देने को कहा है। योजना आयोग को इन विरोधी बातों में समन्वय करना होता है और यह बहुत कठिन कार्य है। जिस पर कुछ लोग चाहते हैं कि केवल उनकी ही बात मानी जाय यह संभव नहीं है क्योंकि इससे हमारा प्रयोजन हल नहीं होगा। हमें उनकी बातें ऐसे स्वीकार करनी हैं कि दूसरे व्यक्तियों को भी उनका उचित अंश प्राप्त हो और उनकी आवश्यकतायें पूरी हों। वस्तुतः योजना की विशेषता ही इसमें है कि सारी मांगों में इस प्रकार समायोजन किया जाय कि वह अपने आप में पूर्ण हो जाय। एक ओर आपको वर्तमान की आवश्यकतायें पूरी करनी होती हैं दूसरी ओर भविष्य का ध्यान रखना होता है। निसन्देह योजना के लिये उपयोग पर नियंत्रण करने, और विनियमन करने की आवश्यकता होती है। तथापि यह बात सर्वाधिकारवाद से बिल्कुल भिन्न है। यदि कोई मुझ से पूछे कि आप सर्वाधिकारवाद, नाज़ीवाद, और लोकतंत्रवाद से किसे पसन्द करते हैं तो मैं अवश्य लोकतंत्र का पक्ष लूंगा। क्योंकि यदि मानव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। हम धन, जन, खनिज पदार्थ इत्यादि सभी बातों में अपने संसाधनों का इस रूप में विकास करना चाहते हैं कि मानव की आत्मा का विकास हो न कि उसे कुचला जाय। इसीलिये मानवता के सर्वांगीर्ण विकास का यह काम पांच या दस वर्ष में पूरा नहीं होगा अपितु कुछ समय लेगा।

निस्सन्देह ऐसे तरीके हैं जिनसे कम समय लग सकता है। आय बढ़ कर दुगुनी हो सकती है लेकिन उसका लाभ केवल आधे व्यक्तियों को मिलेगा। इसी प्रकार १२ से १६ घंटे काम लिया जा सकता है तथापि हम इन तरीकों को पसन्द नहीं करते हैं। हम लोकतंत्रात्मक प्रणाली से सहयोग के द्वारा ही कार्य करना चाहते हैं बलात् काम लेकर नहीं।

निस्सन्देह हमारी योजना महत्वाकांक्षी हैं। हमारे देश की अवस्था देखते हुये जहां करोड़ों व्यक्तियों को एक बार भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है और हमारे समक्ष दरिद्रता, अशिक्षा, रोग, और भरपेट भोजन न मिलने, अकुशलता इत्यादि महान् समस्यायें हैं। योजना का प्रयोजन उन पर विजय प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य यथाशीघ्र तरक्की करना है। जब हमारी कुशलता और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो तो इसका उपचार यही है कि हम अधिक ही नहीं अपितु इतना अधिक उत्पादन करें कि उससे भविष्य में उत्पादन संभव हो सके। इसके लिये योजना का महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है।

श्री मसानी ने योजना के लाभों को समेकित करने का सुझाव दिया है। मेरे विचार से समेकित करने से उनका तात्पर्य था कि हम अधिक उपभोग करें और उपभोग की वस्तुओं का अधिक निर्माण करें तथा पूंजी गत माल व मशीनों पर कम ध्यान दें। मेरे विचार से यह प्रगति की जड़ काटने के समान है। उन्होंने ऐसी बात भी कही है जो औद्योगीकरण के पक्ष में नहीं कही जा सकती है। ऐसा ज्ञात होता है कि बचपन से ही कारखानों के बीच रहने से वे उनकी ओर से विरक्त हो उठे हैं तथापि

[पंडित गो० ब० पन्त]

वे अब भी बड़े और भारी उद्योगों के वातावरण में पल रहे हैं अतः मैं उद्योगों के प्रति अधिक विनम्र होने की सलाह दूंगा ।

निस्सन्देह मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी योजना की बुनियादी और अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है । हमें अपनी अर्थव्यवस्था बनाये रखने, जीवन निर्वाह करने तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये भी कृषि पर निर्भर रहना है । भले ही वह कहवा, पटसन, कपास, तिलहन कुछ भी हो । अतः कृषि को अत्याधिक महत्व दिया जाना चाहिये । तथापि कृषि और औद्योगीकरण में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है क्योंकि जनता की वास्तविक प्रगति कृषि क्षेत्र से उद्योग में आने में सन्निहित है । अन्त में इन दोनों के समायोजन के द्वारा ही हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं ।

वस्तुतः बिना उद्योग के आप कृषि नहीं कर सकते हैं । आज किसान को अपने औजारों के लिये लोहे और ट्रेक्टरों के लिये मशीनों की आवश्यकता है । उसे उर्वरक की आवश्यकता है उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आपको इस्पात, मशीन व उरर्वक संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे । यह औद्योगीकरण के द्वारा ही सम्भव है । औद्योगीकरण व्यक्तियों को रोजगार देने, भूमि का भार कम करने के लिये भी आवश्यक है । अपने देश में बड़े तथा भारी उद्योगों का विकास करने के साथ-साथ, हमें देश में व्याप्त बेरोजगारी इत्यादि पर विचार करते हुये, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा गृह उद्योगों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये । भारी उद्योगों में तत्काल अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा बहुत कम रहती है । मेरे विचार से यह समय, जब आयात में प्रतिबन्ध है, और विदेशों में हमारी वस्तुओं के लिये अच्छा बाजार है, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये बहुत उपयुक्त है । इस संबंध में एक बात और भी हैं जिस की गुरुता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारी वर्तमान आय बहुत कम है और हमारी जन संख्या प्रति वर्ष १ या १·५ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती जा रही है । अतः स्तर स्थिर रखने के लिये भी उत्पादन १ से १·५ प्रतिशत तक बढ़ना चाहिये । अतः स्तर ऊंचा करने के लिये हमें और अधिक उत्पादन करना चाहिये साथ ही कुछ बचाना भी चाहिये, जिससे आगे और अधिक उत्पादन हो सके ।

आयोजित अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य संसाधनों में वृद्धि कर अधिक उत्पादन करना है । तथापि यह कार्य सुगठित प्रणाली से और वैज्ञानिक तरीके से करना है । हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हमें अन्य देशों से सहायता प्राप्त हुई है । हम इस के लिये उन के कृतज्ञ हैं । वस्तुतः आज सारा विश्व एक है । विज्ञान ने दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है । आज जब हम सहअस्तित्व और सहकारिता में विश्वास करते हैं तो हमें अपनी वस्तुओं का कुछ अंश दूसरों को देना होगा जिस से वे हमारे अधिक निकट आयें और हमारी पृथकता व दूरी समाप्त हो जाय । तथापि किसी देश की वास्तविक शक्ति उस की आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है, इस के साथ-साथ वहां स्थायी सरकार होनी चाहिये, विधि और व्यवस्था होनी चाहिये तथा जनता में यह विश्वास होना चाहिये कि जो लोग रुपया लगाते हैं उन्हें उस का लाभ भी अवश्य मिलेगा ।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि जनता में आत्मविश्वास और साहस होना चाहिये । हमें अपने देश तथा उस के भविष्य के निर्माण के प्रति विश्वास और साहस होना चाहिये । इसलिये

हमारी जनता को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, सामाजिक तथा आर्थिक विषमतायें दूर होंगी और लोग सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करेंगे।

यह भी आवश्यक है कि हम उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करें। वे लोग जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिये कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिये।

मेरा विचार है कि निराशा का कोई कारण नहीं है। पिछले कुछ महीनों से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। मुद्रा बाजार की अवस्था भी सुधरी है। हमें काफी बड़ी राशि का ऋण मिल सकता है। हम केवल ४८०० करोड़ ही व्यय नहीं करेंगे अपितु परिस्थितियों के अनुसार इस से भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यदि देश की प्रगति के लिये हमें अपने व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा हम ने पहिले भी किया है। हमारी एकमात्र शर्त योजना की सफलता है, और यह सफलता भी उचित तरीकों से प्राप्त होनी चाहिये। क्योंकि हम साधनों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना साध्य को।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अपने प्रतिवेदन में हमारे देश के लक्ष्य, सफलता तथा भावी संभावनाओं के बारे में यह कहा है कि :

> "शानदार सफलता प्राप्त की गई है। ४० करोड़ की जनसंख्या वाले, बहुभाषी, संघीय देश में, बिना मुद्रा स्फीति के प्रति वर्ष २ से ३ प्रतिशत निरन्तर उत्पादन वृद्धि करना, और नाम मात्र के उद्योगों से आधुनिक औद्योगीकरण की बुनियाद डालना, यह सब कार्य लोकतंत्रात्मक विधि से करना ऐसी बात है, जो इतिहास में पहली बार हुई हैं।"

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : माननीय मंत्री महोदय ने सभा के सामने योजना की जो विशद व्याख्या की है उस की सामान्य प्रस्थापनाओं से हमें कोई मतभेद नहीं है। किन्तु इस समय हमें योजना के पुनर्मूल्यांकन[1] पर विचार करना है। हमें यह देखना है कि योजना के बारे में चार महीने पूर्व जो पहला मूल्यांकन रखा गया था उस की तुलना में हमें कहां तक सफलता या विफलता हुई है? उस में कहां पर कमियां रह गई थीं, और उन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है?

अर्ध-विकसित देश में पूंजी निर्माण का प्रश्न सब से मुख्य प्रश्न होता है। हमें यह देखना है कि प्रजातांत्रिक ढंग से हम इस का कैसे निर्माण कर सकते हैं। "प्रजातांत्रिक ढंग की शासन व्यवस्था में किसी भी आयोजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकार का एक विशेष कर्तव्य होता है। उसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिये एक जुम्बश पैदा करनी होती है।" मैं योजना आयोग से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस ने इस दौरान में देश की ठीक रहनुमाई के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं? क्या उस ने लोगों में योजना के प्रति उत्साह पैदा करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है? आज देश में चारों ओर योजना के प्रति सन्देह तथा उदासी छाई हुई है। क्या हम इसे योजना की सफलता कह सकते हैं? योजना की सफलता के लिये सब से पहले हमें लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस के लिये हमें कृषकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। इस क्षेत्र में हमारा आज तक का सारा रिकार्ड असफलता का रिकार्ड है। आज कृषि के क्षेत्र में पूर्ण अस्त व्यस्तता छाई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Reappraisal.

[श्री खाडिलकर]

हुई है। आप ने पुराने सम्बन्धों को तोड़ दिया है किन्तु उन के स्थान पर अभी तक नये सम्बन्ध नहीं बनाये। लोगों में चारों ओर असुरक्षा की भावना फैली हुई है। ऐसी दिशा में आप सफलता की क्या आशा कर सकते हैं ?

डा० गाडगिल के शब्दों में "कुछ सिद्धान्तों के निर्माण के अतिरिक्त योजना आयोग प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक दृष्टि से असफल रहा है। यह एक भी सार्थक योजना नहीं बना सका है।" यह उस व्यक्ति का निर्णय है जिस का कि 'योजना का ढांचा' बनाने में प्रमुख हाथ रहा है।

अभी हमारे देश में विदेशी मुद्रा के संकट की स्थिति बनी हुई है। यद्यपि यह पहले से कुछ सुधर गई है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग ने अभी तक विदेशी व्यापार विनियमन के लिये योजना के अन्तर्गत क्या क्या किया है ? मैं समझता हूं हर तीसरे मास आयात निर्यात के लाइसेंस देने की योजना ने एक विशेष प्रकार का व्यापारी वर्ग बना दिया है। जिन पर सरकार की विशेष अनुकम्पा होती है उन्हें ही ये लाइसेंस मिलते हैं। इस से देश के सामान्य उपभोक्ताओं व छोटे उत्पादकों को लाभ के स्थान पर हानि ही हो रही है।

मेरे कुछ मित्रों ने उन देशों का कृतज्ञ होने के लिये कहा है जिन्हों ने हमें इस समय सहायता दी है। कृतज्ञता प्रकट करने में मैं भी उन के साथ सहमत हूं मगर फिर भी मैं श्री मसानी साहब से प्रार्थना करूंगा कि कोई राय प्रकट करने से पहले उन्हें उस पर भली भांति विचार कर लेना चाहिये। आज जिन देशों से हमें अधिकतर सहायता मिल रही है उन के साथ हमारा शर्तों पर व्यापार हो रहा है वे हमारे बहुत प्रतिकूल हैं। मैं योजना आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इन शर्तों के सुधार के लिये आवश्यक नीति बनाने की ओर विशेष ध्यान दे। अगर वे देश सचमुच हमारी उन्नति देखना चाहते हैं तो उन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे हमारे साथ उचित शर्तों पर लेन देन करें।

मेरे मित्र श्री मसानी ने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद हमें सब से पहले दोनों योजनाओं की उपलब्धियों से लाभान्विति करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था में लाभान्विति का कार्य तभी शुरू किया जाना चाहिये जब विकास कार्यों के लिये ऐसी शक्तियां चालू हो जायें जोकि देश की अर्थव्यवस्था को अपने आप प्रगति के पथ पर चलाती रहें। पिछले आठ सालों में हमारे देश में विधियों की भरमार तो हो गई है मगर अभी तक हम वास्तव में किसी भी क्षेत्र में उत्पादन अधिक्य नहीं कर सके हैं। इसलिये मैं समझता हूं इस विकास काल में हमें लाभान्विति का प्रश्न खड़ा कर के किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। हमें एक बार आपस में मिल कर बैठ कर विभिन्न प्राथमिकताओं का निश्चय कर लेना चाहिये और फिर सब लोगों में बिना किसी प्रकार की आलोचना या विरोध के योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। जब तक हम यह तरीका नहीं अपनाते हमारी योजनाओं का सफल होना कठिन है।

श्रीमान् अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आयोग ने अपने पुनर्मूल्यांकन में सामाजिक सेवाओं के व्यय में जो १३५ करोड़ रुपये की कमी कर दी है उस से लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस से लोगों में सहयोग की भावना शिथिल हो जायेगी और लोग योजना को अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगेंगे।

†**श्री कमल सिंह** (बक्सर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय को छोड़ कर सभा के शेष सभी सदस्यों ने योजना के मूल्यांकन के बारे में असन्तोष प्रकट किया है । हमारे सामने इस समय योजना की रूपरेखा का प्रश्न नहीं है जैसाकि माननीय मंत्री ने हमें बताने की कृपा की है । हमें यह देखना है कि जो कुछ भी तय किया गया था क्या उस की कार्यान्विति ठीक ढंग से हुई है ?

योजना मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आयोग लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उत्पादित साधनों का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया गया है तथा अपार जनशक्ति तथा धन का अपव्यय भी हुआ है । इस सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते । अब हमें कुछ कठोरता करने की ज़रूरत है । जहां तक जनता का प्रश्न है उसने इतने वर्षों तक अतिरिक्त कर देकर अपना भाग पूरी तरह निभाया है किन्तु सरकार उनको अपने वचनानुसार निश्चित वस्तुएं नहीं दे सकी है । इस लिये आज जितनी गड़बड़ी फैली हुई है वह सब सरकार की विफलता की द्योतक है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अब हमें कठोरता से काम लेना चाहिए ताकि इस सभा में फिर कभी ऐसी चर्चा करने का अवसर न आये ।

अब मैं 'जल संसाधनों' के उपयोग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने कहा है कि 'सुधार शुल्क' लगा देने से 'जल संसाधनों' का उपयोग बढ़ जायेगा । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह समझते हैं कि आवश्यक "जल संसाधन" उत्पन्न हो चुके हैं ? क्या इतना कह देने भर से कि हमने अमुक क्षेत्र में इतने नल कूप, इतनी नहरें आदि बनादी हैं लोगों को उनसे पानी मिलने लगता है ? अब भी दक्षिणी बिहार में हज़ारों ऐसे नलकूप हैं जिनमें बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है । दामोदर घाटी से उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिली है । अभी अनेक छोटी छोटी नहरों की मुरम्मत करनी बाकी है जो कि बड़ी नहरों से पानी ले सकें । दक्षिणी बिहार में अब भी नहरी क्षेत्र के ५० प्रतिशत भाग को पानी नहीं मिल रहा है । फिर भी आप कहते हैं हमने सिंचाई के लिये आवश्यक 'जल संसाधन' जुटा दिये हैं । दूसरी बात यह है कि जहां पानी उपलब्ध होने लगा है वहां उसकी दरें बहुत ऊंची रखी गई हैं । किसान अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं ?

खाद्य के बारे में भी सरकार की अब इतनी देर बाद आँखें खुली हैं कि देश में वास्तव में अनाज की कमी है । मंत्री महोदय ने कहा है कि अब वह कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं और सरकार इस के लिये कृषकों को पर्याप्त 'प्रोत्साहन' देने का प्रयत्न करेगी । मैं नहीं समझ सकता कि जब अभी तक उनको जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताएं ही नहीं उपलब्ध हो रही हैं तब सरकार अब उन्हें और कौनसा प्रोत्साहन देना चाहती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही गांवों में सामुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा अपार धन व्यय किया जा रहा है मगर किसानों की हालत तनिक भी नहीं सुधर सकी । इस पर हम आशा करते हैं कि उनको अधिक उत्पादन करना चाहिये । आज भी बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक गावों में आवागमन के साधन ठीक नहीं हुए, वहां निरन्तर बाढ़ों का भय बना रहता है, प्रतिवर्ष अकाल की आशंका बनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कमल सिंह]

रहती है। गांवों में शांति और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है उनके उपर सरकारी अफसरों द्वारा वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं। गांवों में स्थानीय शासन की कोई व्यवस्था नहीं रही है। ऐसी दशा में किसानों से उत्पादन बढ़ाने की आशा करना कहां तक ठीक होगा।

अंत में मैं यह कहूंगा कि योजना की सफलता उसके कार्यान्वित करने के ढंग पर निर्भर है। हमें विभिन्न विचारधाराओं के झमेले में न पड़ कर बड़ी सोच समझ से तथा ईमानदारी से काम करना चाहिये। हमें लोगों की गाढ़े पसीने की कमाई का एक पैसा भी फिजूल खर्ची में नहीं जाने देना चाहिये। जब तक हम अपना कर्त्तव्य ठीक तरह नहीं निभा सकते तब तक हमें लोगों से एक पैसा भी अधिक कर मांगने का कोई अधिकार नहीं ?

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : पिछले दो तीन दिनों से मुकर्जी–मेहता–मसानी वर्ग की ओर से हमारे विरुद्ध कई कोणों से अप्रत्याशित रूप से आक्रमण किये गये हैं। श्री जयपाल सिंह और श्री नौशीर भरुचा ने भी यहां से उद्योग भवन की ओर अनेक क्षेप्यास्त्र फैंके हैं जहां पर योजना आयोग की बैठक वगैरह होती रहती हैं।

योजना के बारे में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनकी हमें काफी हद तक आशा थी। हो सकता है हम योजना के लिये सारी आवश्यक धनराशि न एकत्रित कर सके हों किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है और वह कभी भी प्रगतिशील देशों के मुकाबले में नहीं पहुंच सकता। जो लोग आज योजना की आलोचना कर रहे हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सच्चे दिल से कभी इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया है ? यदि हां तो उन्होंने अब तक इसकी सफलता में कितना हिस्सा बटाया है ? साम्यवादी दल ने हड़तालों तथा हिंसात्मक आंदोलनों के रूप में इस योजना में सहयोग दिया है और श्री मसानी के 'फोरम आफ फ्री एन्टरपराईज' ने इसकी कटु आलोचना के रूप में। यह फोरम योजना की निन्दा करने के लिये इश्तहार पर इश्तहार निकालता रहा है

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस देश में लोगों में बौधिक व्यभिचार फैला हुआ है। जो लोग मन से समाजवादी ढंग के समाज को नहीं स्वीकार करते ऊपर से वे ऐसे बने हुए हैं मानों वे इसमें पूरा विश्वास रखते हों। मगर अन्दर से वे इसकी जड़ें काटने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं समझता हूं लोग हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्हें हम पर पूरा विश्वास है। इसी लिये उन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में चुन कर यहां भेजा है। सरकार को लोगों पर व्यर्थ आशंका करने की कोई जरूरत नहीं। उसे हड़ताल की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं।

देश में खाद्य स्थिति खराब है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रहीं हैं। मगर इसको क्या हल है। खाद्य गोदामों को लूटना ! क्यों ? ताकि सरकार लोगों को उचित मात्रा में खाद्य वस्तुएं न दे सके। जिससे लोग भूख से मरने लगें और तब विरोधी दल के लोग यहां आकर कह सकें कि इस सरकार के शासन में लोग भूख से मर रहे हैं और अपनी नेतागिरि दिखा सकें। अगर वह योजना को पसन्द नहीं करते तों उन्हें साफ़ साफ़ कहना चाहिये कि हम इसका विरोध करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

तब मैं भी उनके साहस व सच्चाई की प्रशंसा करता। वास्तविकता यह है कि वे लोग योजना की सफलता नहीं देखना चाहते क्योंकि इससे सरकार तथा कांग्रेस की जड़ें मज़बूत होने का भय है।

मेरे मित्रों ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। आप ग़ैर सरकारी क्षेत्र के हाथ में बाग डोर दे दें। फिर देखिये कितनी सफलता मिलती है। मैं भली प्रकार जानता हूं यह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र उद्योगपति व व्यापारी क्या चाहते हैं? इन्हें केवल आयात निर्यात करने के लाइसेंस चाहियें, फिर ये जितना मर्ज़ी माल पंगवायें और उसको जिस भाव पर मर्ज़ी बेचें। दूसरे अर्थों में इसका यह आशय हुआ कि सरकार को राज्य व्यापार निगम तथा सभी नियन्त्रण विभाग ठप कर देने चाहियें। इसी प्रकार उद्योगपति यह चाहते हैं कि उन्हें मशीनरी मंगाने के लिये सरकार करोड़ों रुपये का कर्ज दे दे और फिर उनसे कुछ न पूछे। वे हमेशा यही चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने फेल हों। इस सब के बावजूद भी हम उनको पर्याप्त स्थान दे रहे हैं। हम उनकी यथेष्ट सहायता कर रहे हैं।

इस देश में सब से ज्यादा करों का अपवंचन कौन कर रहा है? सोने को कौन गाढ़ कर रख रहा है? क्या यह काम गरीबों के हैं? तस्कर व्यापार में कौन अपने हाथ रंग रहा है? यह सब काम करते हुए भी वे लोग यह कहते हैं सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सभी सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं इत्यादि। आज विभिन्न दलों के लोग आपस में असाधारण गठजोड़ कर रहे हैं, और सरकार के विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहे हैं। यह सब क्यों? इसीलिये न कि योजना सफल न हों सके। इन सब का उद्देश्य यही है कि किसी भांति लोगों को गुमराह करके सरकारी बैंचों पर कब्जा जमाया जा सके।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): मैंने योजना तथा उसके मूल्यांकन के सम्बन्ध में, सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। उत्तर देने के पूर्व मैं विवाद के दौरान कही गई मुख्य बातों को संक्षेप में रखने का प्रयत्न करूंगा।

कई सदस्यों ने विभिन्न परियोजनाओं की लागतों में परिवर्तन तथा उसके लिये योजना आयोग के दायित्व के सम्बन्ध में कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। श्री अशोक मेहता व श्री म० रा० मसानी ने योजना की परिधि के बाहर हुये व्यय के सम्बन्ध में कहा, जिसके फलस्वरूप संसाधनों में कमी हुई है। सरकारी व्यय में मितव्ययिता करने का आग्रह किया गया और एक माननीय सदस्य ने यह आशंका प्रगट की, कि बजट बनाने और वित्तीय नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था से व्यय के बढ़ने की सम्भावना है। ऐसे संसाधनों का भी जिक्र किया गया जिनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका है। यथा आयकर की बकाया राशि, सोने की चोरी छिपे लाया जाना और छिपाये गये सोने को बाहर निकालना। श्री ही० ना० मुकर्जी ने विदेशी सहायता और विदेशियों द्वारा लगाई गई पूंजी के लाभ के रूप में विदेशों को जाने वाली राशि का जिक्र किया है, नहरी पानी के उपयोग तथा सुधार-उपकर लगाने की वांछनीयता पर भी आलोचना की गई। सीमेंट, उर्वरक तथा कोयले के उत्पादन सम्बन्धी औद्योगिक कार्यक्रमों तथा उनके लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में आलोचना की गई। श्री जयपाल सिंह ने एक दो सुझाव दिये।

[श्री नन्दा]

समयाभाव के कारण मैं अपने भाषणों को इन्हीं मख्य बातों तक सीमित रखूंगा। यद्यपि चर्चा के दौरान भूमि सुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा इत्यादि विषय भी उठाये गये तथापि ये योजना से सम्बन्ध रखने वाले नीति विषयक मामले हैं, जिन पर अन्य अवसरों पर भी चर्चा की जा सकती है।

सदस्यों ने योजना क्रियान्वित करने सम्बन्धी त्रुटियों और दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसका कारण कदाचित् यह था कि उनके समक्ष योजना के उन पहलुओं की पूरी तस्वीर नहीं थी, विशेषतः उन्होंने उन पहलुओं की कमजोरियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा वह अतिशयोक्तिपूर्ण था।

यदि सदस्य योजना के मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण तथा अन्य तत्सम्बन्धी विवरणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई है। वस्तुतः महान् कार्य किये जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिशाओं में प्रगति की जा रही हैं। कुछ बुनियादी विकास कार्य किये गये हैं। देश में निश्चित रूप से कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे हम भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी हो सकते हैं। निसंदेह हम आलोचना का स्वागत करते हैं तथा हमारी त्रुटियों एवं दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये। तथापि स्थिति को पूरी तरह देखने पर आपको उन सफलताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिये जो कि इस अवधि में प्राप्त की गई हैं।

मैं स्वीकार करता हूं कि स्थिति कठिन है। कई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। जिनमें से कुछ गम्भीर हैं। यदि हमारे द्वारा गलतियां या त्रुटियां हुई हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करने को तैयार हूं तथापि इन कठिनाइयों का कारण देश की आर्थिक स्थिति है। प्रगति में रुकावट होने के जो कारण बताये गये हैं, वास्तविक कारण वे नहीं हैं, अपितु कुछ अन्य बुनियादी बातें इसके लिये जिम्मेदार हैं; जिन पर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना होगा।

वस्तुतः हमारी प्रथम योजना छोटी योजना थी। जो बिना किसी रुकावट के सफल हो गई। उसमें हमें विकास सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी योजना वास्तव में बड़ी योजना है, इसका आधा मार्ग तय हो चुकने के पश्चात् हमें कुछ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अर्ध-विकसित देशों के विकास में ऐसी द्विविधा पूर्ण स्थिति आती ही हैं। यह अच्छी बात है कि हमें इन बातों पर विचार करने का अवसर मिलता है। वस्तुतः इन्हीं बातों पर देश का भावी आर्थिक विकास निर्भर करता है। इसलिये हमें तथ्यों पर विचार कर उनके परिणामो को अधिक ध्यान पूर्वक सोचना चाहिये। हमें एक साथ मिल कर इन कठिनाइयों से छुटकारा पाने पर विचार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य योजना सम्बन्धी प्रश्नों पर इस भावना से विचार करें; क्योंकि इस योजना को सभा के सभी दलों का ही नहीं, अपितु स्वतन्त्र सदस्यों का भी आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है।

सदस्यों ने बढ़ती हुई कीमतों पर भी चिन्ता प्रकट की है। देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाला भारी भार बढ़ती हुई कीमतों के रूप में प्रकट हुआ है। निसंदेह हमारी योजना की सफलता तथा अर्थ व्यवस्था के स्वामित्व के लिये यह भारी खतरा है। यद्यपि कीमतों को बढ़ने से रोकने का

प्रयत्न किया जा रहा है तथापि अभी खतरा बाकी है। इसके फलस्वरूप हम योजना में, तथा योजना के बाहर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना होगा; जिससे मुद्रा स्फीती के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि न हो जाय ।

योजना के कुल व्यय में १५० करोड़ रुपये की वृद्धि के सम्बन्ध में कहा गया है। मैंने केवल यह बताने का प्रयत्न किया था कि कुछ अत्यावश्यकीय कार्यक्रमों के लिये हमें धन की सख्त आवश्यकता है। तथापि जब तक हमारे संसाधनों में सुधार नहीं होगा हम उन कार्यक्रमों को नहीं लेंगे। इसलिये अब हमारी योजना का कुल व्यय ४५०० करोड़ रुपये ही होगा और योजना में १५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा ।

वस्तुत: ४५०० करोड़ रुपयों के अन्तर्गत भी हमारे संसाधनों में कुछ रुपयों की कमी रहेगी। मैं इस समय यह आश्वासन नही दे सकता हूं कि हमें वह राशि प्राप्त हो ही जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। तत्पश्चत् इस सारे मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख रखा जायेगा और तदुपरांत कोई निर्णय किया जायेगा। मेरे विचार से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे क्योंकि इसमें कमी होने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इनसे उन परियोजनाओं की निर्बाध प्रगति पर भी धक्का लगेगा जिन्हें हम प्रारम्भ कर चुके हैं और अन्य योजनाओं में भी विलम्ब हो सकता है ।

नियोजन के प्रश्न पर पहिले ही पर्याप्त आघात हो चुका है और उसके अधिक बिगड़ने की संभावना है। अत: हम योजना में अग्रेतर कटौती नहीं करेंगे तथापि नियोजन सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें काफी कोशिश करनी होगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने योजना की असफलता और उसका देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रगट की है । उन्होंने योजना पर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता बतलाई है । तथापि इससे निराधार आशंका और भय भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था की हालत काफी सुदृढ़ है। संभव है हमारी अर्थव्यवस्था में कोई कार्यदोष पैदा हो गया हो, तथापि हम इससे शीघ्र छुटकारा पा सकते हैं। निसंदेह हमें अगले एक दो वर्षों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथापि यदि फसलें अच्छी हुई तो कुछ समय के लिये स्थिति सुधर सकती है । निसंदेह आगामी कुछ वर्षों में हमारी स्थिति अधिक सुधर जायेगी और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये एक सुदृढ़ आधार तैयार हो जायेगा ।

निसंदेह कुछ योजनाओं में विलम्ब हुआ है और कुछ योजनायें तीसरी पंच वर्षीय योजना तक स्थगित कर देनी पड़ी है। संभव है कुछ योजनायें पांच वर्ष में पूरी न हो कर छ: या सात वर्षों में पूरी हों। तथापि हमें इस सम्बन्ध में भय करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। तथापि हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि हमें विवश हो कर अपनी गति धीमी करनी पड़े तो ऐसा इस प्रकार करना चाहिये कि योजना के विभिन्न अंगों में कोई गड़बड़ी या अव्यवस्था न पैदा होने पाये ।

अब मैं योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को लेता हूं। तथापि योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में योजना आयोग का जिक्र करना गलत है। निसंदेह योजना आयोग को अपने ऊपर दोषारोपण होते समय नाराज नहीं होना चाहिये। गृह मंत्री का यह कथन उचित है कि

[श्री नन्दा]

प्रथम योजना को अच्छी सफलता मिली। उस सफलता का श्रेय योजना आयोग, सरकार राज्य-सरकारों तथा जनता सभी को मिला। तथापि जिस बात का श्रेय योजना आयोग को नहीं दिया जा सकता है वह है खाद्यान्नों का उचित संभरण। यह श्रेय प्रकृति को दिया जाना चाहिये। तथापि इसका श्रेय भी योजना आयोग को दिया गया।

योजना की प्रगति में जिन कठिनाइयों के कारण रुकावटें पैदा हो रही हैं वे या तो मौसम की प्रतिकूलता के कारण हैं या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण। योजना आयोग इन परिस्थितियों के लिये जिम्मेदार नहीं है। तथापि प्रवृति यह है कि सभी बातों का सम्बन्ध योजना आयोग से जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः योजना आयोग को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं। योजना आयोग का कार्य संसाधनों का निर्धारण करना, पूर्वधारितायें निश्चित करना, योजना बनाना तथा समय समय पर उसकी प्रगति बताते रहना है। योजना आयोग, योजना को क्रियान्वित करने का कार्य नहीं करता है। मैं योजना की असफलता या उसकी त्रुटियों के सम्बन्ध में किसी बात का दायित्व अस्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि मैं केवल योजना आयोग की ओर से ही नहीं अपितु भारत सरकार की ओर से भी बोल रहा हूं। तथापि योजना आयोग के सम्बन्ध में चर्चा करते समय उसके विशिष्ठ दायित्व को ध्यान में रखना चाहिये।

योजना आयोग के कार्य के सम्बन्ध में दो मुख्य सुझाव दिये गये हैं। पहिला यह कि योजना आयोग का दायित्व अपने द्वारा बनाई गई नीतियों को उचित रूप से क्रियान्वित करवाना भी होना चाहिये। यह क्षेत्र योजना आयोग के उपक्रम कार्यों के बाहर है। हमारा संविधान संघीय है जहां केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियां प्रथक रूप से विहित हैं। योजना को क्रियान्वित करने के लिये कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हैं। उन पर योजना के तत्सम्बन्धी अंशों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। योजना आयोग के पास योजना क्रियान्वित करने का कोई साधन नहीं है। कुछ सदस्यों ने लागत प्राक्कलनों के संशोधन करने की सलाह दी है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि योजना आयोग इस बात का प्रयत्न करे कि लागत प्राक्कलन एक सीमा से अधिक न बढ़ें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि योजना आयोग अधिक टेक्नीकल विसेषज्ञों को नहीं रख सकता है। टेक्नीकल विशेषज्ञों को केन्द्रीय सरकारें या राज्य सरकारें ही रख सकती हैं। आयोग अभी सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी परियोजनाओं के परीक्षण के लिये कुछ टेक्नीकल जानकारों की व्यवस्था कर सकता है। उद्योग, खनिज विकास, परिवहन सम्बन्धी योजनाओं के विकास के लिये, योजना आयोग को तत्सम्बन्धी मंत्रालयों के टेक्नीकल विशेषज्ञों की जांच पर ही निर्भर रहना होता है। मंत्रालयों को भी इस सम्बन्ध में विदेशी परामर्शदाताओं की सलाह पर निर्भर रहना होता है। विशेषज्ञ अपने प्राक्कलन पेश करते हैं, लेकिन कई कारणों से उन का पुनः संशोधन करना होता है। कई मामलों में प्राक्कलित लागतों में इस कारण भी वृद्धि हुई कि इस दौरान आयात होने वाली मशीनों तथा अन्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो गई, मैं सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागतों की वृद्धि का कारण बताने में सभा का समय नहीं लूंगा। श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि लागतों में यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कम हुई है। इस्पात योजनाओं के सम्बन्ध में ऐसा हुआ है, तथापि यह जानना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र मजदूरों के आवास इत्यादि के सम्बन्ध में दायित्व नहीं लेता है। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हिसाब किताब की कड़ी जांच होती है और सारी सामग्री को हमारे सामने रखा जाता है,

जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अतः हमें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये ।

योजना आयोग को बढ़ते हुये लागत प्राक्कलनों के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता है। अतः वे इस पर नियंत्रण रखने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । तथापि इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन कारणों से हमारे देश या देश के बाहर कीमतों में वृद्धि हुई है उन्हीं कारणों से इन लागतों में भी वृद्धि हुई है। द्वितीय योजना में भी इस्पात सम्बन्धी संयंत्रों के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े नहीं दिये गये थे। इस बात का उल्लेख योजना के मसविदे में भी किया गया था। इन प्राक्कलनों में परिवर्तन योजना आयोग ने नहीं किया बल्कि उन परामर्शदाताओं ने किया जो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ हैं।

इन प्राक्कलनों को योजना बनाते समय उपलब्ध सामग्री तथा उस स्थिति में भली भांति निर्णय करके तय किया गया था। नियंत्रित अर्थ व्यवस्था वाले देशों में भी योजना की अवधि को बढ़ाया जाता है और कुछ योजनाओं को निलम्बित करना होता है। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था वाले देशों की स्थिति अधिक कठिन होती है। इसलिये कुछ विशेष, अप्रत्याशित कारणों की वजह से प्राक्कलनों में संशोधन करना पड़ा फलस्वरूप योजना में थोड़ा अवरोध पैदा हो गया ।

सिंचाई, पानी के उपयोग और सुधार-उपकर पर भी हमें इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये। इस वर्ष के प्रारम्भ से योजना आयोग प्रत्येक राज्य में सिंचाई सुविधाओं के उपयोग की प्रगति के सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है। हमारे परामर्शदाताओं ने नौ राज्यों का दौरा किया है। राज्य-सरकारों ने भी इस बात की व्यवस्था की है कि सिंचाई के लिये आवश्यकता होने पर पानी पहुंचाने में कम से कम विलम्ब होना चाहिये। पहले किसी परियोजना के पानी का समूचा उपयोग होने में दस वर्ष का समय लग जाता था। इन दिनों कृषि उत्पादन की अविलम्ब आवश्यकता, तथा परियोजनाओं में भारी विनियोजन के कारण, हम जल के उपयोग में शीघ्रता कर रहे हैं। वस्तुतः कई राज्यों ने सिंचाई के जल के पूरे उपयोग की आवश्यकता को नहीं समझा है तथापि अब इस मामले में कार्यवाही की जा रही है और कुछ प्रगति भी हुई है। उदाहरणार्थ मयूराक्षी योजना का ९० प्रतिशत और दामोदर घाटी निगम परियोजना द्वारा उपलब्ध ८० प्रतिशत पानी का उपयोग किया गया। वस्तुतः सींची जाने वाली भूमि से नियमानुसार दो वर्ष तक कोई सुधार-उपकर नहीं लिया जाता है। तत्पश्चात् रुपया बहुत आसान किश्तों पर लिया जाता है जो १० से १५ वर्ष में चुकाया जा सकता है। यदि राज्य जल के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ रियायतें दें तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। योजना आयोग ने प्रारम्भिक वर्षों में रियायती दरों पर पानी देने का सुझाव दिया है कई राज्यों ने यह सुझाव मान लिया है।

अब मैं उन संसाधनों को लेता हूं जिन्हें संसद् ने योजना के उपयोग के लिये मंजूर किया था। लेकिन उस धनराशि को अन्य क्षेत्रों में व्यय किया गया जिसके फलस्वरूप योजना में कठिनाइयां पैदा हो गईं। निसंदेह हमने इस बात को मसविदे में भी स्वीकार किया है। हमने उसमें यह भी बताया है कि उस धन का कहां उपयोग किया गया जिसे ध्यान से अध्ययन करने पर ज्ञात हो जायेगा कि वास्तव में वह उपयोग उचित था या अनुचित ? मोटे तौर पर देखने से आपको ज्ञात हो जायेगा कि यह रुपया अनिवार्य बातों पर खर्च किया गया है । ५११ करोड़ रुपये योजना के बाहर खर्च किये गये हैं। इन में से केन्द्रीय सरकार के लेखे से २८७ करोड़ रुपये और राज्यों के हिसाब से

[श्री नन्दा]

२२४ करोड़ रुपये लिये गये। इस व्यय में से कुछ राशि विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय की गई और कुछ अन्य कार्यों पर। केन्द्र में यह वृद्धि विशेषतः दो मदों पर हुई। पिछली प्रतिरक्षा पर, योजना अवधि के दौरान २२५ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये गये। अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर २० करोड़ रुपये व्यय हुए। अवशेष ४२ करोड़ की राशि खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता देने, करारोपण की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में तथा विदेशी ऋण का ब्याज इत्यादि देने में व्यय की गई।

राज्यों में प्रथम योजना की विकास सेवाओं के संधारण के लिये १९५६-५७ में २६१ करोड़ व्यय होने का अनुमान था। १९५७-५८ के संशोधित प्राक्कलनों में इन में ५२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के बजट प्राक्कलनों में उन में २३ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। यह वृद्धि विकास सेवाओं के व्यय में वृद्धि होने के कारण हुई। राज्य योजना के बाहर भी कुछ योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे थे। उनको भी उत्तरोत्तर योजना के अन्तर्गत ले जाया गया। वस्तुतः हम कुछ योजनाओं के स्थान में अन्य योजनायें रख रहे हैं। सुविधा के लिये यह सब किया जा रहा है। वास्तव में यह भी योजना का ही व्यय है। यथा समय जब स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा सेवायें तथा अन्य विकास कार्यों का क्षेत्र बढ़ जायेगा तो उनकी व्यवस्था में भी व्यय करना होगा। राज्यों ने इसके लिये पूरी व्यवस्था नहीं की थी। वस्तुतः उन्हें इस सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। पैसे का अपव्यय नहीं किया जा रहा है अपितु स्कूलों व अस्पतालों को चलाने में व्यय किया जा रहा है ।

विकास कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में, राज्यों ने योजना के प्रथम तीन वर्षों में ६० करोड़ रुपये व्यय किये। इस में से ३६ करोड़ रुपये सूद या ऋण चुकाने इत्यादि में व्यय हुए। ३२ करोड़ रुपये सामान सामान्य प्रशासन तथा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में व्यय हुए। वस्तुतः राज्यों ने अपने विकास कार्यों तथा विकास कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में जो धन व्यय किया वह सामान्य रूप से उचित था निस्संदेह उस में मितव्ययिता की गुंजायश थी।

कुछ सदस्यों ने अल्पकालीन ऋण और विविध आय का प्रश्न उठाया है । संसाधनों के हिसाब में यह अवशिष्ट मद बहुत जटिल होती है। इस के अन्तर्गत भविष्य निधि से होने वाली आय, विभिन्न ऋणों के भुगतान के लिये दी गई राशि, विदेशों को दिया गया ऋण, बाढ़ इत्यादि के कारण कृषकों को दिया गया ऋण, पूंजी लेखे के अन्तर्गत विकास कार्यों में हुई व्यय की वृद्धि तथा सुधार उपकर में हुई कमी इत्यादि शामिल है। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं।

इस विश्लेषण का जो नतीजा मैं सभा को बताना चाहता हूं वह यह है कि इस बड़े पैमाने की योजना को हमारे द्वारा तीन वर्ष पूर्व किये गये अनुमान की अपेक्षा अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। उस समय हमने प्रतिरक्षा व्यय का अनुमान नहीं लगाया था जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब हमें स्वीकार करना पड़ा है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कुछ अन्य बचन भी पूरे करने थे। किसी भी बड़े देश को जनता की बढ़ती हुई मांगें पूरी करने के लिये अपने संसाधनों को बढ़ाना होता है । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम से उस के विकास में रुकावटें पैदा हो जायेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने सारी कठिनाइयों सहित योजना का पुनर्मूल्यांकन देश के सम्मुख रखा है।

[श्री जयपालसिंह पीठासीन हुए]

इसलिये अगले दो वर्षों में देश के आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना न केवल योजना की सफलता के लिये अपितु तृतीय योजना की रूपरेखा बनाने के लिये भी आवश्यक है ।

आन्तरिक संसाधनों से ही सम्बन्धित एक प्रश्न यह है कि हम मितव्ययिता के द्वारा अपने संसाधनों की बचत कैसे कर सकते हैं । सदस्यों ने सरकारी व्यय में मितव्ययिता के द्वारा इसे प्राप्त करने को कहा है । सरकार सभा से इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि सरकारी क्षेत्र में बचत की जानी चाहिये इस दिशा में काफी कार्यवाही की जा चुकी है ।

केन्द्रीय मितव्ययिता बोर्ड ने सारे मंत्रालयों के खर्चे का पुनरीक्षण कर लिया है । हर एक मंत्रालय की अपनी एक मितव्ययिता समिति होती है । नये कर्मचारियों को नियुक्त करने के पूर्व संगठन और प्रणाली विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच की जाती है ।

वित्तमंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक ने भारत सरकार के २१ विभिन्न विभागों के कार्य की पृथक् जांच की है । उन्होंने काम की जांच करने के लिये उपयुक्त वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया है वे वर्तमान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को रोकने में पर्याप्त सफल भी हुए हैं । गृह-कार्य मंत्री के सभापतित्व में राष्ट्रीय विकास परिषद् के अधीन एक समिति बनाई गई है जो योजना के अधीन परियोजनाओं की मितव्ययिता और कुशलता की दृष्टि से जांच करती है । एक दल इमारत परियोजना की निर्माण लागत में कमी करने का अध्ययन कर रहा है । विशेषज्ञों की समिति की सहायता से उन्होंने खाद्यान्न गोदामों, बहुमंजिली कार्यालयों की इमारतों, कारखानों की इमारतों व गंदी बस्तियों को हटाने इत्यादि का अध्ययन किया है । योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति सरकारी औद्योगिक और खनन सम्बन्धी उपक्रमों में वर्तमान खरीद नीति, तालिका नियंत्रण प्रणाली, संयंत्र संधारण तथा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों का अध्ययन कर रही है । योजना आयोग सभी क्षेत्रों में मितव्ययिता करने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने आयकर-बकाया राशि के सम्बन्ध में जो चित्र उपस्थित किया वह सही नहीं है । मार्च १९५८ में आयकर की कुल बकाया राशि २८७ करोड़ थी । जिसमें प्राप्त करने योग्य राशि ११४ करोड़ थी । जिसमें से संग्रहकर्त्ताओं को ९३ करोड़ रुपये के वसूली पत्र दिये जा चुके हैं । अवशेष राशि के सम्बन्ध में सामान्य वसूली कार्यवाही की जा रही है । शीघ्रता से वसूली करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं । आयकर की वसूली करने के ही प्रयोजन से १४ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विशेष राजस्व अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । उच्च न्यायालयों में लेख याचिका दिये जाने के फलस्वरूप 'कार्यवाही रोको' आदेश मिलने के कारण भी विलम्ब होता है । इस सम्बन्ध में राज्यों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

श्री अशोक मेहता व श्री ही० ना० मुकर्जी ने सोने के तस्कर व्यापार को रोकने व देश में उपलब्ध किन्तु अप्रयुक्त सोने की राशि का उपयोग करने के सम्बन्ध में कहा है । सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे रही है । सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सीमान्त क्षेत्र में संगठित खुफिया प्रणाली समुचित सुरक्षा व्यवस्था तथा निरंतर और अचानक जांच के द्वारा इन बातों के रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं सभा को यह आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार इस बुराई को रोकने का भरसक प्रयत्न करेगी । देश में अप्रयुक्त सोने के उपयोग के सम्बन्ध में श्री मुकर्जी या श्री अशोक मेहता ने कोई निश्चित सुझाव नहीं दिये हैं । भारत में १७५० करोड़ रुपये का सोना

[श्री नन्दा]

स्त्रियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में, गहनों इत्यादि के रूप में मौजूद है । सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ६२·५० रुपये है, जबकि इसका बाज़ार मूल्य १०५ रु० प्रति तोला है । सरकार इस सोने को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में नहीं खरीद सकती है । यदि सरकार इस सोने के लिये सोना देना कबूल करे या इसके बन्ध पत्र देवे तो उन लोगों को घाटा रहेगा जिन्होंने अपना धन अल्प बचतों या सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया है । इस समस्या के कुछ पहलुओं पर सरकार तथा रक्षित बैंक विचार कर रहा है । इस बात के लिये हमें अपनी जनता को इस बात की शिक्षा देनी होगी कि वे अपना धन सोना खरीदने में न लगायें । सामान्य अर्थ व्यवस्था भी इस प्रकार होनी चाहिये कि जिन लोगों ने छोटी बचतों, सरकारी प्रतिभूतियों, तथा औद्योगिक अंशों में अपना धन लगाया है उन्हें अपनी लगायी गई पूंजी का लाभ अवश्य मिले । उक्त बातों पर विचार करने पर ही हम देश के अप्रयुक्त सोने को उपयोग में लाने की तरकीब सुझा सकते हैं ।

अब मैं विदेशी संसाधनों के जटिल प्रश्न को लेता हूं । प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया है कि भुगतान शेष की राशि प्राक्कलित राशि से बहुत अधिक बढ़ गयी है । इस सम्बन्ध में गम्भीर अव्यवस्था का भी संकेत किया गया है । श्री ही० ना० मुकर्जी ने यह बताया कि गैर-सरकारी क्षेत्र को ४०० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा देनी बाकी थी । निस्संदेह ३० सितम्बर १९५७ को गैर-सरकारी क्षेत्र को ४०० करोड़ की विदेशी मुद्रा देनी बाकी थी लेकिन अप्रैल १९५८ को यह अवशेष राशि ३०० करोड़ रु० हो गई थी । उनमें वे १७० करोड़ रु० भी शामिल थे, जो पूंजीगत माल इत्यादि के आयात के लायसेंसों के लिये दिये गये थे । साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि क्या पिछले दो तीन वर्षों में उपभोक्ता माल का अत्याधिक मात्रा में आयात हुआ है । हमने अधिकतर कच्चे माल और कलपुर्जों इत्यादि का आयात किया है । वस्तुतः औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखने के लिये जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सबका सही प्राक्कलन करना बहुत कठिन बात है । अर्थ व्यवस्था की वृद्धि के साथ साथ उसे बनाये रखने की आवश्यकतायें भी बढ़ती जाती हैं तथा और जटिल होती जाती हैं । अपनी अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हमें प्रति वर्ष ४०० करोड़ रु० का आयात करना होता है । विदेशी मुद्रा के उपयोग की यह बहुत बड़ी मद है । इसका विस्तृत विवरण देना बहुत कठिन है । तथापि एकत्रित जानकारी के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ता वस्तुओं का आयात १९५४-५५ की अपेक्षा बहुत कम हुआ है । लगभग सारी विदेशी मुद्रा का उपयोग पूंजीगत माल और उत्पादक माल के आयात में किया गया ।

वस्तुतः विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितना कि कुछ माननीय सदस्य समझते हैं । ११०० करोड़ रु० के अतिरिक्त जो व्यय हुआ मैं उसका विवरण देता हूं । इस में वृद्धि खाद्यान्नों के आयात, परियोजनाओं की लागत उनके भाड़े इत्यादि में वृद्धि होने के कारण हुई । उदाहरणस्वरूप इस्पात योजनाओं में ७३ करोड़ रु०, इस्पात में ९० करोड़ रु०, सरकारी क्षेत्र की अन्य औद्योगिक परियोजनाओं में २७ करोड़ रु० तथा गैरसरकारी औद्योगिक परियोजनाओं में १२० करोड़ रु० की वृद्धि हुई ।

निस्संदेह एक समय ऐसा था जबकि उपभोक्ता माल के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का इतनी सावधानी से प्रयोग नहीं किया गया जितनी सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिये था । जिससे कुछ ऐसा उपभोक्ता सामान भी आ गया, जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक था तथा इतना आवश्यक भी नहीं था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने विदेशी सहायता के सम्बन्ध में यह कहा है कि तत्सम्बन्धी शर्तें उपयुक्त नहीं हैं तथा व्याज भी अत्याधिक है । अमेरिकी सहायता लेने पर हमें उनके खेतों की अतिरिक्त उपज, लेनी होती है तथा उसका अधिक भाग गैर-सरकारी क्षेत्र को मिलता है इस प्रकार हमारी सरकारी क्षेत्र की अवस्था और भी खराब हो जायेगी । सरकार अमेरिका तथा अन्य किसी भी श्रोत से मिलने वाली सहायता पर सावधानी से विचार करती है । अधिकांश अमेरिकी ऋणों को पन्द्रह वर्षों में और विश्व बैंक के ऋणों को बीस वर्ष में चुकाना होता है । अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी इत्यादि गैर-सरकारी अर्थ व्यवस्था वाले देशों की सूद की दर भी ऐसी रहती है कि अन्य देश रुपया उधार ले सकें । रूस के ऋणों में सूद की दर कम है तथापि उन्हें बारह वर्षों की अवधि के भीतर चुकाना होता है । स्थिति को देखते हुए अमेरिका तथा पश्चिमी देशों द्वारा दिये गये ऋणों की शर्तें काफी उचित होती हैं । आयात निर्यात ऋण बैंक से लिये गये ऋणों के अलावा अन्य सभी अमेरिकी ऋण रुपये में चुकाये जा सकते हैं । अधिकांश अमेरिकी ऋण तथा पी० एल० ४८० के अधीन दी गयी अधिकांश सहायता सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को दी गई है । पी० एल० ४८० के अधीन मार्च १९५६ तक भारत को १७१ करोड़ रु० की सहायता प्राप्त हो चुकी है, खाद्यान्न इत्यादि का संभरण हमारे देश के लिये बहुत उपयोगी रहा है । जो सहायता गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गई है वह हमारी पंचवर्षीय परियोजना का ही एक अंग है जिसे संसद् स्वीकार कर चुकी है ।

सरकारी क्षेत्र के विस्तार की नीति, अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति वक्तव्य में बतायी जा चुकी है । सरकार उस नीति पर पूरी तरह अमल कर रही है । विदेशी सहायता, विश्व बैंक की सहायता इत्यादि से सरकार की घोषित नीति में कोई अन्तर नहीं आयेगा । भारत के आर्थिक विकास के लिये विदेशी मुद्रा की समस्या दीर्घकाल तक बनी रहेगी । काफी समय तक हमें अपनी योजना को त्रियान्वित करने के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता रहेगी । हमें वस्तुतः उन देशों व संस्थाओं की प्रशंसा करनी चाहिये जो हमें यह सहायता दे रहे हैं और आवश्यक रूप से सहायता की शर्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिये क्योंकि हम ने उन्हें बहुत विचार करने के पश्चात ही स्वीकार किया है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशियों द्वारा लगाई गई पूंजी पर दिये जाने वाले लाभ का भी उल्लेख किया । उन्होंने बताया कि विदेशी पूंजी जो जून १९४८ में २८८ करोड़ रुपये थी दिसम्बर १९५५ में बढ़ कर ४८१ करोड़ रु० हो गई । उन्होंने कहा कि विदेशियों द्वारा पूंजी लगाने पर नियंत्रण न रख सकना और अतिरिक्त लाभों की राशि को देश से बाहर भेजने में प्रतिबन्ध न लगाना घातक है । हमें अपनी वर्तमान विकास योजनाओं में विदेशी पूंजी का स्थान जानना चाहिये । द्वितीय योजना के प्राक्कलन स्थिर करते समय विदेशों से गैर-सरकारी क्षेत्र में १०० करोड़ रुपये के विनियोजन का अनुमान लगाया गया था । १९४९ के नीति सम्बन्धी विवरण तथा १९५६ के नीति सम्बन्धी संकल्प में हम ने विदेशी पूंजी का स्वागत किया था । जब हम ने अपनी विकास योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र को स्थान दिया है तो हमें विदेशी पूंजी विनियोग को भी उचित स्थान देना होगा । इसलिये सिद्धांततः हमें अपनी योजना के प्रयोजन के निमित्त तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उचित शर्तों पर विदेशी गैर-सरकारी विनियोग का स्वागत करना चाहिये । श्री मुकर्जी ने जो बातें कही हैं उनमें उन्होंने तीन बातों का उल्लेख नहीं किया है । पहली बात यह कि विनियोजन की राशि में जो वृद्धि दिखाई गई है पुस्त-समायोजन से हुई वृद्धि तथा आस्तियों के पुनः मूल्यांकन से हुई राशि भी शामिल है वस्तुतः विदेशी विनियोजन में दिसम्बर १९५३ से दिसम्बर १९५५ तक केवल ३५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

[श्री नन्दा]

दूसरे इस विदेशी ूंजी का अधिकांश ाग तेल शोधनशालाओं में लगाया गया । तीसरे पिछले कुछ वर्षों से विदेशी विनियोजन से बाहर जाने वाला लाभ अल्पाधिक रुप से स्थिर रहा यह औसतन २९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि गैर-सरकारी विदेशी पूंजी विनियोग उन्हीं क्षेत्रों में हो जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है । सभी बातों पर विचार कर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसे विनियोग से हमें अपने विकास में बहुत सहायता मिली है ।

योजना की रूप रेखा, औद्योगिक कार्यक्रम तथा कुछ विशेष लक्ष्यों का भी चर्चा के दौरान ज़िक्र किया गया । श्री सोमानी ने सुझाव दिया कि सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य जो १६० लाख टन रखा गया है कम करना चाहिये । योजना आयोग ने पहले सीमेंट की कुल उत्पादन क्षमता १२० लाख टन रखी थी लेकिन तत्सम्बन्धी मंत्रालय के कहने पर इसे बढ़ा दिया गया । योजना आयोग में मई १९५८ के ज्ञापन में यह बताया था कि हमारी उत्पादन क्षमता अमेरिका की आर्थिक विकास निधि की सहायता से ११० लाख टन हो सकती है । योजना आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस्पात की कमी तथा निर्माण कार्य की गति धीमी होने के कारण १०० से ११० लाख टन सीमेंट वर्तमान योजना की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त होगा । इस प्रकार श्री सोमानी के सुझाव के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है ।

कई सदस्यों ने इस बात का सुझाव दिया है कि उर्वरक उत्पादन को योजना के महत्वपूर्ण अंग के अधीन स्थान दिया जाना चाहिये । एक वर्ष पहले जब महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची तैयार की गई थी तो उनमें केवल वे योजनायें ही रखी गई थीं जो चल रही थीं और जिनके लिये विदेशी मुद्रा आवश्यक थी । किन्तु अब हमारे संसाधनों में वृद्धि हो गई है अतः हमें उर्वरक उत्पादन व निर्माण को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिये । द्वितीय योजना में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की उत्पादन क्षमता को ८५,००० टन से बढ़ा कर ३,८२,००० टन करने का निश्चय किया गया था । १९६०-६१ तक वास्तविक उत्पादन के २,९०,००० टन हो जाने की आशा थी । सिन्द्री उर्वरक कारखाने के विस्तार का कार्य इस वर्ष समाप्त हो जायेगा । नंगल संयत्र में १९६० से उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । रूरकेला उर्वरक संयंत्र द्वितीय योजना से पहले निमित नहीं हो सकता है । निवेली संयंत्र में भी उत्पादन १९६१ से पूर्व प्रारम्भ नहीं हो सकता है । वर्तमान आंकड़ों के अनुसार द्वितीय योजना के अन्त तक २,००,००० टन नाइट्रोज़न का उत्पादन सम्भव हो सकेगा । रूरकेला संयंत्र क्षमता को ८०,००० टन से बढ़ा कर १,१५,००० टन करने का और ट्रोम्बे में १,११,००० टन क्षमता वाले एक संयंत्र के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है । मैं यह आंकड़े सभा को इसीलिये बता रहा हूं जिससे सभा को यह ज्ञात हो जाय कि उवर्रक उत्पादन के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का कार्य समझा जा रहा है । निसंदेह इस मसय हम विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नाइट्रोज़न वाले उर्वरकों का आयात जो १९५५ में ५२,००० टन था बढ़ कर १९५७ में १,००,००० टन हो गया । विदेशी मुद्रा की कमी होने पर भी नाइट्रोजन वाले तथा अन्य रासायनिक उर्वरकों के आयात की व्यवस्था की गई । इसके अलावा योजना आयोग ने प्रोगारिक खाद व हरी

खाद के स्थानीय साधनों के विकास को बहुत महत्व प्रदान किया है। क्योंकि इसके बिना रासायनिक खादों से सीमित लाभ ही हो सकता है।

कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में हमने मूल्यांकन ज्ञापन में लिखा है कि हम ५६० से ५७० लाख टन कोयले का उत्पादन करने में समर्थ हो सकते हैं। मंजूरशुदा वर्तमान योजनाओं के अनुसार सरकारी क्षेत्र ८५ लाख टन और गैर-सरकारी क्षेत्र १०० लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करेगा। आशा है हम इससे कुछ अधिक उत्पादन करने में समर्थ होंगे।

जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कृषि को सर्वोच्च पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये, और यह दी गई है। तथापि साथ ही उद्योग को भी पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। वस्तुतः दोनों में कोई विरोध नहीं है। कृषि के विकास के लिये जटिल प्रयत्नों की आवश्यकता होती है केवल पया ेने से काम नहीं चलता है। वहां उचित व्यवस्था किसानों में उचित उत्साह पैदा करना, किसानों को दी गई ऋण, बीज इत्यादि के रूप में सहायता इत्यादि बहुत महत्व रखती हैं। ये चीजें व्यय में नहीं दिखाई जा सकती हैं।

कृषि पर किये जाने वाले व्यय को कम नहीं किया गया है। कृषि उत्पादन का लक्ष्य भी बढ़ा है। यह कहा गया है कि योजना आयोग नागरिक क्षेत्रों के पक्ष में योजनायें बनाता है। निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं कि गांवों के लिये बहुत कुछ करना है तथापि स्थिति को गलत समझा जा रहा है वस्तुतः उद्योग, परिवहन इत्यादि के विकास के लिये दी गई बड़ी बड़ी राशियों को देख कर यह अनुमान कर लिया गया है कि यह सब शहरी क्षेत्रों के लिये है। यह सच नहीं है। क्योंकि रूरकेला और भिलाई योजना के विकास के लिये जो कुछ किया जा रहा है उससे हमारी समस्त अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा न केवल शहरी क्षेत्रों पर।

जहां तक किसी विचार पद्धति का उत्पादन को प्रभावित करने का सम्बन्ध है मेरे विचार से वह विचार पद्धति ही अपने नाम को सार्थक नहीं करती है जो उत्पादन वृद्धि में सहायक नहीं है। हमें विश्वास है कि हम सरकारी क्षेत्र में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे न केवल हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी अपितु देश के सुयोजित विकास को निर्देश और नियंत्रण प्राप्त हो गा। हमें पूरा विश्वास है कि विभिन्न उद्योगों में उचित संतुलन रखा जा रहा है। उपभोग तथा जिन बातों से हमारी बचत पर प्रभाव पड़ता है उनको अधिक बढ़ाना नहीं चाहिये।

श्री जयपाल सिंह ने रूरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र से बेदखल ग्रामीणों का प्रश्न उठाया है। निस्सन्देह उनके मामले पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये और उनहें पूरी सहायता दी जानी चाहिये। रूरकेला के लिये ३२ वर्ग मील स्थान प्राप्त करना पड़ा जिसमें ३२ गांव थे और २४०० परिवार रहते थे। केन्द्रीय सरकार विभिन्न रियायतें व ५१ लाख पये से भी अधिक पये प्रतिकर के रूप में देने को तैयार हो गयी है। इस कार्य का दायित्व उड़ीसा सरकार पर है मैं उनसे इस कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री जयपाल सिंह ने रूरकेला के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को टेक्नीकल शिक्षा देने का सुझाव दिया है। हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा चुकी है। रांची की टेक्नोलोजी संस्था और सिंदरी की बिहार टेक्नालोजी संस्था का विस्तार किया जा

[श्री नन्दा]

रहा है। भलाई में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है। सभी खान क्षेत्रों में खनन स्कूल खोल दिये गये हैं। मैं उनके सुझाव की उपयोगिता से सहमत हूं।

अब मैं वित्तीय नियंत्रण के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं। श्री त्यागी ने यह आशंका प्रगट की है कि वित्त मंत्रालय का नियंत्रण ढीला होने से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बिना उचित समायोजन के व्यय किया जायेगा। नयी योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय मंत्रालयों पर वित्तीय नियंत्रण की अधिक जिम्मेदारी आ गई है। इससे कार्यवाही में शीघ्रता होगी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मंत्रालय उस राशि का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग कर सकता है और एक योजना का रुपया दूसरी योजना में लगा सकता है। संसद् का नियंत्रण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा की जाने वाली जांच पूर्ववत: जारी रहेगी। इसका उद्देश्य विलम्ब को रोकना है तथापि इसके कारण अपव्यय और अनावश्यक व्यय नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना की सफलता, अधिक कार्य करने तथा अधिक परिश्रम के द्वारा कुशलता बढ़ा कर की जा सकती है। इससे उत्पादन तथा उत्पादक क्षमता बढ़ेगी जिससे विदेशी तथा आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि होगी। भ्रष्टाचार तथा समाज विरोधी कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, उनका साहसपूर्वक मुकाबला करना होगा। यदि हम इन बातों पर उक्त दृष्टिकोण से अमल करें तो हम संसाधनों की वृद्धि करने, उनका सदुपयोग करने तथा इस प्रकार अच्छे परिमाण प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

जहां तक योजना आयोग सरकार व विभिन्न दलों के बीच परामर्श करने का प्रश्न है योजना बनाते समय पर्याप्त पारस्परिक परामर्श हुआ था। प्रश्न यह है कि ऐसा इस समय क्यों नहीं किया गया इस समय भी परामर्शदात्री समिति की एक दो बैठकें हुई तथापि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि समिति की अधिक बैठकें होनी चाहियें।

प्रत्येक बड़े काम में परिश्रम और कष्ट की आवश्यकता होती है। रूस इत्यादि देश इस कष्ट की स्थिति को पार कर चुके हैं। यदि हमें अपनी जनता के योग्य लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिये। आयोजित विकास के लिये गम्भीरतापूर्वक कार्य करने के निमित्त हमें भविष्य की चुनौती स्वीकार करनी होगी। ऐसी योजना कभी अपरिवर्तनशील नहीं रह सकती है समयानुसार उसके परिवर्तन करने आवश्यक होते हैं। सफलताओं और असफलताओं के बीच से हमें उन व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है जो इस योजना का प्रमुख लक्षय हैं। वास्तव में व्यक्ति की सच्ची परीक्षा तभी होती है जबकि विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हमारी योजना में भी मौसम की खराबी, विदेशों की राजनीतिक घटनाओं तथा कुछ अपनी गलतियों व कमजोरियों के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। हमें इन कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं सभा के सभी दलों तथा देश से यह अपील करूंगा कि वे योजना के पुनर्मूल्यांकन पर निष्पक्षता से विचार करें और एकता तथा विश्वास से भविष्य के लिये कार्य करें। यदि हम सब एक होकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा संसाधनों के पूर्ण उपयोग का प्रयत्न करें तो हमारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सन्देह तथा कष्ट की इस अवधि में एक होकर कार्य करेंगे तो जनता की इच्छा अवश्य सफल होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद्-कार्य मन्त्री भविष्य में यह बताने का कष्ट करें कि किसी विशेष प्रस्ताव के प्रभारी मन्त्री महोदय कितना समय लेंगे । कार्य मन्त्रणा समिति में इसका सही अनुमान नहीं लगाया जाता है । अतः मैं चाहूंगा कि भविष्य में माननीय मन्त्री समय का अधिक सही अनुमान लगायें । निस्सन्देह इस भाषण के दौरान सदस्यों ने गणपूर्ति रखी है तथापि मैं यह चाहता हूं कि जो सदस्य भी किसी विषय पर बोलें व मन्त्री जी का उत्तर सुनें तक सभा में अवश्य रहें । सदस्यों को सभा के प्रति इतना आदर अवश्य दिखाना चाहिये । यदि कोई सदस्य किसी आवश्यक कार्य के कारण उपस्थित न रह सकें तो उन्हें मुझे इस सम्बन्ध में लिखित सूचना देनी चाहिये । अब मैं सभी स्थानापन्न प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

इस के पश्चात्, सभा मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३६७१-९४

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४२७ नार्थ एवेन्यू में अतिरिक्त फ्लैट ३६७१-७२

१४२८ पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति . . . ३६७२-७३

१४२९ ड्यूक आफ एडिनबरा का आगमन ३६७३-७४

१४३० जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये भारतीय जहाज़ . ३६७४-७५

१४३१ उद्योगों में हड़ताल ३६७६-७८

१४३३ बिजली का भारी सामान बनाने के कारखाने . . . ३६७९-८०

१४३६ चाय को सुखाने और रोल करने की मशीनें . . . ३६८०-८१

१४४० लोहे तथा इस्पात की मांगें ३६८१-८३

१४४२ खाल उतारने के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र . . ३६८३-८५

१४४३ नाहन फाउण्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड . . . ३६८५-८६

१४४४ पटसन से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात . . ३६८६-८७

१४४५ खालों और चमड़े का नीलाम ३६८७-८८

१४४६ मद्रास राज्य में हथकरघा सहकारी समितियां . . . ३६८८-८९

१४४७ लोहा तथा इस्पात का सामान तैयार करने के लिये फैक्टरियां . ३६८९-९०

१४४८ आसनसोल की गैसयुक्त खानें ३६९०-९१

१४४९ सिक्कों की दाशमिक तथा बाट व माप की मीट्रिक प्रणाली . ३६९१-९२

१४५० निर्मित पदार्थों का मूल्य ३६९२-९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . ३६९५—३७३०

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४३२ रयुटाइल (रंजारिज) का औद्योगिक उपयोग . . . ३६९५

१४३४ निर्यात से आय ३६९५

१४३५ भारत को डालर क्षेत्रों से आय . . . ३६९६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४३७	त्रिपुरा में पुनर्वास योजनायें	३६९६
१४३८	औद्योगिक योजनायें	३६९६
१४३९	नारियल जटा उद्योग	३६९७
१४४१	भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता	३६९७
१४५१	मूंगफली की खली का निर्यात . . .	३६९७
१४५२	लौह अयस्क का निर्यात	३६९८
१४५३	नारियल जटा उद्योग केन्द्र	३६९८
१४५४	किंग्जवे शरणार्थी शिविर . .	३६९८-९९
१४५५	कलकत्ता में आकाशवाणी केन्द्र . .	३६९९
१४५६	साइकिल-रिक्शे	३६९९
१४५७	हल्दी का निर्यात . . .	३६९९—३७००
१४५८	केरल राज्य में हथकरघा सहकारी समितियां . .	३७००
१४५९	टंगस्टन कारबाइड का निर्माण . . .	३७०१
१४६०	भारत का वैदेशिक व्यापार . . .	३७०१
१४६१	पाकिस्तान में क्षेप्यास्त्र और फौजी अड्डे . .	३७०१
१४६३	सीमेन्ट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड . .	३७०२
१४६४	देहरादून जिले में सीमेंट फैक्टरी	३७०२
१४६५	रेज़र ब्लेड	३७०२-०३
१४६६	अलौह धातुओं की कीमतें . . .	३७०३
१४६७	रद्दी चाय का उपयोग	३७०३
१४६८	खादी ग्रामोद्योग भवन	३७०३-०४
१४६९	विश्व युवक सभा	३७०४
१४७०	वाणिज्यिक विवाचन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन . .	३७०४
१४७१	भारतीय कपास का निर्यात	३७०५
१४७२	उद्जन कारखाना	३७०५
१४७३	केरल में साइकलों का निर्माण . . .	३७०५-०६
१४७४	अलौह धातुओं का आयात	३७०६
१४७५	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	३०६६
१४७६	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये होस्टल . .	३७०६-०७

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४३७	बम्बई में अम्बर चर्खा कार्यक्रम	३७०७
२४३८	बम्बई राज्य के काम दिलाऊ दफ्तर . . .	३७०७
२४३९	आन्ध्र में नारियल जटा उद्योग . . .	३७०७–०८
२४४०	आन्ध्र प्रदेश में खादी सहकारी संस्थायें . . .	३७०८
२४४१	'तेजू' उपनगर में जमीन के कटाव का खतरा . . .	३७०८
२४४२	आंध्र प्रदेश में हस्तशिल्प . .	३७०९
२४४३	नागा विद्रोही . . .	३७०९
२४४४	चाय का उत्पादन और खपत . .	३७०९
२४४५	पंजीबद्ध समवाय . .	३७१०
२४४६	फिल्मों का निर्यात	३३१०
२४४७	पंजाब में अम्बर चर्खा योजना . . .	३७१०
२४४८	काम दिलाऊ दफ्तर	३७११
२४४९	प्रतिकर	३७११
२४५०	जापान को गया भारतीय लौह अयस्क प्रतिनिधि मण्डल . .	३७११
२४५१	राजस्थान में जागीरों का पुनर्ग्रहण	३७११–१२
२४५२	वाराणसी के पास सोडा एश कारखाने की स्थापना . .	३७१२
२४५३	बम्बई की सूती कपड़ा मिलें	३७१२
२४५४	पंजाब में ऊन की मिल	३७१२
२४५५	खाद्य लक्ष्य	३७१३
२४५६	भारतीय फिल्मों का निर्यात	३७१३
२४५७	भारतीय टीक क्रय मिशन	३७१४
२४५८	ऐतिहासिक दस्तकारी	३७१४
२४५९	बेरोजगारी	३७१५
२४६०	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	३७१५
२४६१	कच्ची फिल्मों का वितरण	३७१५
२४६२	गोआ जेल में भारतीय	३७१६
२४६३	भेषजीय परियोजनायें	३७१६
२४६४	कोयला खानों में सुरक्षा उपाय	३७१६–१७
२४६५	अमरीका का मशीनी औजार मंत्रणा दल	३७१७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४६६ पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई . ३७१८

२४६७ आयात नीति ३७१८

२४६८ गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा प्रलेखीय चल-चित्र का निर्माण ३७१८

२४६९ रेडियो न्यूज रील ३७१९

२४७० विस्थापित व्यक्तियों को दूसरा ऋण . . . ३७१९

२४७१ नागपुर में औद्योगिक बस्ती . . . ३७१९-२०

२४७२ उत्पादकता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति . . ३७२०

२४७३ विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण ऋण ३७२०-२१

२४७४ निर्यात प्रत्यय बीमा . . . ३७२१

२४७५ भारत और पाकिस्तान में आने वाले ३७२१

२४७६ कच्ची फिल्मों का संभरण ३७२१-२२

२४७७ पंचायती रेडियो . ३७२२

२४७८ त्रिपुरा में शरणार्थी बस्ती . ३७२२-२३

२४७९ विदेशों में रोक लगी हुई फिल्में . . ३७२३

२४८० पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति ३७२३

२४८१ अर्थशास्त्र तथा समाज शास्त्र सम्बन्धी सर्वेक्षण ३७२३-२४

२४८२ अगरताला में मेहतरों के लिये मकान ३७२४

२४८३ सीमा के खम्भों की चोरी. ३७२४

२४८४ बिहार में दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र . . ३७२४

२४८६ मक्खन निकले दूध के पाउडर का आयात ३७२५

२४८७ हरी चाय . ३७२५-२६

२४८८ चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर ३७२६

२४८९ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रचार ३७२६

२४९० पंजाब में साइकिल के कारखाने ३७२७

२४९१ चाय का निर्यात . ३७२७

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४९२	हथकरघा सहकारी समितियों के लिय कार्यवाहक पूंजी	३७२७-२८
२४९३	पत्थर की खानें	३७२८
२४९४	फिल्म सामग्री का आयात	३७२८-२९
२४९५	श्रम सहकारी समितियां	३७२९
२४९६	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३७२९
२४९७	मद्रास में हथकरघे की वस्तुओं का अनबिका स्टाक	३७२९
२४९८	मद्रास राज्य में शक्ति-चालित करघे	३७३०
२४९९	मूंगफली के बीज और उत्पाद	३७३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३७३१

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :--

(१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ मई १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३०२ और दिनांक ५ जुलाई १९५८ के उसके शुद्धि-पत्र संख्या जी० एस० आर० ५६५ की एक प्रति ।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ सितम्बर १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८०/आर अमेण्डमेन्ट २६ की एक प्रति ।

(३) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षित लेखे सहित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड की १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश	३७३२

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखित चार सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी--

(१) कि राज्य-सभा ने १८ सितम्बर १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २ सितम्बर १९५८ को पारित समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश--(क्रमश:)

(२) कि राज्य सभा ने १९ सितम्बर १९५८ की बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है :--

(एक) मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक १९५८ जो लोक-सभा द्वारा ३ सितम्बर १९५८ को पारित किया गया।

(दो) राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८, जो लोक-सभा द्वारा ४ सितम्बर, १९५८ को पारित किया गया ।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५८, जो लोक-सभा द्वारा १० सितम्बर, १९५८ को पारित किया गया ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३७३१

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और लोक-सभा को ८ सितम्बर १९५८ को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :--

(१) केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक १९५८।

(२) सरकार भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधयक १९५८।

(३) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक १९५८।

याचिका समिति का प्रतिवेदन ३७३३

श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन ने याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७३३

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जेंस्सोर जिले और भारत में २४ परगना में इच्छामती नदी के साथ-साथ पुलिस थाना भदुरिया स्वरूपनगर के बीच की सीमा को अंकित करने वाली ठीक ठीक रेखा को बताने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभापति तालिका ३७३३

अध्यक्ष न लोक-सभा को बताया कि उन्होंने श्री जयपाल सिंह को सभापति तालिका का सदस्य नियक्त किया है।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . .	३७३४
तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में . .	३७३४—३८
अध्यक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव के बारे में जिसकी सूचना डा० क० ब० मेनन ने १२ अगस्त १९५८ को दी थी, एक वक्तव्य दिया :—	
"कि केरल राज्य में संविधान द्वारा-प्रत्याभूत मूल अधिकारों के निरन्तर हनन और केरल सरकार के संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने में असफल रहने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गम्भीर स्थिति पर विचार किया जाय।"	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन और उस की संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव—	३७३८—९१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही।	
सारे स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और चर्चा समाप्त हुई।	
मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि —	
१९५८–५९ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा।	